सितम्बर 2000

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

क्या जरूरी है 87वां संविधान संशोधन विधेयक

भारत में समाज शिक्षा और सामाजिक चेतना

सरकार गरीबों के हितों को सर्वोपरि मानती है : प्रधान मंत्री

"इसरो" द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अवसर पर प्रधान मंत्री की ग्राम पंचायतों के सदस्यों से बातचीत

प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पिछले महीने नई दिल्ली में 'इसरो' द्वारा 24 वीडियो लिंक केन्द्रों पर आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सदस्यों से बातचीत की। एक घंटे तक चले वार्तालाप में प्रधान मंत्री ने स्थानीय समस्याओं के विषय में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त की। वीडियो कान्फ्रेंसिंग केन्द्र – बक्शी का तालाब, गौरा बाग, सरोजनी नगर, निशान्तगंज व कैन्टोन्मैंट पार्क रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में, हिम्मत नगर, महसाना, नाडियाड़, पालनपुर तथा गांधी नगर (गुजरात) में और मैंगलौर, धारवाड़, रायचूर और तुमकुर (कर्नाटक) में स्थापित किए गए हैं।

वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयासों की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए, प्रधानमंत्री ने उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के सफल आयोजन पर बधाई दी। श्री वाजपेयी ने कहा कि इस से विकास के रास्ते खुलेंगे और दूरियां कम होंगी। श्री वाजपेयी ने जहां एक ओर सरपंचों और पंचायती प्रतिनिधियों की बात सब्र से सुनी, वहीं उन्हें सरकार की सीमाओं और कठिनाइयों से अवगत कराया। उन्होंने पंचायत प्रमुखों को यह आश्वासन दिया कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। श्री वाजपेयी ने उनसे कहा कि गांव में हर व्यक्ति को ग्रामीण विकास में योगदान देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह पंचों का काम है कि यदि सरकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं करते हैं तो उन्हें ठीक रास्ते पर लाएं।

जिन मुद्दों पर वीडियो कान्फ्रेंस में चर्चा हुई, उनमें प्रमुख थे – पंचायतों के सम्मुख कुछ समस्याएं जैसे – शिक्षा व पानी की कमी, विशेषकर सिंचाई के लिए। प्रधान मंत्री ने शीतागार बनाने के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि हमारे देश में 50 फीसदी सब्जियां बेकार हो जाती हैं।

प्रधान मंत्री ने अपनी सरकार के गरीब विरोधी होने पर जोरदार खंडन करते हुए कहा कि नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय सरकार सदैव गरीबों के हितों को सर्वोपरि रखती है। श्री वाजपेयी ने यह भी इंगित किया कि हाल ही में मूल्य वृद्धि में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को छोड़ दिया गया है।

श्री वाजपेयी ने बताया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसलिए किया गया है कि शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों का प्रबन्ध गांव वाले स्वयं संभालें। प्रधान मंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच चुनी जा रही हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाने में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों की पंचायतें, विशेषकर ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्रों में तीव्र विकास की ओर अग्रसर होंगी।

श्री वाजपेयी ने सरकार की शिक्षा के प्रति कटिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी प्रबंधों को सुधारने की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री ने पंचायतों को धन आवंटित करने और उस धन के ठीक तरह से उपयोग करने पर जोर दिया ताकि आवंटित धन का रुपया लोगों की भलाई में लगे। उन्होंने बचत की आदत डालने की आवश्यकता का तथा सहकारी बैंकों के प्रयोग का भी सुझाव दिया।

भूमंडलीकरण की ओर संकेत करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय करार के भागीदार हैं पर अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधान मंत्री ने "चैक डैम्स" के बहुचर्चित कार्यक्रम की विशेष सराहना की। सिंचाई के लिए पानी की कमी का उल्लख करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि संसाधनों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उल्लेख किया।

यह वीडियो कान्फ्रेंस प्रधान मंत्री के निवास पर, भारत में उपग्रह प्रसारण की रजत जयन्ती के सुअवसर पर आयोजित की गई थी।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 45 अंक 11

भाद्रपद–आश्विन 1922

सितम्बर 2000

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
पी.सी. अहुजा

आवरण सज्जा
अलका नय्यर

रेखांकन
संजीव शाश्वती
सलिल शैल

फोटो साभार :
मीडिया डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

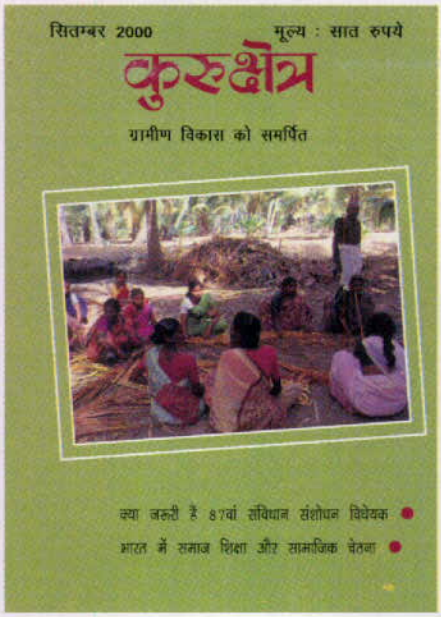

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- समग्र ग्रामीण विकास के लिए रचनात्मक पहल की आवश्यकता — प्रो. लक्ष्मण परवाल — 3
- ग्रामीण आवास योजना : सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास — डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल — 5
- क्या जरूरी है 87वां संविधान संशोधन विधेयक — मंजु पवार — 10
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और मध्य प्रदेश — संजय त्रिपाठी — 13
- भारत में समाज शिक्षा और सामाजिक चेतना — आशारानी व्होरा — 17
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा : 21वीं सदी में चुनौतियां — डा. विनोद गुप्ता — 20
- गांव में नाचा मोर (कहानी) — डा. भालचन्द्र तिवारी — 27
- परती भूमि पर बागवानी से रोजगार की संभावनाएं — डा. आनन्द तिवारी — 30
- स्वयं सहायता समूह, कार्य–प्रणाली तथा प्रगति — डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी — 34
- नारी शिक्षा : प्रारूप तथा संभावनाएं — डा. अलका श्रीवास्तव — 36
- शोषण के जाल में बदहाल हमारे ये नौनिहाल — डा. राजीव कुमार — 39
- शिक्षित ग्रामीण : सुरक्षित पर्यावरण — प्रतापमल देवपुरा — 44
- जन सहयोग कैसे लें? (स्थायी स्तम्भ) — जवाहरलाल नेहरू — 47

पाठकों के विचार

जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षितों की विशेष जिम्मेदारी

पेयजल एवं जनसंख्या नियंत्रण को समर्पित *कुरुक्षेत्र* का जुलाई 2000 अंक पढ़ा जिसमें *अस्तित्व का प्रश्न हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण* इरा सिंह का लेख एक कड़वे सच का अहसास करा गया। जनसंख्या वृद्धि में शिक्षित, अशिक्षित दोनों वर्गों का योगदान है। जहां तक अशिक्षितों द्वारा परिवार नियोजन न कराना तो समझ में आता है, परन्तु शिक्षितों द्वारा भी परिवार नियोजन के नियमों का पालन न करना शासन द्वारा शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करने का मखौल उड़ाता प्रतीत होता है। मेरे कार्यालय में ही दो ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पांच–पांच बच्चे हैं।

जब शिक्षित व्यक्ति ही पांच–पांच बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो अशिक्षितों से क्या उम्मीद रखें? अतः केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वह नई अधिकारी/कर्मचारी भर्ती में अन्य शर्तों के अलावा "मेरे दो ही बच्चे हैं", अथवा "विवाहित होने पर दो बच्चे ही पैदा करूंगा" जैसे घोषणा पत्र भरवाएं।

वर्तमान शासकीय सेवारत कर्मचारियों द्वारा परिवार नियोजन के नियमों के उल्लंघन पर वेतन और सुविधाओं में कटौती जैसे कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि समस्त सुविधाओं और विकास को लीलती विकराल जनसंख्या पर काबू पाया जा सके।

अर्जुन सिंह 'अंतिम' झा.धा.क्षे.ग्रा. बैंक, शाखा – कुक्षी, जिला – धार (म.प्र.) 454331

कृषक के लिए आशा की किरण : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कुरुक्षेत्र का जुलाई 2000 अंक निःसन्देह न केवल विचारोत्तेजक जानकारियों के कारण पठनीय है अपितु संग्रहणीय भी है। भू–जल समस्या निवारण, विदोहन, संचय आदि के व्यावहारिक निदानों से भू–जल समस्या का किसी हद तक निदान संभव है, इसका बड़ा अच्छा विवेचन किया गया है।

इसके अतिरिक्त किसानों के लिए एक आशा की किरण के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एक वरदान सिद्ध हो सकती है। भारतीय कृषक मानसून की अनिश्चितता के कारण सदैव पीड़ित रहा है। कृषि वित्त से भी उसे राहत नहीं मिल सकी। प्राकृतिक आपदाओं यथा – तूफान, चक्रवात, ओला, समुद्री तूफान, टाइकून, हरीकेन, बाढ़, जल प्लावन, भूस्खलन आदि ने सदैव कृषकों की आशाओं पर तुषारापात किया है। फलस्वरूप कृषक ऋण में जन्म लेकर ऋण में ही मरता रहा है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उसके लिए संजीवनी प्रमाणित होगी। बीमा योजना का लाभ उठाकर वह प्राप्त वित्तीय सहायता का आसानी से भुगतान कर सकता है। दोहरा लाभ यह भी होगा कि जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी उसके डूबने का भी भय नहीं रहेगा। दूसरी ओर फसल के क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसे किसी अन्य पक्ष की ओर वित्तीय सहायता के लिए मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। फसल की अनिश्चितता के कारण कृषक उच्च तकनीक का उपयोग करने से कतराता था इस बीमा योजना से वह उच्च तकनीक के प्रयोग हेतु प्रेरित हो सकेगा।

यह योजना अभी कुछ ही राज्यों में क्रियान्वित हो सकी है। भारत सरकार द्वारा न केवल इस को सभी राज्यों में अपितु केन्द्र शासित राज्यों में भी अनिवार्य कर देना चाहिए तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी।

एम. राज राकेश, उपप्रधानाचार्य, हैपी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर

वनों के कटान से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ीं

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र*

का जून 2000 अंक पढ़ा। यह पत्रिका वास्तव में ग्रामीणों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और संग्रहणीय है।

इस अंक में लेखक हरिश्चन्द्र व्यास का विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर विशेष लेख *21वीं सदी में ग्रामीणों को स्वच्छ वायु एवं सुखी जीवन जीने का एजेंडा* में वृक्षारोपण की विशेष आवश्यकता की ओर ध्यानाकर्षण किया है।

यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वनों और पेड़ों का बड़ी मात्रा में कटान हो जाने के कारण ईंधन के लिए लकड़ी मिलना कठिन हो गया है और इसका प्रतिकूल प्रभाव खाद्य उत्पादन पर पड़ा है। साथ–ही–साथ भूमिहीन ग्रामीणों की बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और इन्हें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को विवश होना पड़ रहा है।

उपर्युक्त समस्याओं का समाधान केवल वृक्षारोपण और वन–संरक्षण के साथ–साथ वनों के कटान को रोकने की वृहद् आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, शुद्ध वायु और सुखी जीवन के लिए लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों को पूरे देश के साथ–साथ विश्व के सभी देशों में लागू करने की जरूरत है।

सचिन कुमार, छात्र, एम.काम.
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, बिहार

समग्र ग्रामीण विकास के लिए रचनात्मक पहल की आवश्यकता

प्रो. लक्ष्मण परवाल

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेतहाशा बढ़ती आबादी की वजह से बढ़ती बेरोजगारी की समस्या शहरों में ज्यादा उद्योग लगाकर हल नहीं की जा सकती। इसका समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोजा जा सकता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर इस समस्या से कुछ हद तक जूझा जा सकता है। इसके अलावा सर्वांगीण ग्रामीण विकास की दिशा में कुछ कदम उठाकर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए अपेक्षित सुझाव प्रस्तुत हैं इस लेख में।

हमारा देश "समाजवादी समाज की रचना और राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता" की ओर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और चूंकि हमारा देश लाखों गांवों से मिलकर बना हुआ है इसलिए गांवों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ही वह आगे बढ़ सकता है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक गांव स्वावलंबी, स्वशासित और श्रम की प्रतिष्ठा ग्रहण कर लोकतांत्रिक स्वराज का प्रतीक बन जाए।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है और इस कारण श्रम शक्ति की उपलब्धता काफी अधिक है। इस श्रम शक्ति में अधिकांश भाग ऐसे लोगों का है जो काम के भरपूर अवसर नहीं पाते तथा जिनकी उत्पादकता अत्यधिक कम या शून्य है। भूमिहीन श्रमिक, चाहे वे कृषिगत हों, चाहे गैर कृषिगत हों, उनकी आर्थिक समस्या अत्यंत जटिल है। सच पूछा जाए तो यह श्रम शक्ति देश पर भार नहीं है, बल्कि यदि इसे कार्य करने का उचित अवसर दिया जाए तो यह देश के लिए निधि सिद्ध हो सकती है।

भारत में सबसे प्रथम आवश्यकता है, बेरोजगारी और अल्परोजगार में लगे लोगों के लिए उत्पादक कार्यों की व्यवस्था करने की। रैग्नर नर्क्से का कहना है कि कृषि पर आधारित अतिरिक्त जनसंख्या को वहां से हटाकर नए आरम्भ किए गए उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। इससे एक ओर कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा दूसरी ओर अतिरिक्त श्रम

शक्ति का उपयोग करके नई औद्योगिक इकाइओं की स्थापना की जा सकेगी। परन्तु औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रकार की अभिप्रेरणाएं और मूल्य आवश्यक हैं। वे भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं और साथ ही नए उद्योग चाहे कितनी ही तीव्र गति से क्यों न विकसित हों, भारत की लगातार बढ़ रही जनसंख्या और श्रम–शक्ति को रोजगार दिलाने में पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अतिरिक्त रोजगार, नए उद्योगों में नहीं अपितु स्वयं कृषि में ही अथवा ग्रामीण उद्योगों में खोजना होगा।

कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं

- देश में छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सहायता से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार किया जाए, इससे रोजगार में निश्चित ही वृद्धि होगी।
- फसलों में सब्जियां सबसे अधिक श्रम–प्रधान मानी गई हैं। अतः अधिक मूल्य और अधिक श्रम प्रयोग वाली फसलों अर्थात सब्जियों और फलों की पैदावार को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- 10–12 एकड़ अधिकतम जोत तय करने के पश्चात बची अतिरिक्त भूमि का छोटे तथा सीमांत किसानों में पुर्नवितरण किया जाना चाहिए।
- देश में लाखों बेरोजगार परिवारों को गैर कृषि योग्य भूमि, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जानी चाहिए।
- छोटे किसानों, सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए विकास एजेंसियों को रोजगार और स्वरोजगार के कार्यक्रम बनाने चाहिए।

ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं

- कृषि उत्पाद के संसाधन द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत सी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं : जैसे – चावल का संसाधन, रुई से बिनौले निकालना, दूध और दूध से बनी वस्तुएं तैयार करना, पटसन से वस्तुएं निर्मित करना और चीनी का उत्पादन आदि।
- बहुत से व्यक्तियों को फलों और सब्जियों की पैंकिंग, डिब्बाबंदी और संरक्षण,' मुरब्बे, अचार तथा अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने के लिए रोजगार दिया जा सकता है।
- कृषि उत्पादकों को बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने की तकनीकी संभावनाओं के विकास और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों में रोजगार की काफी गुंजाइश है। इनमें शिरा और खोई से एल्कोहल, चावल की भूसी का ईंधन के रूप में प्रयोग, शराब बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल और चावल के चोकर से तेल बनाना आदि प्रमुख हैं।
- ग्रामीण हस्तशिल्पों और कुटीर उद्योंगों के विकास द्वारा भी ग्रामीण रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इनमें कालीन, खादी, वस्त्र, दरी, खिलौने, कृषि यंत्रों के पुर्जे तथा यंत्रों के निर्माण से संबंधित उद्योग आदि शामिल हैं।

स्वाधीन भारत के सामने सबसे जटिल समस्या गांवों की दशा सुधारने की थी। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता, भुखमरी और असमानता को मिटाने तथा वहां सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने, स्थायी विकास को सुनिश्चित करने और ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 53 वर्षों में गांवों का नक्शा बदला है और आज विकास की गति में गांव भी आगे बढ़ रहें हैं लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इसलिए गांवों को स्वावलंबी और अपने आप में भरा–पूरा बनाने की दृष्टि से गांवों के सर्वांगीण विकास की दिशा में रचनात्मक पहल की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :

- भारत में ग्रामीण विकास के लिए सर्वप्रथम गांव के लोगों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, सिर्फ साक्षरता से विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षित ग्रामीण जनता ही विकास के कार्यक्रमों को भली–भांति समझकर इन्हें लागू करवाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चत कर सकती है।
- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किए जा रहे कार्यक्रमों की ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा सतत् मानिटिरिंग की जानी चाहिए।
- देश के प्रत्येक गांव में अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विकास का माडल गांव के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, तथा उसे लागू करवाने के लिए भी उन्हें ही प्रयत्नशील रहना चाहिए।
- गांव के विकास की योजनाएं बनाने से पहले परियोजना निदेशकों को क्षेत्र के स्थानीय लोगों से विचार–विमर्श करना चाहिए।
- परियोजना निदेशकों को न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सफलता, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कामकाज पर निर्भर करती है। इसके लिए इन सभी संस्थाओं को अधिक मजबूत और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में सभी प्रमुख पदों पर नियुक्ति का मापदंड रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर।
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की सभी शाखाओं में कार्य करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर करें, केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कल्पना शक्ति और लचीला दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
- ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को उचित समयावधि में पूरा करने के लिए राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर पर सर्तकता और निगरानी समितियां गठित की जानी चाहिए तथा उनकी बैठकें नियमित रूप से

(शेष पृष्ठ 43 पर)

ग्रामीण आवास योजना

सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

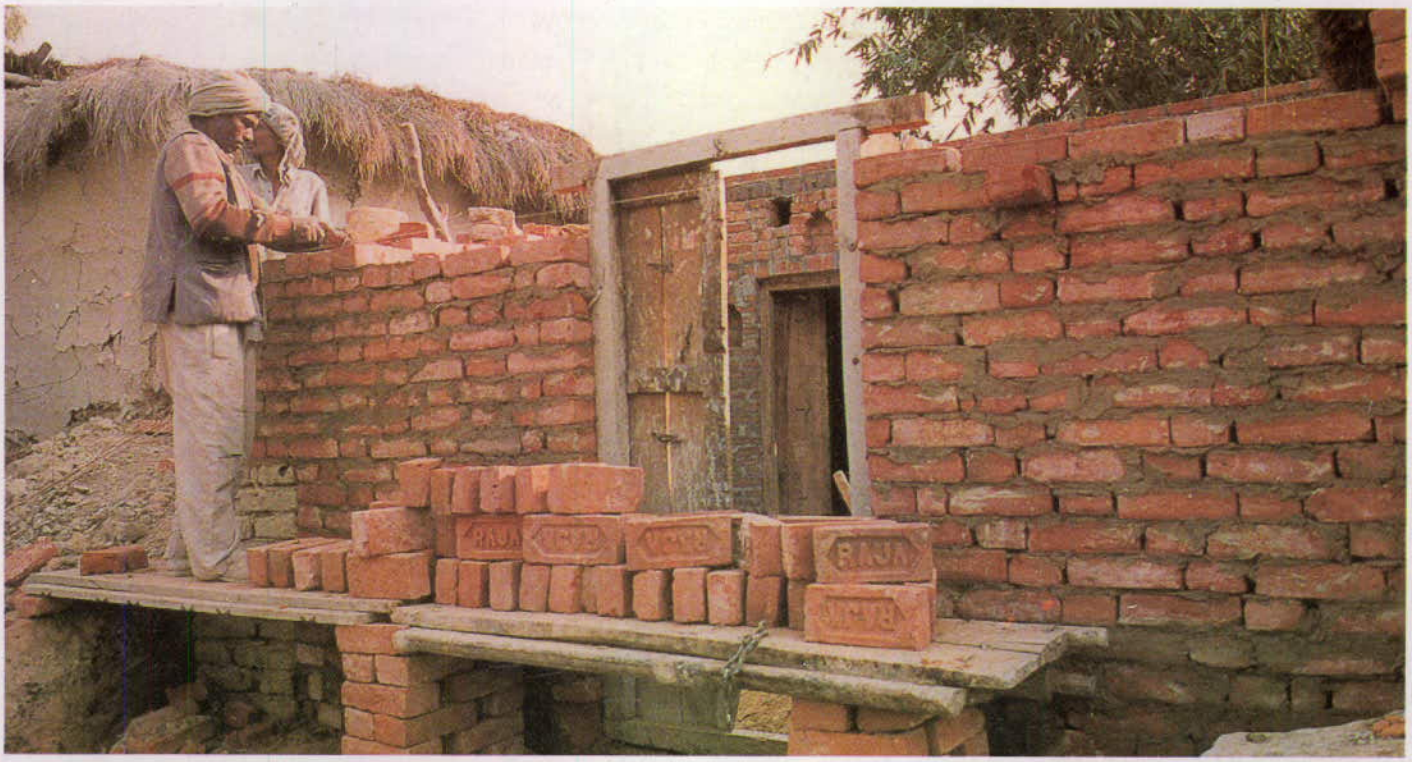

सरकार ने देश में आवास निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना के साथ–साथ एक नई योजना ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 32 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले सभी वर्गों के लोगों को अपना घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था की गई है। योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए 10,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 11,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान भी है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। आवास में स्वच्छ शौचालय और धुआंरहित चूल्हा बनाना अनिवार्य है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों के पास अपने आवास नहीं थे। वर्तमान में यह संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच जाने के अनुमान लगाए गए हैं। गांवों में इन सभी आवासविहीन परिवारों को एक निर्धारित अवधि में अपने आवास उपलब्ध कराने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी रही है। वर्ष 2000–2001 के केन्द्रीय बजट में भी इस बात की स्पष्ट झलक दिखाई देती है जिसमें सरकार द्वारा बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल 25 लाख मकान बनाने के दृढ़ निश्चय को दोहराया गया है और आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' मुहैया कराने के पुनीत उद्देश्य से 1999–2000 से भारत सरकार ने ऋण–सह–अनुदान आधारित एक अभिनव योजना 'ग्रामीण आवास योजना' के नाम से प्रारम्भ की है। सरकार का यह प्रयास है कि गांवों में रहने वाले 32 हजार रुपये तक की आय वाले सभी परिवारों को चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या समुदाय के हों, इस योजना के अंतर्गत समुचित आवासीय ऋण और अनुदान उपलब्ध कराकर उन्हें घर बनाने के लिए प्रेरित कर उनकी 'आवास' की समस्या सुलझाई जाए।

हालांकि गांवों में निवास करने वाले, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के परिवारों, अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे ऐसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों के साथ गैर अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों के लिए भी जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना नाम की अति महत्वपूर्ण योजना वर्ष 1985 से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आज तक पूरे देश में लगभग 57 लाख आवास गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों के लिए निर्मित कराकर उन्हें निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब तक इस योजना पर 9070.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2000–2001 की एक वर्ष की अवधि में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत देश में 12 लाख 70 हजार से अधिक आवास बनाने का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को और भी अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इसमें कुछ बुनियादी और व्यावहारिक संशोधन करने का भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जिससे अधिकांश ग्रामीण गरीबों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसे आवासविहीन ग्रामीण परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जो भले ही गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन नहीं कर रहे हैं लेकिन सामान्य रूप से अपनी आवास की जरूरत पूरी करने में आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हैं अर्थात, ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 32 हजार रुपये से कम है और वे अपना आवास बनाने के इच्छुक हैं, उनके लिए इस नई महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अपना आवास बनाने वालों को 40 हजार रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि वे इस राशि से अपना घर निर्मित कर सकें। इस ऋण में से लाभार्थी को सरकार ने 11 हजार रुपये तक का अनुदान देने की व्यवस्था भी निर्धारित की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को समुचित आकार–प्रकार का और टिकाऊ आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का भी प्रावधान है। इससे कम लागत में स्थानीय सामग्री के उपयोग से उत्तम प्रकार के मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को पर्याप्त तकनीकी सहायता आसानी से उपलब्ध भी हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 13 लाख ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसे आवासविहीन ग्रामीण परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जो भले ही गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन नहीं कर रहे हैं लेकिन सामान्य रूप से अपनी आवास की जरूरत पूरी करने में आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हैं।

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में *आदर्श आवास प्रदर्शन केंद्र* स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पन्द्रह लाख रुपये तक का यह अनुदान किसी भी ऐसे स्वयंसेवी संगठन को दिया जाएगा जो सरकार और ग्रामीण लोगों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर गांव के लोगों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए आगे आएगा। इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी मकानों में स्वच्छ शौचालय तथा निर्धूम चूल्हे बनाने पर भी जोर दिया जाएगा ताकि वहां के वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्द्धक बनाया जा सके। इसके साथ ही इससे जलाऊ लकड़ी के उपयोग में भी कमी आएगी। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवास पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो सकेंगे।

योजना की विशेषताएं

ग्रामीण आवास योजना सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली ऐसी विशिष्ट आवासीय योजना है जिसमें सभी वर्गों के ग्रामीण अपनी आवासीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। संक्षेप में इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे सभी लोगों के लिए लागू की गई है जिनके पास अपने मकान नहीं हैं और वे अपने मकान बनाने के इच्छुक हैं। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए एक अनुपम योजना है।
- इस योजना को 'ऋण सह–अनुदान' आधार पर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने

का निर्णय लिया गया है जिसमें मकान बनाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाएगा तथा सरकारी अनुदान भी लाभार्थियों को प्राप्त होगा।

- इस योजना में आवासविहीन ग्रामीण परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 40 हजार रुपये तक का ऋण सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और इसको दीर्घ अवधि ऋण के रूप में आसान किस्तों में वसूल किया जा सकेगा।
- योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण में से लाभार्थियों को मैदानी भागों में 10 हजार रुपये तक का सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनके द्वारा आवास बनाने हेतु लिए गए 40 हजार रुपये के ऋण में से उन्हें मात्र 30 हजार रुपये ही बैंकों को वापस करने होंगे और शेष 10 हजार रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को मकान बनाने के लिए, लिए गए ऋण में से 11 हजार रुपये का सरकारी अनुदान अनुमन्य रहेगा अर्थात उन्हें 40 हजार रुपये में से केवल 29 हजार रुपये बैंक को वापस करने होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों में स्वच्छ शौचालय आवश्यक रूप से बनाने की व्यवस्था की गई है ताकि मकानों के आस–पास वातावरण स्वच्छ रखा जा सके और लाभार्थी परिवारों को सुविधा भी रहे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई को सीमित करने और वहां जलाऊ लकड़ी के न्यूनतम उपयोग हेतु ऐसे मकानों में निर्धूम चूल्हे बनाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे गांवों के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद मिल सकेगी।
- इस विशिष्ट ग्रामीण आवासीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को नवीन प्रौद्योगिकी सुलभ कराने की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस योजना में बनाए जाने वाले आवासों को कम कीमत वाली स्थानीय सामग्री के प्रयोग से अधिक से अधिक टिकाऊ और आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार–प्रसार की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- इस योजना के भली–भांति संचालन हेतु इसमें स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार द्वारा और सम्बन्धित क्षेत्रों में चुने हुए कार्यरत उत्तम कोटि के स्वयंसेवी संगठनों को चिन्हित करके उनसे *आदर्श आवास प्रदर्शन केन्द्र* स्थापित कराने की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में *आदर्श आवास प्रदर्शन केंद्र* स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- चुने हुए स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में *आदर्श आवास प्रदर्शन केन्द्रों* की स्थापना के लिए प्रत्येक को 15 लाख रुपये तक का आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा ताकि वे सुविधापूर्वक ये केन्द्र गांवों में स्थापित कर सकें।
- इस योजना के अंतर्गत आवासविहीन लोगों द्वारा सस्ते, टिकाऊ और उपयोगी यानी आदर्श मकान बनाकर लोगों को दिलवाए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे आदर्श मकान सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार कराए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय कारीगरों को सस्ते, उपयोगी और टिकाऊ मकान बनाने के सम्बन्ध में उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वे कम कीमत में उपयोगी मकान बनाने में सक्षम हो सकें।
- यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदत्त आर्थिक अनुदान का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती है।

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु पात्रता

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गांवों में मकान बनाने हेतु ऋण और सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं :

- इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का ही निवासी होना चाहिए अर्थात यह योजना गांव के लोगों के लिए ही चलाई जा रही है।
- लाभार्थी के पास अपना मकान नहीं होना चाहिए अर्थात यह योजना आवासविहीन लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित की गई है।
- इस योजना में केवल वही ग्रामीण लोग मकान बनाने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी कुल 32 हजार रुपये से अधिक नहीं है अर्थात यह योजना अधिक सम्पन्न लोगों के लिए न होकर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही है।
- योजना में निर्धारित आय सीमा वाले किसी भी जाति, धर्म, वर्ग और श्रेणी के लोग मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण और सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत मकान बनाने हेतु गरीब और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को वरीयता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना के अंतर्गत अनुमन्य लाभ

ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं :

- निर्धारित पात्रता रखने वाले लोगों के लिए मकान बनाने के लिए 40 हजार रुपये तक का बैंक से ऋण सरकार द्वारा मंजूर कराया

जाता है जिसे लाभार्थी द्वारा गांव में अपना मकान बनाने हेतु प्रयोग करना अनिवार्य है।

- लाभार्थी को प्राप्त 40 हजार रुपये के ऋण में से सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्र के ग्रामीणों को 10 हजार रुपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जाता है अर्थात उन्हें 40 हजार के ऋण में से केवल 30 हजार वापस लौटाना होता है।
- पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों को प्रदत्त 40 हजार के आवासीय ऋण में से 29 हजार रुपये वापस करने होते हैं अर्थात उन्हें कुल 11 हजार रुपये तक का सरकारी अनुदान अनुमन्य है।
- इस योजना में लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋण की वापसी आसान किस्तों में किए जाने की व्यवस्था की गई है और लम्बी अवधि में इस ऋण को वापस किया जा सकता है।
- मकान बनाने के लिए तकनीकी सहायता सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। ये चुने हुए स्वयंसेवी संगठन सभी आवश्यक तकनीकी सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध कराएंगे।
- लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों में स्वच्छ शौचालय और निर्धूम चूल्हे बनाने हेतु सभी आवश्यक जानकारी और वांछित सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ताकि इन मकानों में स्वच्छ शौचालय तथा निर्धूम चूल्हे कम व्यय में आवश्यक रूप से बनाए जा सकें।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिशीघ्र *आदर्श आवास प्रदर्शन केन्द्र* स्थापित किए जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि लाभार्थी स्थानीय निर्माण सामग्री के समुचित प्रयोग से कम लागत में टिकाऊ और आकर्षक मकानों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकें और तद्नुसार नवीन तकनीकी पर आधारित अधिक आकर्षक, सस्ते, उपयोगी और टिकाऊ मकान निर्मित करा सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की भयंकर कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त ग्रामीण आवास योजना आवासीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना कही जा सकती है। इस योजना के क्रियान्वयन से ऐसी आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर ग्रामीण आवास योजना को संचालित किया गया है, यदि योजना के क्रियान्वयन से जुड़े हुए लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ तो निश्चित ही यह योजना अत्यन्त उपयोगी साबित होगी। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न विकास योजनाओं के सापेक्ष यदि ग्रामीण आवास योजना पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ ऐसी विशेष व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं जिससे योजना की सफलता की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। ग्रामीण आवास योजना में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किए जाने से, भवन निर्माण में कम लागत की प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय निर्माण सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में अनुदान, पंचायतों की भागीदारी आदि ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिससे काफी हद तक योजना भली–भांति क्रियान्वित होने की आशा की जा सकती है।

इस योजना के समुचित रूप से क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य एक विशेष बिन्दु यह है कि इस योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की अपरिहार्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। योजना में आवासीय ऋण बैंकों द्वारा सीधे लाभार्थियों को प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है और ग्रामीण विकास की विभिनन योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बैंकों को विशेष निर्देश प्रदान करने के साथ–साथ सम्बन्धित बैंक कर्मियों को उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने, ग्रामीण जनता और लाभार्थियों को भरपूर सहयोग प्रदान करने तथा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में उनके द्वारा पर्याप्त सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें हर स्तर पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था किया जाना उपयोगी हो सकता है। इससे इस योजना की सफलता पर निश्चित रूप से रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को विकासोन्मुखी बनाने की चेष्टा भी करनी चाहिए अथवा आज बदले हुए परिवेश के अनुरूप निजी बैंकों को भी अपनी समुचित भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित किया जाना श्रेयस्कर हो सकता है। अतः इस बिन्दु पर भी विचार किया जाना उपयोगी होगा। ❑

कुरुक्षेत्र का वार्षिक अंक

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक यानी अक्तूबर 2000 अंक पत्रिका का वार्षिक अंक होगा। इस अंक के जरिये यह समीक्षा करने का प्रयास किया जाएगा कि स्वाधीनता–प्राप्ति के बाद गरीबी दूर करने, निरक्षरता समाप्त करने, ग्रामीण को स्वच्छ पेयजल, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, सड़कें, बिजली और संचार सुविधाएं मुहैया कराने जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम और योजनाएं कितने सार्थक और कारगर सिद्ध हुई हैं।

अंक में इन विषयों के जाने–माने विद्वान, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, पत्रकार और क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रंगीन चित्रों से सुसज्जित 72 पृष्ठ के इस संग्रहणीय अंक का मूल्य होगा मात्र 15 रुपये।

आप अभी से अपने समाचार पत्र विक्रेता से अपनी प्रति सुरक्षित करा लीजिए अथवा निम्न पते पर सम्पर्क कीजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,
ईस्ट ब्लाक 4, लेवल 7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066. फोन : (011) 6105590

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार के लिए आलेख आमंत्रित

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अपने स्थापना दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में अगले वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। इस सेमिनार का विषय है "विकेन्द्रीकृत ग्रामीण विकास के लिए उभर रहे नए संस्थान"। इस सेमिनार में बड़े–बड़े विद्वान, प्रशासक, नीति–निर्माता और अन्य वे लोग, जो देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र से जुड़े हैं, भाग लेंगे।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

73वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों के अनुरूप लगभग सभी राज्य सरकारों ने पंचायती राज्य संस्थाओं का गठन कर लिया है और उन्हें शक्तियां तथा अधिकार भी हस्तांतरित कर दिए हैं। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें शक्तियां और अधिकार हस्तांतरित करने, स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने आदि के बारे में कई प्रयोग चल रहे हैं परन्तु इस दिशा में कुछ राज्यों ने जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। साथ ही विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर बनाने और चलाने के लिए अन्य स्थानीय संस्थाओं को भी सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी कदमों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को नया बल मिला है।

इस सेमिनार में उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी जो विकेन्द्रीकृत ग्रामीण विकास के लिए उभर रहे नए संस्थानों से संबंधित हैं और संस्थानों के गठन के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में सिफारिशें की जाएंगी।

महत्वपूर्ण विषय

1. ग्रामीण संस्थान और ग्रामीण विकास नीतियां
2. ग्रामीण संस्थान और विकेन्द्रीकृत आयोजन
3. नए उभर रहे ग्रामीण विकास संस्थानों का स्वरूप–औपचारिक और अनौपचारिक
4. ग्रामीण संस्थान में क्षमता–निर्माण।

इन विषयों में रुचि रखने वाले लेखक उपर्युक्त में से किसी विषय पर अपने आलेख भेज सकते हैं।

आलेख अंग्रेजी में डबल स्पेस में ए–4 साइज कागज पर एक तरफ टाइप किए हुए हों और सारणियों/चार्टों, रेखाचित्रों, परिशिष्टों और संदर्भों सहित 30 पृष्ठों से अधिक के न हों। आलेखों को एम.एस. वर्ड 98 पर 1.4 एम.बी. या 3.5 इंच की फ्लोपी पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें उस संस्थान का नाम, जिससे जुड़े हैं, ई–मेल सहित पत्र व्यवहार का पता और 200 शब्दों तक का एबस्ट्रेक्ट भी शामिल हो।

एबस्ट्रेक्ट प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 15 सितम्बर 2000
पूरा आलेख प्राप्त करने की आखिरी तारीख : 15 नवम्बर 2000

सभी आलेखों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए स्वीकृत शोध पर उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। कुछ आलेखों को पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया जाएगा। अनुरोध पर कुछ चुने हुए भाग लेने वालों को यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। आलेख डा. एस.पी. जैन, को–आर्डिनेटर, फाऊंडेशन डे सेमिनार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर हैदराबाद – 500030 को भेजे जाएं।

ई–मेल : spj@nird.ap.nic.in&spjain40@hotmail.com
टेलीफोन : (कार्यालय) : 040–4015741, निवास : 040–4015756, फैक्स : 4016500/4015277
टेलीफैक्स : 040–4015741

क्या जरूरी है 87वां संविधान संशोधन विधेयक

मंजु पवार

73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में 22 दिसम्बर 1992 को पारित हुआ था। इसके सात वर्षों के बाद सरकार ने 87वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया। दुर्भाग्य से संविधान की धारा 243(छ) को ध्यान में रखकर पंचायतों को और अधिक शक्तियां तथा अधिकार देने की बजाय 87वां संविधान संशोधन धारा 243 ग को बदलने के लिए राज्य सभा में पेश किया गया। धारा 243 ग पंचायतों के सदस्यों तथा अध्यक्षों के चुनाव के बारे में है। पंचायतों के लगभग आधा दशक के कार्य के मूल्यांकन से नजर आता है कि पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं बनने की बजाय राज्य सरकारों की मात्र एज़ेन्सियां बन कर रह गई हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999–2000 को *ग्राम सभा वर्ष* घोषित कर पंचायतों को मजबूत करने की कोशिश की।

87वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने की बजाय पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्षों के बारे में है, इसलिए इसकी समीक्षा करना जरूरी हो जाता है कि यह किस ध्येय से संसद में लाया गया और यदि यह पारित हो जाता है तो इसका पंचायती राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तुत लेख दो भागों में बंटा हुआ है। प्रथम भाग में 243ग के प्रावधानों, 87वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के साथ–साथ 73वें संविधान संशोधन से संबंधित संसद की संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों के विचार दिए गए हैं। लेख के दूसरे भाग में 87वें संविधान संशोधन का पंचायती राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा इसका अध्ययन किया गया है।

भाग – एक

धारा 243ग के प्रावधान

87वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान की धारा 243ग की उपधारा 2 के बाद इस प्रकार स्थापित होगा :

"(2क) (2) में राज्य विधान मंडल, विधि द्वारा यह उपबंध कर सकेगा कि (क) मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के सभी स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो उस मध्यवर्ती स्तर के पंचायत क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के रूप में निर्वाचित हुए हैं;

(ख) जिला स्तर पर सभी स्थान ऐसे राज्य, जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो उस जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के रूप में निर्वाचित हुए हैं; और

(ग) जिला स्तर पर सभी स्थान ऐसे राज्यों, जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के रूप में निर्वाचित हुए हैं।"

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात "(5) ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला ,स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित की जाए, किया जाएगा।"

उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधानों से निम्न बातें सामने आती हैं:

(1) वर्तमान में ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने का प्रावधान है। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यह राज्य के विधान मण्डल पर छोड़ा जा रहा है कि ऐसा कानून बनाए कि नीचे स्तर अर्थात ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्य स्तर अर्थात पंचायत समिति का सदस्य हो। इसी प्रकार मध्य स्तर का यानी पंचायत समिति का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य हो। दूसरे शब्दों में मध्य तथा जिला स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा।

(2) वर्तमान प्रावधान के अनुसार मध्य स्तर तथा उच्च स्तर के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। लेकिन प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार दोनों स्तरों के अध्यक्षों का चुनाव ऐसी रीति से होगा जैसा राज्य विधान मंडल के सदस्य चाहेंगे।

स्पष्ट है कि 243ग में मध्य स्तर तथा उच्च स्तर के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान राज्य विधान मंडल पर छोड़ा जा रहा है। इसी तरह इन दोनों स्तरों पर अध्यक्षों का चुनाव, जो चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना अनिवार्य था, अब वह भी राज्य विधान मंडल पर छोड़ा जा रहा है। इस तरह का संशोधन लाने के पीछे विधेयक के उद्देश्य और कारणों के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं:

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 संविधान में पंचायतों के कतिपय आधारभूत और सारभूत लक्षण समाविष्ट करने और उन्हें निश्चितता, निरंतरता और मजबूती प्रदान करने की अपरिहार्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा यह पाया गया कि एक तरफ मध्यवर्ती स्तर और

जिला स्तर पर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के पास निर्वहन किए जाने के लिए कोई सारभूत कार्य नहीं होते जबकि दूसरी ओर ग्राम और मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों के अन्य प्रतिनिधियों को उच्चतर स्तर पर अध्यक्षों के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं दी गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतों के तीनों स्तरों निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर पर निर्वाचित सदस्यों के बीच ठोस संगठनात्मक संबंध न होना असुविधाजनक पाया गया है।
- ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष क्रमशः मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों में किसी प्रभावी भूमिका से वंचित किए गए महसूस कर रहे हैं।
- राज्य विधान मण्डलों को ग्राम स्तर पर अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है किन्तु उनको मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के निर्वाचनों के लिए विधि बनाने का ऐसा कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है।
- यह आवश्यक समझा गया कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी स्थानों को ग्राम स्तर की पंचायतों और मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने का विवेकाधिकार राज्यों के विधान मंडलों को दिया जाए और विवेकाधिकार ऐसी रीति से प्रदान किया जाए जिसमें मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाएंगे।

उपर्युक्त उद्देश्यों पर टिप्पणी करने से पहले एक नजर संविधान (72वां संशोधन) विधेयक 1991 की संयुक्त समिति के इस मुद्दे पर व्यक्त विचारों पर डालें। "समिति नोट करती है कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुनावों से संबंधित मामला बहुत महत्वपूर्ण है ..... समिति का विचार है कि निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायत में किसी भी स्तर पर सभी पद प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा भरे जाने चाहिए"। समिति ने यह भी महसूस किया "ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाना चाहिए तथा मध्य स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन

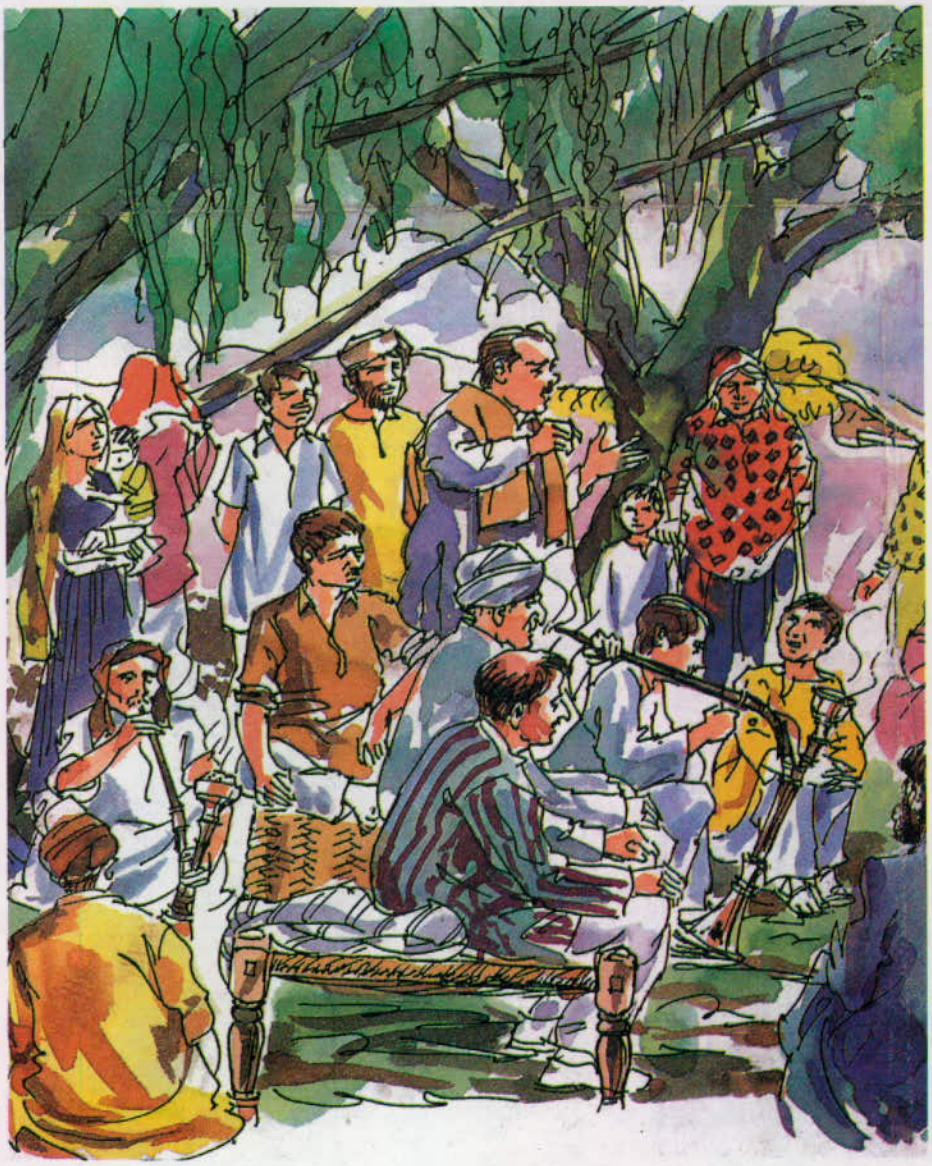

द्वारा चुना जाना चाहिए"।

संयुक्त समिति के दो सदस्य श्री सुधीर राय तथा दीपेन घोष ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुनने के प्रावधान पर टिप्पणी इस प्रकार की थी "हम किसी भी स्तर पर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पक्ष नहीं लेते क्योंकि इसमें संयोगवश विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे हो सकता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना गया अध्यक्ष पंचायत के निकाय के सदस्यों का बहुमत/समर्थन प्राप्त न कर सके अतएव हम प्रस्ताव करते हैं कि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन इसके चुने हुए सदस्यों में से इन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों के मामले में खंड 243ग (5) (ख) में उपबंध किया गया है।"

उपर्युक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर संयुक्त समिति की 11 जून 1992 में हुई बैठक में पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव के बारे में संयुक्त समिति के अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा ने कहा कि ऐसी राय उभर कर आई है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य दोनों स्तरों पर पंचायतों का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों में से उनके द्वारा ही चुना जाना चाहिए।

उपर्युक्त संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1 दिसम्बर 1992 को लोक सभा में पेश किया गया था।

भाग – दो

अब 87वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि कहां तक इसके उद्देश्य खरे उतरते हैं।

विधेयक द्वारा यह तर्क देना सहीं नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतों के तीनों स्तरों यानी ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर निर्वाचित सदस्यों के बीच ठोस संगठनात्मक संबंध होने के कारण असुविधा हो रही है। क्योंकि धारा 243ग (3) में प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की मध्य स्तर पंचायत की सदस्यता तथा मध्य स्तर पंचायत के अध्यक्ष की उच्च स्तर पंचायत की सदस्यता का प्रावधान कर सकता है। यही नहीं, इस धारा की उपधारा (घ) में सांसद और विधायक को भी मध्य स्तर और उच्च स्तर का सदस्य बनाने का प्रावधान है।

इस प्रावधान को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों ने ग्राम स्तर के अध्यक्ष को मध्य स्तर पर मध्य स्तर के अध्यक्ष को उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया है। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि पंचायतों के तीनों स्तरों में तारतम्य नहीं है।

वास्तव में सारी समस्या अधिकार और शक्तियां प्रदान करने के बारे में है। धारा 243 (घ) 73वें संविधान संशोधन में निहित सम्पूर्ण विकेन्द्रीकरण का दिल और दिमाग है क्योंकि यह राज्यों के विधानमंडल को कहता है कि वे पंचायतों को इतनी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे कि वे स्वायत्त शासन की संस्थाएं बन सकें। लेकिन राज्यों ने नहीं के बराबर अधिकार तथा शक्तियां पंचायतों को हस्तांरित की हैं जिसके कारण चुने प्रतिनिधियों में रोष है और जैसे–जैसे उनमें जागरूकता बढ़ रही है वैसे–वैसे वे और अधिकार तथा शक्तियों की मांग सरकार से कर रहे हैं। वास्तव में इस संशोधन के पीछे मंशा यह है कि प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि तो अधिक अधिकारों की मांग करेंगे और अन्ततः सत्ता का हस्तांतरण उनके पक्ष में करना पड़ेगा। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ही कम कर दी जाए। इसके अलावा यह बात भी समझ से बाहर है कि अधिकार और शक्तियों की बात मध्य स्तर तथा उच्च स्तर तक ही क्यों है। निम्न स्तर पर भी तो अधिकार तथा शक्तियों का ऊपर के स्तरों जैसा ही हाल है। उनके अधिकारों की चिंता क्यों नहीं है?

वास्तव में पंचायतों के विभिन्न सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन होना आवश्यक है।

दरअसल जो प्रावधान पंचायतों के दोनों स्तर (मध्य व उच्च) के लिए हों वही निम्न स्तर के लिए भी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में संशोधन मध्य और उच्च स्तर पर करने की बजाय निम्न स्तर पर होने चाहिए अर्थात ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए।

87वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है

87वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है पंचायती राज व्यवस्था के मध्य और उच्च स्तर पर प्रतिनिधियों को कम करना ताकि विकेन्द्रीकरण की आवाज नीचे के स्तर से कम उठे। देखते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं।

राज्यों का पंचायतों के प्रति असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य तथा उच्च स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा क्योंकि निचले स्तर के अध्यक्ष ही अपने ऊपर के स्तर के सदस्य बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो डा. जार्ज मैथ्यू के अनुसार पंचायतों में लगभग तीन लाख चुने प्रतिनिधि कम हो जाएंगे जिनमें लगभग एक लाख महिलाएं होंगी। इन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि तीन लाख में से लगभग 66,000 प्रतिनिधि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के होंगे जिनमें 22,000 महिलाएं इन वर्गों की होंगी।

एक तरफ सरकार वर्ष 2000–2001 को *महिला सशक्तिकरण वर्ष* के रूप में मना रही है, दूसरी तरफ इस तरह का ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो महिलाओं की राजनीतिक शक्ति को कम करता है।

प्रिया सामाजिक संस्था ने छह राज्यों के अध्ययन के बाद पंचायती राज की 'बेलेन्स शीट' निकाली है। इस 'बेलेन्स शीट' के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायतों में आने के बाद परिवार में उनके प्रति रुख में सुधार पाया है। यह महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण का बहुत सकारात्मक प्रभाव है। अगर उनकी संख्या कम हो जाती है तो यह महिला सशक्तिकरण के विपरीत होगा।

पंचायतों के माध्यम से पिछड़े तथा दलित समाज को जो राजनैतिक स्थान मिला है उसका निचले स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन वर्गों में कुछ जागरूकता आई है। यह सत्य है कि शुरू–शुरू में इन कमजोर वर्गों तथा स्थापित वर्गों में टकराव हुआ है और अभी भी हो रहा है लेकिन साथ–साथ 'उच्च जातियों' और 'निम्न जातियों' के बीच सामंजस्य भी स्थापित होता जा रहा है। उच्च जातियां यह महसूस कर रही हैं कि लोकतंत्र में टकराव से नहीं, आपस में राजनैतिक समीकरण बिठाकर ही काम चलता है। निम्न वर्ग पंचायतों के माध्यम से राजनीति का 'क ख ग' सीख रहे हैं। अतः अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो वह लोकतंत्र को नीचे स्तर पर कमजोर करेगा जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर 73वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से अनुसूचित जनजाति वर्ग अपनी गरिमा नहीं प्राप्त कर सका है। इनमें एक कारण इन वर्गों का पंचायतों में प्रतिनिधित्व कम होना है। इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या कम करना 73वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों के विपरीत है।

निष्कर्ष:

विधेयक में *उद्देश्यों और कारणों के कथन* में सही कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में निश्चितता, निरंतरता और मजबूती प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अमल में लाया गया था। अभी तक के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में निश्चितता तथा निरंतरता तो आई है लेकिन अभी मजबूती आनी बाकी है। इसलिए पंचायतों के सदस्य और अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाने पर ऊर्जा विनियोग करने की बजाय पंचायतों को मजबूत करने की आवश्यकता है, उनको मात्र एजेन्सी बनाने की जगह तीसरे स्तर की सरकार बनाने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है उनको सीधे–सीधे कार्य, वित्त शक्तियों और कर्मचारियों का हस्तांतरण करना। इसी से तीनों स्तरों में ठोस संगठनात्मक संबंध स्थापित होंगे, विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था मजबूत होगी और अंततः इसी से सशक्त होगा हमारा लोकतंत्र। ❑

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और मध्य प्रदेश

संजय त्रिपाठी

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना का उद्देश्य गांवों में छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करके ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम पहले से चल रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विलय करके पहली अप्रैल 1999 से शुरू किया गया है। इस लेख में कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई है।

आर्थिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है। यहां अधिकांशतः जनता गांवों में निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76.80 था। उल्लेखनीय है कि देश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक आबादी भी मध्यप्रदेश में ही है। यहां कुल जनसंख्या के 23.27 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

वैसे पूरे भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनता गांवों में ही निवास करती है। ग्रामीण जनता के आर्थिक सुधार के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही नई–नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। परंतु आज भी गांवों की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति में आशानुकूल परिवर्तन नहीं हुए हैं तथा अभी भी अधिकांशतः ग्रामीण जनता की जिंदगी शोचनीय बनी हुई है। इस देश में मान्यता है कि गांव भारत की आत्मा हैं और राष्ट्र उसका शरीर। इसलिए संपूर्ण शरीर की उन्नति आत्मा की स्वस्थ स्थिति पर निर्भर है। गांधीजी भी कहा करते थे, "भारत का हृदय गांवों में बसता है, गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है।"

बहरहाल गांवों की महत्ता और गरीब ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहली अप्रैल 1999 को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरु किया है। यह योजना गांवों के गरीबों के लिए एकमात्र स्वरोजगार योजना है और पहले के तमाम स्वरोजगार तथा इससे संबंधित कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सिटरा, गंगा कल्याण योजना, और दस लाख कुओं की योजना का सरकार ने नई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया है। इस नई योजना के निर्माण में पिछले सभी स्वरोजगार कार्यक्रमों की खूबियों और खामियों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए इस योजना से गांवों की गरीब जनता को काफी आशा है।

वर्ष 1999–2000 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यक्रम का पहला वर्ष था। इसलिए योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां की गईं। कार्यक्रम के

दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों, बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। दिसम्बर 1999 तक की प्रगति रिपोर्ट (राज्यों से प्राप्त) में 256.96 करोड़ रुपये का व्यय तथा कुल 247.11 करोड़ रुपये की ऋण उगाही हो चुकी थी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सुन्दर लाल पटवा समेत इस मंत्रालय के अनेक अधिकारियों ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन का भरसक प्रयास किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों की देखरेख में स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना ने मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश के रायपुर, रायगढ़, धार, इंदौर, खरगौन, छिंदवाड़ा, गुना, मंदसौर, सागर, भिण्ड, सरगुजा, भोपाल, राजनदगांव, जबलपुर और झाबुआ में 'स्वसहायता समूहों' के गठन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2000 तक प्रदेश में 16,690 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया किन्तु एक महीने के अन्तराल में ही यानी मार्च 2000 तक यह आंकड़ा 22,000 तक पहुंच गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार, खासकर मध्य प्रदेश, इस योजना को लागू करने में कितने जागरूक हैं। भिण्ड जिले में वर्ष 1999–2000 में कुल 300 स्वसहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया था लेकिन फरवरी 2000 तक 137 समूहों का गठन (45.67 प्रतिशत) हो चुका था। इसी प्रकार अन्य जिलों का भी प्रगति चार्ट पेश किया जा रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से मध्य प्रदेश का कौन–सा जिला कितना लाभान्वित हुआ, इसके पहले इस योजना के तकनीकी पक्ष, उद्देश्य, लक्ष्य समूह और विशेषताओं को समझना आवश्यक होगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करके गरीब लोगों को सक्षम बनाना है। ऐसी धारणा है कि भारत के ग्रामीण गरीबों में क्षमता की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त हो जाए तो वे उत्तम वस्तुओं तथा सेवाओं के सफल निर्माता बन सकते हैं। इस योजना के पीछे मूल सोच यही है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों को "स्वरोजगारी" कहा जाता है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इसके अंतर्गत सहायता पाने वाला प्रत्येक परिवार तीन साल में गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएगा। इसलिए इस योजना का सुस्पष्ट उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में प्रत्येक विकास खंड के 30 प्रतिशत गरीब लोगों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण लोगों में भी सबसे कमजोर लोगों को सहायता देना इस योजना का लक्ष्य है। योजना के नियमानुसार स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत विकलांग होने चाहिए।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का

छोटे–छोटे उद्योगों से पर्याप्त आय प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य पहलू सामूहिक सोच है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को एक स्व सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण करना है। महिलाओं को स्व–सहायता समूह में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट महिला समूहों का भी गठन किया जाता है। ज्ञात हो कि विकास खंड स्तर पर समूहों में कम से कम 50 प्रतिशत केवल महिला समूह ही होने चाहिए।

इस योजना में गतिविधि समूहों पर जोर दिया गया है। लोगों के व्यावसायिक कौशल, संसाधनों तथा बाजार की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रत्येक विकास खंड के लिए चार–पांच मुख्य गतिविधियों का चुनाव किया जाता है। इन गतिविधियों का चुनाव विकास खंड स्तर पर पंचायत समितियों और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत सहायता का बड़ा हिस्सा गतिविधि समूहों को ही मिलता है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऋण सह सब्सिडी पर आधारित योजना है। इसमें ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है जबकि सब्सिडी सिर्फ एक लघु तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। इसलिए इसमें बैंकों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। परियोजनाओं की योजना सक्रियता समूह की पहचान, स्व–सहायता समूहों की गतिविधियों का चयन, व्यक्तिगत स्वरोजगारी का चयन, ऋणपूर्व तथा ऋण देने के बाद की गतिविधियों तथा ऋण की उगाही में बैंक ही प्रमुख भूमिका है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये तक हो सकती है। किन्तु अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सब्सिडी की दर 50 प्रतिशत और अधिकतम राशि भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाती है। स्वरोजगारी समूह (स्वसहायता समूहों) के लिए सब्सिडी परियोजना को 50 प्रतिशत रखा गया है, बशर्ते यह सीमा 1.25 लाख से अधिक नहीं हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों के कौशल के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक स्वरोजगारी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का इंतजाम भी किया जाता है।

ऐसी धारणा है कि भारत के ग्रामीण गरीबों में क्षमता की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें सही मार्ग–दर्शन एवं सहायता प्राप्त हो जाए तो वे उत्तम वस्तुओं एवं सेवाओं के सफल निर्माता बन सकते हैं।

वित्तपोषण

इस कार्ययोजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में खर्च उठाती हैं। राज्यों में गरीबी की गंभीरता को देखते हुए निर्धारित केंन्द्रीय आवंटन का वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम–स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का अनुमान लगाया गया।

लागू करनेवाली एजेंसी

इस योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आयोजना निगरानी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बैंकों, स्वयंसेवी संगठनों एवं जिले की तकनीकी संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर अनेक लघु उद्योगों की स्थापना करना है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं जैसे ग्रामीण गरीबों के स्वसहायता समूहों का गठन करना, ऋण, प्रौद्योगिकी, ढ़ांचागत सुविधा तथा विपणन।

पहले बताया जा चुका है कि वर्ष 1999–2000 इस योजना के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। इस वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए (पूरे देश हेतु) 1215 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आवंटन स्वीकृत है। किन्तु वर्ष 2000–2001 के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए पहले से कम 1,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं। इस प्रकार पिछले साल की अपेक्षा मौजूदा वर्ष के लिए 215 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है। इस कटौती पर ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा ने चिंता जाहिर करते हुए आवंटित राशि में बढ़ोतरी की भी मांग की है।

वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2000–2001 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए राशि में कटौती के बावजूद यह योजना पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही है। खासकर मध्यप्रदेश में इस योजना की प्रगति का ग्राफ काफी सराहनीय है। प्राप्त सरकारी आकड़ों के मुताबिक फरवरी 2000 तक मध्य प्रदेश में 67,174 स्वरोजगारियों का गठन हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2000 तक मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सबसे अधिक 8,092 स्वरोजगारियों को लाभ पहंचा। इन स्वरोजगारियों में स्वसहायता समूहों के साथ अकेले स्वरोजगारी भी शामिल हैं। रायपुर जिले के बाद सबसे अधिक खरगोन जिले में 6,878 स्वरोजगारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले सागर में 3,640, रायगढ़ में, 3,489 छिन्दवाड़ा में 3,563, इंदौर में 3,016, भोपाल में 620, रतलाम में 1,000, दतिया में 154 तथा झाबुआ में सिर्फ 20 स्वरोजगारियों को सहायता प्राप्त होने की सूचना दी गई है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ, बिलासपुर, शहडोल, दतिया, बस्तर आदि क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों के गठन में आशानुकूल सफलता नहीं मिली। इसलिए इन क्षेत्रों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार को अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। यहां स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से जुड़ी कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी (मध्य प्रदेश संदर्भ) के नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में फरवरी 2000 तक स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	जिला	आवंटन			रिलीज			फरवरी तक अवशेष	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	फरवरी तक कुल निधियों का व्यय प्रति.	कुल आवंटन का व्यय प्रति. (लाख रु. में)
		केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
म.प्र.	मध्यप्रदेश, फरवरी 2000											
1.	बालाघाट	224.99	74.995	299.98	112.49		112.49	17.15	133.27	35.35	26.52	11.78
2.	बस्तर	719.99	239.997	959.99	360.00		360.00	513.95	890.60	205.39	23.06	21.40
3.	बेतुल	224.99	74.995	299.98	112.49		112.49	1.73	310.64	96.50	31.06	32.17
4.	भिंड	135.00	45.000	180.00	67.49		67.49	154.24	221.73	47.92	21.61	26.62
5.	भोपाल	45.00	15.000	60.00	65.80		65.80	58.93	126.80	34.35	27.09	57.25
6.	बिलासपुर	562.49	187.496	749.98	551.17		551.17	202.27	765.27	366.77	47.93	48.90
7.	छतरपुर	179.99	59.995	239.98	179.08		179.08	108.70	288.52	87.50	30.33	36.46
8.	छिंदवारा	247.49	82.495	329.98	243.24		243.24	80.26	352.08	68.77	19.53	20.84
9.	दमोह	157.50	52.500	210.00	234.80		234.80	85.15	319.95	139.20	43.51	66.29
10.	दतिया	45.00	15.000	60.00	33.69		33.69	25.80	59.49	12.71	21.37	21.18
11.	देवास	135.00	45.000	180.00	115.64		115.64	91.99	211.97	118.90	56.09	66.05
12.	धार	292.49	97.495	389.98	438.73		438.73	59.86	498.59	139.96	28.07	35.89
13.	दुर्ग	269.99	89.995	359.98	269.99		269.99	69.82	359.30	85.51	23.80	23.75
14.	गुना	202.49	67.495	269.98	101.25		101.25	87.53	326.92	64.17	19.63	23.77
15.	ग्वालियर	112.50	37.500	150.00	56.25		56.25	68.70	124.95	47.62	38.11	31.75
16.	होशंगाबाद	224.99	74.995	299.98	112.49		112.49	150.54	263.03	29.66	11.28	9.89
17.	इंदौर	90.00	30.000	120.00	44.96		44.96	118.39	163.35	83.51	51.12	69.59
18.	जबलपुर	292.49	97.495	389.98	288.18		288.18	5.69	293.87	69.00	23.48	17.69
19.	झाबुआ	270.00	90.001	360.00	405.01		405.01	−199.67	205.34	136.16	66.31	37.82
20.	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	202.50	67.501	270.00	202.50		202.50	124.61	343.18	80.33	23.41	29.75
21.	खरगोन	359.99	119.996	479.98	180.00		180.00	135.37	315.37	111.56	35.37	23.24
22.	मांडला	359.99	119.996	479.98	180.00		180.00	125.15	305.15	110.59	36.24	23.04
23.	मंदसौर	180.00	60.001	240.00	265.97		265.97	30.45	297.82	91.74	30.80	38.22
24.	मोरेना	225.00	75.001	300.00	337.50		337.50	250.99	590.02	97.46	16.52	32.49
25.	नरसिंगपुर	135.00	45.000	180.00	202.50		202.50	42.47	257.26	54.34	21.12	30.19
26.	पन्ना	112.50	37.500	150.00	110.64		110.64	28.02	147.21	83.37	56.63	55.58
27.	रायगढ़	382.49	127.496	509.98	573.72		573.72	91.07	670.77	108.54	16.18	21.28
28.	रायपुर	539.99	179.996	719.98	809.98		809.98	391.15	1230.09	389.91	31.70	54.16
29.	रायसेन	157.50	52.500	210.00	156.44		156.44	162.59	323.54	77.81	24.05	37.05
30.	राजगढ़	135.00	45.000	180.00	130.78		130.78	48.67	188.45	83.98	44.56	46.66
31.	राजबाद गांव	270.00	90.001	360.00	135.01		135.01	125.33	260.34	23.34	8.97	6.48
32.	रतलाम	135.00	45.000	180.00	194.81		194.81	63.12	258.47	146.54	56.69	81.41
33.	रीवा	202.50	67.501	270.00	202.50		202.50	49.60	253.47	18.32	7.23	6.79
34.	सागर	247.50	82.501	330.00	369.87		369.87	151.78	538.42	153.96	28.59	46.65
35.	सरगुजा	539.99	179.996	719.98	796.85		796.85	11.58	808.43	230.41	28.50	32.00
36.	सतना	180.00	60.001	240.00	90.00		90.00	47.20	137.46	17.90	13.02	7.46
37.	सिहोर	112.50	37.500	150.00	112.50		112.50	50.90	163.40	20.45	12.51	13.63
38.	सिवनी	180.00	60.001	240.00	253.16		253.16	100.07	353.23	124.39	35.21	51.83
39.	शहडोल	270.00	90.001	360.00	135.01		135.01	191.24	348.08	160.78	46.19	44.66
40.	शजापुर	180.00	60.001	240.00	90.00		90.00	65.81	166.40	103.24	62.04	43.02
41.	शिवपुरी	180.00	60.001	240.00	90.00		90.00	− 5.45	84.55	61.15	72.32	25.48
42.	सीधी	180.00	60.001	240.00	268.20		268.20	98.48	383.25	63.36	16.53	26.40
43.	टीकमगढ़	135.00	45.000	180.00	67.50		67.50	65.26	133.80	21.07	15.75	11.71
44.	उज्जैन	135.00	45.000	180.00	67.49		67.49	57.35	124.84	19.99	16.01	11.11
45.	विदिशा	157.00	52.500	210.00	197.90		197.90	53.67	357.80	111.25	31.09	52.98
	कुल	10327.33	3442.44	13769.77	10013.59	0.00	10013.59	4257.51	14956.48	4434.73	29.65	32.21

भारत में समाज-शिक्षा और सामाजिक चेतना

आशारानी व्होरा

राजनीतिक व्यवस्था चाहे कैसी हो, व्यक्तितंत्र अथवा जनतंत्र, किसी राष्ट्र और उसके जन–मानस का संस्कार–परिष्कार तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक चेतना पर ही निर्भर करता है। इसके लिए दो प्रकार की शिक्षा का विधान निर्विवाद रूप में चाहिए– व्यक्तित्व निर्माण व रोजगार के लिए व्यक्तिगत शिक्षा और सामाजिक दायित्व–निर्वाह के लिए समाज शिक्षा, जो सामूहिक चेतना जगाकर समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाए।

सामाजिक चेतना के बिना व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है – एक विडंबना, जो सामाजिक विकृतियों और विखंडन को बढ़ावा देती है। हमारे समाज में आज जो अपसंस्कृति को राह मिल रही है, उसकी पूर्व पीठिका यह विखंडन ही है। अपनत्व का, दाम्पत्य का, परिवार का और कुल मिलाकर पूरे समाज का बिखंडन। यदि समाज की आतंरिक संस्कारिता न गड़बड़ाई होती, मूल्यों का धरातल विचलित न हुआ होता तो कोई पश्चिमी प्रभाव हो या केबल द्वारा आकाशीय हमला, हमारी मूल्य–आधारित समाज–व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता था। अन्यथा क्या कारण हैं कि विदेशी शासन के दौरान भी जो मूल्य बचे थे; विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक ग्रामीण जन–मन में, वे आज स्वतन्त्रता, स्व–शासन और संवैधानिक समानता के वर्तमान काल में वहां भी अपनी धुरी से खिसकने लगे हैं? केवल कुछ ही लोग संविधान का आदर करते हुए, अपने कर्तव्य–अधिकार का संतुलन साध रख कर चलने वाले हों और कानून का पालन करते हुए, शासन व सामाजिक विधान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हों, शेष बहुजन असमानता, अन्याय, शोषणजन्य परिस्थितियों की मार झेलते–झेलेते तटस्थ मुद्रा अपना कर अधिकतर निश्चेष्ट रहते हुए, वक्त के दरबार में कभी, कहीं अराजक हो उठते हों तो इसे क्या कहेंगे? यदि हम सच्चे अर्थ में एक स्वतन्त्र व जागरूक राष्ट्र कहलाना

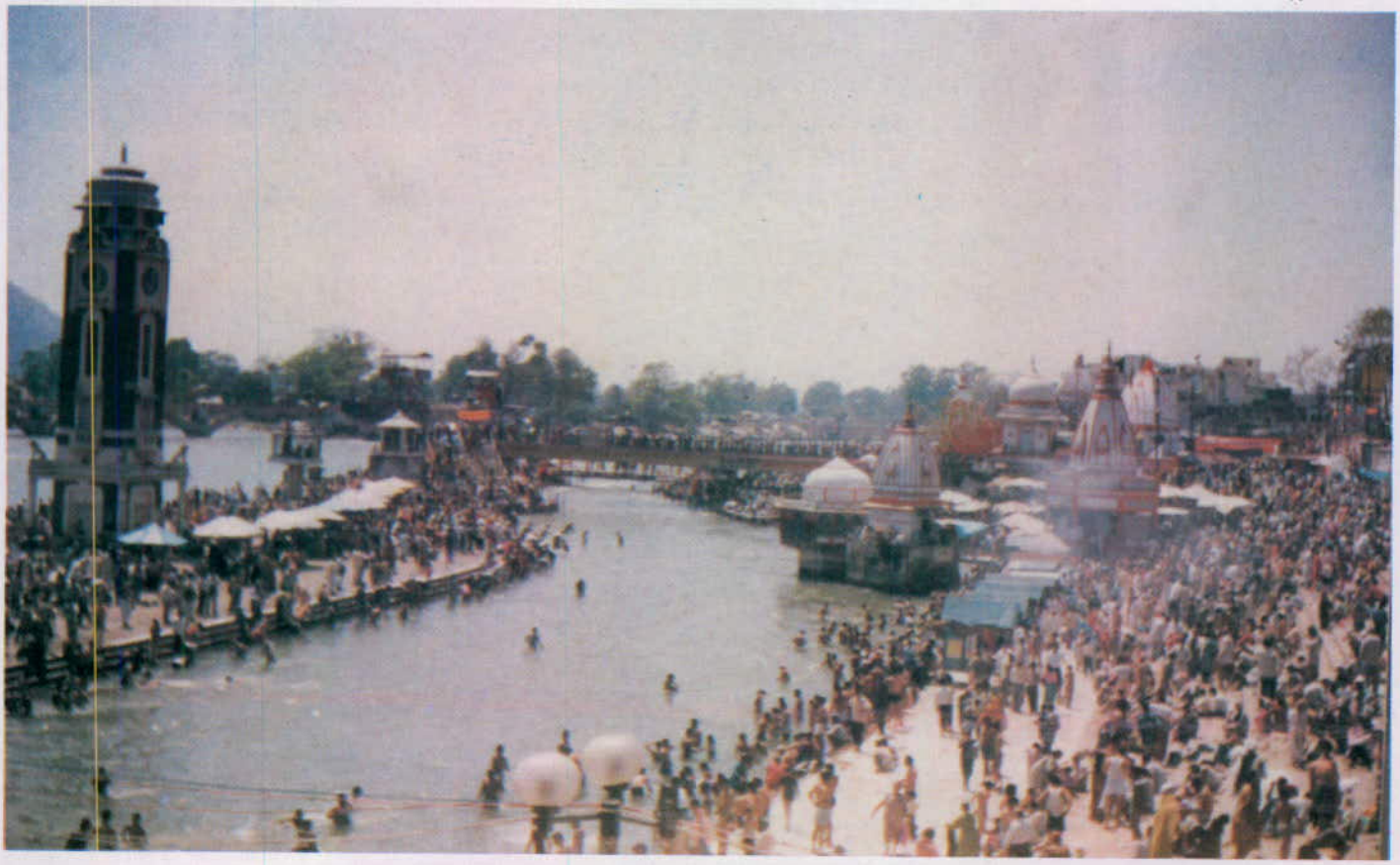

चाहते हैं तो यह जागरूकता वक्त पर वोट के सही उपयोग के लिए तो हो ही, मुख्यतः समाज को निरन्तर जागरूक बनाए रखने के लिए हर समय भी बनाए रखनी होगी। समाज शिक्षा द्वारा सामाजिक चेतना–जागरण का

हमारे समाज में आज जो अपसंस्कृति को राह मिल रही है, उसकी पूर्व पीठिका यह विखंडन ही है। अपनत्व का, दाम्पत्य का, परिवार का और कुल मिलाकर पूरे समाज का विखंडन। यदि समाज की आतंरिक संस्कारिता न गड़बड़ाई होती, मूल्यों का धरातल विचलित न हुआ होता तो कोई पश्चिमी प्रभाव हो या केबल द्वारा आकाशीय हमला, हमारी मूल्य–आधारित समाज–व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता था।

यही अर्थ है और यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर समय पर इसका उभार नहीं होगा तो वह गलत दिशा भी पकड़ सकती है। जैसा कि आए दिन उत्तेजना–आक्रोश के विस्फोट व भीड़–तंत्र में हम देख ही रहे हैं।

यह सतत प्रक्रिया क्या है? हमारे यहां प्राचीन काल में इसका स्वरूप व प्रभाव क्या था? यह क्रम कहां, कैसे भंग हुआ? क्रमिक प्रयासों के दौर से निकल कर आज हम किस तरह की चेतना जगाकर, समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार में देने की यहां गुंजाइश नहीं है। फिर भी सारे परिदृश्य पर एक विहंगम दृष्टि तो डाल ही सकते हैं।

समृद्ध परम्परा

भारत में कोई भी युग ऐसा नहीं रहा जब जनसमूह को शिक्षित करने और आतंरिक–बाह्य, समन्वित उन्नत जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के साधन न अपनाए गए हों। लिपि के आविष्कार से पूर्व और संचार–साधनों के अभाव के युगों में भी हमारे यहां 'श्रुति', 'स्मृति' की एक समृद्ध परम्परा मिलती है। सारा ज्ञान–विज्ञान, आचरण की नैतिक शिक्षा का प्रसार इन्हीं प्रविधियों के माध्यम से हुआ। 'श्रवण शक्ति' और 'स्मरण शक्ति' द्वारा ही हमारे वेद, उपनिषद, नीति–ग्रंथ, साहित्य–कृतियां कैसे अपने उद्देश्य का निरक्षर और गांव–गांव में बंटे, एक–दूसरे से कटे जन–जन को समूह भावना की एकसूत्रता में पिरोते हुए उन तक पहुंच सके? कैसे ऋषियों द्वारा ही रचित साहित्येत्तर व धर्म–अध्यात्म से इतर विधि–शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, चित्रकला आदि ललित कलाओं से लेकर शस्त्र–निर्माण तक के ज्ञान–विज्ञान से जन–मन को मंडित कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना गए? कैसे आज तक ग्रामीण जन, महाभारत से सबक और रामायण से पारिवारिक जुड़ाव की प्रेरणा पाते रहे? यह सब श्रुति, स्मृति की प्राविधियों का ही तो चमत्कार रहा। फिर आज संचार के, शिक्षण–प्रशिक्षण के उन्नत साधनों के युग में वह समूह–भावना और सामाजिक चेतना कहां लोप हो गई? क्यों हो गई? इसका उत्तर खोजना होगा।

वैदिक युग में आश्रम प्रणाली के रूप में समाज–शिक्षा अपने प्रारंभिक रूप में ही नहीं, बहुत विकसित रूप में थी। पचास की आयु के बाद प्रत्येक गृहस्थ को घर छोड़ कर वानप्रस्थी बनने का विधान था। गुरुकुल–शिक्षा में ब्रह्मचर्य का पालन और सेवा की आदत, फिर गृहस्थ बन कर सुख–ऐश्वर्य का भोग और पारिवारिक दायित्व का निर्वाह, संतान की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वानप्रस्थी होकर समाज को जीवन अर्पण और इसके बाद सन्यासी रूप में मोह–माया का त्याग और नगर–नगर घूमकर स्वयं अपरिग्रह अपनाना और समाज को अपने संचित ज्ञान और अनुभव का लाभ पहुंचाना। न संचार–सांधनों का अभाव आड़े आया, न औपचारिक शिक्षा का, न धन–सम्पत्ति का और न अपनों द्वारा सेवा–टहल न मिलने का। अभावों के दुख नहीं थे तो संतोषी, त्यागी, अपरिग्रही जीवन में शरीर–मन के दुख भी कम ही व्यापते थे। संतानों द्वारा उपेक्षा का दंश स्वेच्छया त्यागी के लिए बेमानी था। स्वार्थ–केंद्रिता नहीं। केवल अपना भला नहीं। समूह की भलाई में ही अपना भला और समाज की नैतिक चेतना के लिए अपनी समाज–नैतिक चेतना का जागरण। यह आदर्श–प्रेरणा ही व्यक्ति के उन्नयन द्वारा समाज को उन्नयन का नैतिक संस्कार देती थी।

श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति द्वारा ही हमारे वेद, उपनिषद, नीति–ग्रंथ, साहित्य–कृतियां कैसे अपने उद्देश्य को निरक्षर और गांव गांव में बंटे, एक–दूसरे से कटे जन–जन को समूह भावना की एकसूत्रता में पिरोते हुए उन तक पहुंच सके?

जाहिर है, इस समाज–उन्नयन में हमारे ऋषियों, परिव्राजकों, संतों, तीर्थयात्रियों, लोक–नाट्य, लोक–गायन मंडलियों, कथावाचकों, और स्वयं में तब आदर्श संस्था बने ब्राह्मणों का विशेष हाथ रहा। आज बदले समय में निश्चित ही यह सब संभव नहीं, न ऐसी अपेक्षा ही किसी से की जा सकती है। पर जरा सोचिए कि आज भी हमारे बहुजन की आस्थाएं किस तरह कायम हैं? यह देखना हो तो बिना किसी निमंत्रणपत्र के या अखबारी सूचना के अर्ध कुंभ व पूर्ण कुंभ के समय तीर्थों पर जुटने वाली निरक्षर, ग्रामीण व अधिकतर अभावग्रस्त जनता की भीड़ देखिए। उनकी धार्मिक चेतना ही नहीं, समूह–भावना और जात–पांत भूल कर तीर्थों पर केवल परस्पर आदान–प्रदान की सहयोगी भावना और संत–समागम की चाहना भी देखिए। सदियों से चले आ रहे इस प्रवाह का लाभ क्या हमारे नेताओं ने सही सामाजिक चेतना–जागरण के लिए कभी लेने का प्रयत्न किया? उलटे भारत की यह लक्ष जनता, जो किसी भी विदेशी शासन के समय राजनीति से अछूती रही, राजा महाराजा हारते–जीतते रहे, बहुसंख्य जनता अपनी आस्थाओं में जीती रही – 'कोई नृप होई हमें का हानि' यह पंक्ति संत तुलसीदास ने भले ही मंथरा के मुंह से कहलाई हो, इस देश के अतीत का यही सच है।

ब्रिटिश शासन काल में, नेताओं के, विशेष

रूप से महात्मा गांधी जैसे सर्वस्व त्यागी संत के आहवान पर वह देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो गई तो इसीलिए कि उसके सामने त्याग का आदर्श रखने वाले नेता थे। आजादी के बाद उसी भोली–भाली आस्थावान जनता का राजनीतिकरण कर दिया गया। अपनी जमीन, जोरू के लिए लड़ने वाले पंचायतों में सत्ता के लिए लड़ने लगे। त्यागी, संतोषी जीवन जीने वाले, 'होइए वोही जो राम रचि राखा' कह कर सब राम भरोसे या भाग्य भरोसे छोड़, कर्म–फल कह कर संतोष कर लेने वाली वही आस्थावान जनता आपाधापी में पड़ने लगी। 'गांव का भाई अपना भाई', पड़ोस की बेटी अपनी बेटी' या 'गांव की बेटी अपनी आबरू' कहने वाले हिंसा, समूह हिंसा, बलात्कार कैसे करने लगे? राजनीतिक हिंसाओं और बदले की हिंसा में कैसे रुचि लेने लगे?

मीडिया द्वारा सामाजिक चेतना–जागरण के बहुत उन्नत साधन आज हमारे हाथ में हैं। पर सही नीतियों और आदर्श के नेतृत्व के अभाव में और बाजार या भूमंडलीकरण के प्रभाव में मीडिया द्वारा ही विखंडन शहरों से चल कर गांव–गांव पहुंच रहा है। अधिकार, कर्तव्य या समूह के लिए त्याग के अभाव में केवल अधिकार–चेतना और भोग–चेतना जाग रही है। परिवार–भावना लुप्त हो रही है। संयुक्त परिवार के बाद छोटे एकल परिवार भी टूट रहे हैं। हत्या–आत्महत्या, तलाक–परित्याग, लूट–धोखाधड़ी और किसी भी तरह जल्दी से अमीर बनने, अधिक से अधिक भोग के साधन जुटाने और केवल अपने लिए जीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में एक परिवार व गांव–समुदाय की जगह अनेकानेक संगठन–संस्थान मिल कर भी क्या कर लेंगे? प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार अधिकतर आंकड़ों तक सीमित है। तो बढ़ती जनसंख्या के दबाव में जब साक्षरता–अभियान ही सफल नहीं हो रहा है तो साक्षरता को समाज शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से कैसे जोड़ा जा सकेगा? इसके लिए जन–जन की समूह–भावना का जागरण चाहिए, परिवारों का विखंडन और विलगाव नहीं। टूट के मलबे को हटा कर पहले जोड़ने की सामग्री जुटानी होगी तभी स्वार्थ–केंद्रिता से ऊपर उठकर समाज–चेतना लाई जा सकेगी। औपचारिक शिक्षा में सब बच्चों के लिए प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा और जनसमूह के लिए मीडिया के सदुपयोग द्वारा व्यापक अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करके ही मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना होगा। क्या हमारे नीति–निर्माता और नेता इस ओर ध्यान देकर हालात को और बिगड़ने देने से पहले कोई राह निकालेंगे? ❑

अधिकार, अधिकार कर्तव्य या समूह के लिए त्याग के अभाव में केवल अधिकार–चेतना और भोग–चेतना जाग रही है। परिवार–भावना लुप्त हो रही है। संयुक्त परिवार के बाद छोटे एकल परिवार भी टूट रहे हैं। हत्या, आत्महत्या, तलाक–परित्याग, लूट–धोखाधड़ी और किसी भी तरह जल्दी से अमीर बनने, अधिक से अधिक भोग के साधन जुटाने और केवल अपने लिए जीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में एक परिवार व गांव–समुदाय की जगह अनेकानेक संगठन–संस्थान मिलकर भी क्या कर लेंगे?

लघुकथा

क्रिया–कर्म

सुनील कुमार

रामदीन का इकलौटा बेटा रमुआ पिछले बारह–तेरह दिनों से खाट पर पड़ा था। उसे कालाजार की शिकायत थी। रामदीन की सारी जमा–पूंजी उसकी दवा–दारू में धीरे–धीरे खत्म हो गई पर, उसका मर्ज घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। अन्त में शहर के डाक्टर को दिखाने की बात उसके जेहन में उभरी। इसके लिए अपने दो बीघे जमीन में से ही कुछ जमीन बेचने की वह सोचने लगा।

"अरे रामदीन, हम लोगों ने सुना है कि तुम अपना खेत बेचने जा रहे हो। छिः छिः, खेत भी भला कोई बेचने की चीज है। भगवान की बनाई हुई चीज है ये, बेचने पर नाराज होंगे....." खेत–बेचने के विरोध में ये स्वजनों की राय थी। रामदीन बेचारा सहम गया। अपने भगवान को भला वह नाराज कैसे कर सकता था?

उसे उधार देने में भी किसी ने अपनी समर्थता जाहिर नहीं की। इस तरह उचित इलाज के अभाव में रमुआ आखिरकार एक रात चल बसा। घर में अब रामदीन ही अकेला बचा रह गया।

"ए रामदीन, तुम्हारा लड़िकवा तो एक ही था न.....। बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। अच्छा..... ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन एक बात याद रखना। इसके क्रिया–कर्म में कोई कोर–कसर मत छोड़ना, नहीं तो बेचारे की आत्मा भटकती रह जाएगी। आखिर तुम भी मरोगे, तो खेतवा टांगकर कोई ले थोड़े ही जाओगे....." उन्हीं अपनों ने उसे सलाह दी। पैंसठ साल के बूढ़े रामदीन ने भी सोचा कि आखिर उसे अब जीना ही कितने दिन और है। गांववालों ने ठीक ही कहा कि बेटे की आत्मा भटकनी नहीं चाहिए।

उसने दोनों बीघे जमीन बेच और अपने बेटे के क्रिया–कर्म में शानदार दावत आयोजित की। गांव के लोगों ने उंगली चाट–चाट कर खाई और उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। ❑

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा 21वीं सदी में चुनौतियां

डा. विनोद गुप्ता

देश में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बहुत ही कम है, आज भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण देश को अन्य देशों के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी हो गया है। लेकिन महिलाओं को शिक्षित बनाए बगैर यह काम आसान नहीं है। इसलिए महिला शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में प्रमुख है। महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, पढ़िए इस बारे में जानकारी इस लेख में।

आज हमारा देश विश्व के सभी देशों के साथ विकास की प्रतियोगिता में अपना अहम स्थान बनाता जा रहा है। इस कार्य में देश का प्रत्येक नागरिक बढ़–चढ़कर योगदान दे रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद भी महिला शिक्षा देश की प्राथमिक समस्याओं में शामिल की जाती है। स्वतंत्रता पूर्व महिला शिक्षा नगण्य थी, इसलिए देश को समृद्ध तथा सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक था कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए विकास के कुछ कदम उठाए जाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया था।

महिला शिक्षा पर 21वीं सदी में देश के सामने निम्न समस्याएं हैं :

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा

एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा बच्चों का सम्पूर्ण विकास कर उनमें सामाजिक असमानताओं जैसे – जाति, वर्ग, धार्मिक विश्वास और लिंग भेद के वातावरण को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा की दृष्टि से मान्यता है कि 2–5 वर्ष के बच्चों को किसी प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों को आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा इन बच्चों (2–5 वर्ष) की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। जनता की रुचि भी इस समस्या के समाधान पर तीव्र गति से बढ़ी है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में तो महिला विद्यालयों की स्थापना की गई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र आज भी अछूता है। सार्वभौमिक विकास प्रशिक्षित महिला शिक्षक

की तैनाती विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। महिला शिक्षक ही इन विद्यालयों में अच्छा वातावरण बना पाएंगी।

प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा भी बहुत–सी चुनौतियां प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षेत्रों में हैं।

प्राथमिक क्षेत्र

- बालिकाओं के लिए उपस्थिति पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां शुरू की जाएं।
- शिक्षकों के स्तर में समुचित सुधार किया जाए।
- छात्राओं को मुफ्त शिक्षा उपकरणों तथा कपड़ों की पूर्ति की जाए।
- बालिकाओं की अधिक उपस्थिति पर शिक्षकों को विशेष भत्ते और प्रोत्साहन दिए जाएं।
- महिला शिक्षा के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाए।
- महिलाओं के लिए महिला आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।

उच्च माध्यमिक विद्यालय

- गरीब और असमर्थ बालिकाओं को शिक्षण कार्य चालू रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं।
- महिलाओं के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अलग से स्थापना की जाए जो कि सरकार द्वारा अनुदानित हों।
- छात्राओं को शिक्षा उपकरणों और कपड़ों का मुफ्त वितरण किया जाए।
- छात्राओं के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाएं।
- निजी विद्यालाओं को सरकार द्वारा अनुदान दिए जाएं ताकि ये विद्यालय महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे पाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित अतिरिक्त विद्यालयों की स्थापना की जाए।
- महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा और जहां आवश्यकता हो वहां परिवहन की व्यवस्था की जाए।

महाविद्यालय और विश्व–विद्यालय स्तर पर महिलाओं की शिक्षा

- योग्यता के आधार पर तथा गरीब महिलाओं को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं।
- उन निजी शिक्षण संस्थानों को विशेष सरकारी अनुदान प्रदान किए जाएं जो महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।
- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध की जाएं।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं में शिक्षा

पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा की समस्या शुरू से ही विवादास्पद रही है। सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना की गई है जो कि देश के विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे है। राज्य सरकारों को विशाल धनराशि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करने के लिए दी गई है। कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा–दीक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सरकार के साथ–साथ स्वयं इस वर्ग की भी है।

मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता

भारत में अत्यधिक संख्या में विकलांग बच्चे हैं। सिर्फ अंधे बच्चों की संख्या ही करीब–करीब 25 लाख है। इसके अतिरिक्त भारत में बड़ी संख्या में गूंगे–बहरे, अपाहिज और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। इन अक्षम व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या भी अधिक है। इसलिए इन लाखों महिलाओं और बच्चों के लिए समुचित प्रावधान होने चाहिए जो वास्तव में व्यावहारिक हों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करें।

विभिन्न प्रकार की संस्थाएं इन विकलांग महिलाओं और बच्चों के लिए चल रहीं हैं जिन्हें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता है। विकलांग महिलाओं के लिए भी बहुत से कल्याण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं। परन्तु वर्तमान समय में यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं तथा बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं।

इन विकलांग महिलाओं और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षित महिला शिक्षकों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए। महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य कुछ चुने हुए संस्थानों को सौंपना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा अनुदानित हों। इन सभी प्रयासों की आवश्यकता हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सरकार के प्रयास सुनिश्चित रूप में नहीं पहुंच पाते हैं।

सामाजिक शिक्षा

देश में महिलाओं की सामाजिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या है विशेषकर जबकि शिक्षित महिलाओं की संख्या जनगणना 1991 के आधार पर 34 प्रतिशत है। इनमें भी एक बड़ा भाग शहरी महिलाओं का है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रतिशत बहुत ही कम है। महिलाओं का आर्थिक स्तर, सामाजिक बंधन और पुरुषों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति आदि महिला अशिक्षा के प्रमुख कारण हैं।

इसलिए महिलाओं की शिक्षा शुरू से ही सरकार और समाज के लिए एक चुनौती बनी रही है।

यूं तो इन सभी समस्याओं पर सरकार का ध्यान रहा है, तथा इन्हें सुलझाने का प्रयास भी सरकार द्वारा समय–समय पर किया जाता रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक गहरी उदासीनता और गतिहीनता पाई जाती है। इसलिए आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास की गति में शामिल किया जाए क्योंकि, साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक ऐसी कुंजी है जिससे जीवन में विकास से संबंधित सभी ताले खुल सकते हैं। साक्षर महिलाएं अंधेरे से निकल कर प्रगति के प्रकाश में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें देश में साक्षरता का प्रसार–प्रचार इतनी तेजी से करना होगा कि अगली शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ही हम देश से निरक्षरता का कलंक मिटा सकें। ❑

ग्रामीणों ने अपनी तकनीक से पुल बनाया

मृत्युंजय प्रसाद

ग्रामीणों ने मात्र 15 हजार की राशि और पन्द्रह दिन के थोड़े से समय में करीब 120 मीटर (400 फीट) लम्बा डेढ़ मीटर (5 फुट) चौड़ा लकड़ी का पुल निर्मित करने का अद्‌भुत कार्य किया है। यह पुल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अंतर्गत झालदा थाना क्षेत्र के डांगडूंग गांव के लोगों ने सुवर्ण नदी पर बनाया और बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का काम किया।

उल्लेखनीय है कि बिहार के रांची जिला स्थित सोनाहातु प्रखण्ड क्षेत्र के लोगों को अपनी उत्पादित सब्जी को बेचने और आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए पश्चिम बंगाल के खुईसा रेलवे स्टेशन की मार्केट प्रतिदिन जाना पड़ता है। लेकिन बीच में सुवर्ण रेखा नदी के पड़ने और इस नदी पर पुल के न होने के कारण ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

अब पश्चिम बंगाल के डांगडूंग गांव के ग्रामीणों ने अपनी सोची–समझी तकनीक से मात्र 15 हजार रुपये की लागत से 15 दिन के अन्दर बांस और बल्ली के सहारे एक पुल का निर्माण किया है जिससे प्रतिदिन आने–जाने वाले ग्रामीणों को काफी सुविधा हो रही है। ❑

प्रिय पाठक,

यहां एक प्रश्नावली दी जा रही है जिसके माध्यम से हम आपकी प्रिय पत्रिका *कुरुक्षेत्र* के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं कि पत्रिका आपकी आशाओं के अनुरूप निकल रही है अथवा नहीं। आशा है कि आप अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल कर इस प्रश्नावली को भरकर हमारे पास भेजने का कष्ट करेंगे ताकि हम जान सकें कि हमारे प्रयास कहां तक सार्थक हैं और हमें पत्रिका में क्या सुधार की जरूरत है। आपकी राय हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है कि आप थोड़ा–सा समय अवश्य निकालेंगे।

– सम्पादक

पाठक का विवरण

1.ए निम्नलिखित में से कौन–सा तथ्य आपके बारे में सर्वाधिक सही है (किसी एक पर √ निशान लगाएं)

1) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा विद्यार्थी ☐

2) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा रोजगार प्राप्त व्यक्ति ☐

3) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत (स्वंयसेवी संगठन इत्यादि) ☐

4) सरकारी कर्मचारी ☐

5) शोधार्थी / शिक्षाविद / पत्रकार ☐

6) अन्य ☐

1.बी आयु वर्ग (कृपया एक पर √ निशान लगाएं)

1) 20 वर्ष से कम ☐ 2) 20 – 24 वर्ष ☐ 3) 25 – 29 वर्ष ☐

4) 30 – 34 वर्ष ☐ 5) 35 – 39 वर्ष ☐ 6) 40 – 44 वर्ष ☐

7) 45 – 49 वर्ष ☐ 8) 50 – 54 वर्ष ☐ 9) 55 वर्ष और उससे अधिक ☐

1.सी लिंग

1) पुरुष ☐ 2) महिला ☐

1.डी उच्चतम शिक्षा (कृपया एक पर √ निशान लगाएं)

1) दसवीं पास ☐ 2) बारहवीं पास ☐ 3) स्नातक ☐

4) स्नातकोत्तर ☐ 5) एम. फिल ☐ 6) पी.एच.डी. ☐

7) अन्य (स्पष्ट बताएं) .....

1.ई आप कितने समय से *कुरुक्षेत्र* के पाठक हैं? (एक पर √ निशान लगाएं)

1) एक वर्ष से कम समय से ☐ 2) 1 – 2 वर्ष ☐ 3) 3 – 4 वर्ष ☐

4) 5 – 9 वर्ष ☐ 5) 10 वर्ष या उससे अधिक समय से ☐

विभिन्न विषय–क्षेत्रों में अभिरुचि

2. कृपया उस विषय–क्षेत्र पर √ निशान लगाएं जिनमें आपको विशेष रुचि है (आप एक से अधिक विषयों पर निशान लगा सकते हैं)। *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित इन विषय–क्षेत्रों पर छपने वाले लेखों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करें।

क्रम सं.	विषय–क्षेत्र	रुचि		इन विषयों पर लेख छपते हैं		
		हां	नहीं	आशा से कम	पर्याप्त	आशा से अधिक
1.	ग्रामीण प्रशासनिक निकाय					
2.	ग्रामीण संस्थाएं					
3.	ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं					
4.	ग्रामीण विकास में महिलाएं					
5.	ग्रामीण आवास					
6.	ग्रामीण स्वास्थ्य					
7.	ग्रामीण स्वच्छता					
8.	ग्रामीण जल आपूर्ति					
9.	आदिवासी विकास					
10.	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा					
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा					
12.	ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जानकारी					
13.	ग्रामीण वित्त					
14.	ग्रामीण संचार					
15.	ग्रामीण विपणन					
16.	ग्रामीण उद्योगों का प्रबंधन					
17.	ग्रामीण सहकारिता					
18.	ग्रामोद्योग					
19.	ग्रामीण/देसी तकनीकें					
20.	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम					
21.	ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम					
22.	आय–वृद्धि संबंधी गतिविधियां					
23.	साझा संपत्ति संसाधन प्रबंधन					
24.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन					
25.	वाटर शेड प्रबंधन					

पाठक की राय

3.ए *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित लेखों की संख्या के बारे में आपकी क्या राय है? (कृपया आप जिससे सहमत हैं उसे चुनें)

1) लेखों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ☐
2) लेखों की संख्या कम होनी चाहिए ☐
3) लेखों की संख्या पर्याप्त है ☐

3.बी *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित लेखों के स्तर के बारे में आपकी राय क्या है? (कृपया जिससे आप सहमत हैं उस कथन को चुनें)

1) सभी लेख अच्छे होते हैं ☐
2) अधिकांश लेख अच्छे होते हैं ☐
3) केवल कुछ लेख ही अच्छे होते हैं ☐
4) कोई भी लेख अच्छा नहीं होता ☐

3.सी *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित आंकड़ों/तथ्यों के बारे में आपकी क्या राय है (कृपया जिससे आप सहमत हैं उस कथन को चुनें)

1) आंकड़े/जानकारी अपर्याप्त होती है ☐
2) आंकड़े/जानकारी पर्याप्त होती है ☐

3.डी *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित लेखों के विषय–क्षेत्रों के बारे में आपकी क्या राय है? (कृपया जिससे आप सहमत हैं उस कथन को चुनें)

1) और अधिक विषयों पर लेख छपने चाहिए ☐
2) विषय–सामग्री व्यापक है उसे कम किया जा सकता है ☐
3) कवरेज ठीक–ठाक है ☐

3.ई वर्तमान में *कुरुक्षेत्र* मासिक पत्रिका है। इसकी प्रकाशन अवधि के बारे में आपकी क्या राय है? (कृपया जिससे आप सहमत हैं उस कथन को चुनें)

1) पाक्षिक कर दिया जाना चाहिए ☐
2) मासिक प्रकाशन ही ठीक है ☐
3) मासिक प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। पत्रिका दो या तीन महीनों में एक बार प्रकाशित होनी चाहिए ☐

3.एफ *कुरुक्षेत्र* के मूल्य के बारे में आपकी क्या राय है? (जिससे आप सहमत हैं उसक कथन को चुनें)

1) इस तरह की पत्रिका के लिए मूल्य कम है ☐

2) मूल्य ठीक है ☐

3) मूल्य अधिक है ☐

नाम .....

पता .....

.....

.....पिन कोड .....

संगठन का नाम (यदि कार्यरत हैं) .....

पद (यदि कार्यरत हैं) .....

टेलीफोन नंबर (कार्यालय) .....

हस्ताक्षर .....

अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद

प्रश्नावली को निम्न पते पर भेजें :

सम्पादक,
कुरुक्षेत्र,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन,
नई दिल्ली–110001

कहानी

गांव में नाचा मोर

डा. भालचन्द्र तिवारी

कुसुना बुआ आठ साल बाद मायके आई हैं। सारा गांव देखने को उमड़ पड़ा है। रामसरूप साहू की बड़ी बिटिया; कौन नहीं जानता! नाम तो तब और बढ़ गया जब साहूजी ने उनका विवाह आस–पास के गांव–गिरांव छोड़कर शहर में कर दिया। कारण था, कुसुमा के बराबर पढ़ा–लिखा लड़का इधर बिरादरी में मिल ही नहीं रहा था। कुसुमा के ससुर की एक तेल मिल थी। पूरे आगरे में भगत सेठ के नाम से विख्यात थे।

साहू रामस्वरूप की सबसे बड़ी संतान होने के कारण कुसुमा पर बड़ा लाड़–प्यार था। पढ़ने में अच्छी थी इसीलिए साहू जी ने परम्परा को तोड़ते हुए उसे हाई स्कूल करवाया। उन दिनों आस–पास का कालेज न था इसलिए इंटर करने के लिए वह दो साल मामा के घर रही। पढ़ने में इतनी रुचि थी कि बाद में उसने बी.ए. भी द्वितीय श्रेणी में पास कर लिया। कोई और होता तो ऐसी कुशाग्र–बुद्धि लड़की को किसी नौकरी में डाल देता, लेकिन पुराने खयाल के साहू जी स्त्रियों को घर को चहारदीवारी के अंदर ही देखना चाहते थे।

दूसरे दिन कुसुमा को देखने लाठी टेकते हुए मुन्नी की चाची भी आईं। चाची गांव की औरतों की मुखिया थीं। व्रत, त्योहार, शादी–ब्याह में उन्हीं का फतवा चलता था। कुसुमा को देखकर कहने लगीं, "अरे बिटिया! दिक–बिमार रहियु काऽ? अबै हमरे सामने कै पैदा जैसे बुढ़ाय गइयु।" एक खिसियाई–सी मुस्कराहट लिए कुसुमा ने कहा, "नहीं चाची हम बिल्कुल ठीक हैं, इहै घर का झंझट.....। दो–दो लड़कों को सवेरे–सवेरे तैयार करके स्कूल भेजना...., अंग्रेजी स्कूलों के बड़े नक्शे होते हैं। ऊपर से बीमार सास–ससुर.....। काफी दौड़–धूप पड़ जाती है। यह कहो बेटी कान्ती कुछ मदद करके तब स्कूल जाती है नहीं तो और परेशानी बढ़ जाए। दो–दो नौकर तब भी घर का काम नहीं सिमट पाता।" "उहै कहिन बिटिया खाय–पियै का सब भरा अहै तबौ ई हाल कैसे होइगै?" "नहीं चाची, कोई तकलीफ नहीं है।" तब तक दुलारे की भाभी भी आ गई। बात में बात मिला कर कहने लगी, "हा दीदी, तू तौ बिल्कुल बदलि गय अहा। पिछली बार आय रहिउ तौ बहुतै अच्छी लागति रहियु – जैसे सिनेमा कै हिरोइन. ...., ई कान्ती तौ बहुत बड़ी हाइ गय, पिछली बार तौ गोल–मटोल जैसे रबड़ कै गुड़िया रही।" सब हंसने लगीं। बातचीत चलती रही, धीरे–धीरे दोनों अपने घर चली गईं।

मां ने नहाने–खाने को कहा। भरा–पूरा मायका लड़कियों को वैसे भी अच्छा लगता है लेकिन कुसुमा को कुछ अधिक ही अच्छा लग रहा था। उसे लगता जैसे उसका बचपन फिर लौट आया है। दरवाजे पर वही पुराना नीम का पेड़ आंगन में तुलसी। रात को आंगन में चारपाइयां बिछतीं, कभी पुरवाई, कभी पछुआ हवा, कुसुमा को बड़ा सुकून मिलता। वातानुकूल कमरे की कृत्रिम ठंडक से अलग कुसुमा को एक ताजगी महसूस होती।

उस दिन कुसुमा का छोटा भाई अखिलेश ट्युब–वेल पर जा रहा था। "कुसुमा ने कहा, 'भइया, शान्तुन, शैलेश को भी लेते जाओ। लौटते समय इन्हें 'दादा के तारा' (तालाब) पर मोर दिखा देना। ये लोग अभी सचमुच का मोर नहीं देखे हैं। वहां से चलते समय कहा था, मम्मी, हमें मोर जरूर दिखाना, हम उसे पकड़ कर जिलाएगे।" अखिलेश थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, "दीदी! तारा (तालाब) तो पट कर खेत बन गया। जो धन्नू हैं न, जानती हो; जब कुछ न हुआ तो नेताओं की चमचागीरी करके अब भू–माफिया बन गए हैं। अब तो उनका रंग ही बदल गया है। अभी–अभी नई जीप निकलवाया है। यही नहीं, सुकवू मामा का ताल भी अब खेत बन गया।" कुसुमा आश्चर्य में पड़ गई। "यह सब कैसे हो गया? तालाब तो गांव भर का है। सभी कोई उससे सिंचाई करते थे। कोई कुछ बोला नहीं?" "नहीं दीदी, कहने को तो सभी कहते रहे, गलत काम हो रहा है पर कोई बोला नहीं। पिताजी जरूर गए थे लेकिन अकेले थे। थाने में भी उनको कोरा आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। बाद में पता लगा कि किसी नेता का दबाव था।"

× × ×

कुसुमा तथा उनके तीनों बच्चे बड़े खुश थे। वह महसूस करने लगी कि अब समय पर भूख भी लग जाती है, नींद भी अच्छी आती है। न तो अब रक्त चाप की गोली ही खानी पड़ती है, न ही भोजन हजम चूर्ण लेना पड़ता है। सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है।

× × ×

एक दिन कुसुमा मोटी ताई के यहा मिलने जा रही थी। उनका घर दूसरे मजरे में था। रास्ते में आम महुए का एक बड़ा बाग पड़ता था। कुसुमा ने देखा बाग का नामोनिशान नहीं। वहां ईंटों का भट्ठा लगा था। कुसुमा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, "हाय राम! अब तो गांव की पहिचान ही मिटती जा रही है।" लौटकर मां से पूछा, अम्मा "शीतल की बगिया, का क्या हो गया?" मां ने बताया "बिटिया, चार साल पहले बड़े जोर का तूफान आया था, अखबारों में भी निकला था। उसी में बाग के आधे पेड़ गिर गए। रहे–सहे पेड़ों को दबंगों ने कटवा लिया। पता नहीं कहां से सांठ–गांठ करके किसी गुरनानी नामक ठेकेदार ने ईंट का भट्ठा चालू कर दिया। गांव वालों ने काफी विरोध किया तब माने। अब की बार से बंद कर देंगे।

कुसुमा मन ही मन सोचने लगी 'अगर यही जमीन मुझे मिल जाए तो तेल की मिल वहां से हटाकर यहां लगवा लें। पैसे की कोई बात नहीं। वहां तो रुपया भले देखो, जिन्दगी नरक है। पहले वहां कितना साफ–सुथरा

था। शहर का किनारा, सभी सुविधाएं शहर की, जिन्दगी गांव की जैसी। देखते–देखते बाग–बगीचे साफ; वहां तो अब लोहे और कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। रात–दिन कारखानों की खटर–पटर, चिमनियों का धुआं, जिंदगी दूभर हो गई है। ऊपर से बगल का नाला तो..... सचमुच सांस लेना मुश्किल हो गया है।'

साहू रामस्वरूप के बड़े लड़के निखिल रेल में अभियंता हो गए थे। छोटा लड़का अखिलेश अभी पढ़ रहा था, उसका रुझान भी नौकरी की ओर था। मजबूर होकर उन्होंने पुश्तैनी धंधा बंद कर दिया। बड़े लड़के के कहने पर एक गैस की एजेन्सी ले ली। खेती–बाड़ी वैसे भी काफी थी, आराम से जिंदगी कट रही थी। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी किन्तु साहू जी की आदत में बदलाव नहीं आया। वे भोजन के बाद अब भी हुक्का पीते थे। रात के भोजन के बाद सभी कोई आंगन में बैठे–लेटे थे। अखिलेश हुक्का भर कर ले आया। साहू जी गुड़गुड़ाने लगे। अवसर देखकर कुसुमा ने कहा, "पिताजी! वहां कारोबार अब ठीक नहीं चल रहा है। बड़ी प्रतियोगिता है। पता नहीं कैसे–कैसे लोग बाजार में आ गए हैं कि माल उस भाव में बचेते हैं जिसमें लागत भी नहीं आती, फिर भी मुनाफा कमा रहे हैं।" साहू जी ने कहा, "बेटी! जमाना बदल गया है। अब बदनीयती, भ्रष्टाचार और दूसरे का गला काटकर अपनी जेब भरने की संस्कृति पैदा हो गई है।" अखिलेश बीच में बोल पड़ा, "अरे बाबू! हमने अखबार में पढ़ा था कि कौन–कौन सी चीज तेल में मिला देते हैं। स्वाद में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। बस, कनस्तरों में पैक किया, बढ़िया आकर्षक लेबुल लगा दिया, धड़ल्ले से बिक्री। आजकल तो दुनिया पैकिंग खाती है सामान नहीं।" सब हंस पड़े और साहू जी ने कहा, "ठीक कहते हो।"

कुसुमा बोली, "मेरे ससुर जी कहते हैं कि माल में धोखाधड़ी करके हम ग्राहकों को जहर नहीं पिलाएंगे। ऊपर भी तो कोई देख रहा है। हम परलोक नहीं बिगाड़ेंगे। बाजार में नहीं चल पाऊंगा तो कोई और धंधा देखूंगा। इसीलिए कान्ती के पापा अब आधे परिसर में अचार–मुरबे का कारोबार शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसमें भी मुश्किल आ रही है। एक तो अच्छे फल मिल नहीं पाते, मिलते भी हैं तो बहुत महंगे; आखिर जाते तो देहात से ही हैं। मैं चाहती हूं कि यही भट्ठे वाली जमीन आप हमारे लिए ले दीजिए। जो भी पैसा लगे हम खरीद लेंगे, और पूरा कारोबार यहीं आ जाएगा। जमीन व मकान का भाव तो वहां आसमान छू रहा है। उसे हम लोग बेच देंगे। साहूजी ने हुक्का दीवार के सहारे टिकाते हुए कहा, "तजवीज तो अच्छी है, मैं मिट्ठू सिंह से बात करता हूं।"

× × ×

कुसुमा का सपना साकार हुआ। 'शीतल की बगिया' में तेल मिल लग गई। बगल में ही मकान बन गया। जाड़े में उसी मशीन में एक पट्टा और लगाने पर रुई की धुनाई हो जाती तो दूसरा पट्टा लगाने पर धान की कुटाई भी। तिलहन आदि सस्ते दामों पर मिल जाता। शुद्ध तेल वाजिब दाम पर बिकने लगा। देहात में भी बिना विज्ञापन के भगत जी की मिल का नाम विख्यात हो गया। कभी–कभी थोक में इतनी मांग बढ़ जाती कि आपूर्ति न हो पाती किन्तु भगत जी अपने सिद्धांत के पक्के थे। शुद्धता उनका एक मात्र लक्ष्य था। गांव में आम, आंवला, कटहल, जामुन आदि मौसम पर बहुतायत से मिलते। अब भगत जी का अचार, सिरका और मुरब्बे का काम भी अच्छा चल निकला। उन्होंने अपने मकान के उत्तर पूर्व में आंवला और आम की डेढ़–डेढ़ बीघे की बाग लगवा ली।

भगत जी के इस धंधे से गांव के लगभग पचीस लोगों को काम मिल गया। भूमिहीन परिश्रमी तथा उत्साही युवक–युवतियों को घर बैठे नौकरी।

एक दिन कुसुमा सवेरे–सवेरे अपने पति सर्वेश के साथ गाड़ी से शहर जा रही थीं। देखती हैं कि ग्राम देवी 'सहाबा माई' के चबूतरे पर औरतों की भीड़ लगी है। गाड़ी रुकवा कर वह चबूतरे पर गईं। देखा मिसिराइन चाची अपने नाती पुष्पा के बेटे को चबूतरे पर लिटाए मनौती कर रही है। बच्चे को रात से ही पतले दस्त आ रहे थे, पुतलियां उलट गई थीं। कुसुमा ने ग्राम देवी को सिर नवाया और मिसिराइन चाची से कहा, "चाची, देवी ने आपकी विनती सुन ली। गाड़ी भेज दी है। चलिए मेरे साथ अस्पताल। कुसुमा मिसिराइन चाची, पुष्पा तथा उनके बेटे को गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले गईं। वहां बच्चे को भर्ती करा दिया। चौथे दिन बच्चा घर आ गया।

× × ×

कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। अगहन की तीखी सर्दी शुरू हो गई। सर्वेश–कुसुम का मन सशंकित हो चला – अब पिताजी की सांस जोर पकड़ेगी और माताजी की गांठ की तकलीफ बढ़ेगी। यह एक आश्चर्य ही था कि अभी तक दोनों स्वस्थ रहे। गांव में शहर से ज्यादा सर्दी पड़ती है। कुछ औषधियां घर में रख लीं ताकि रात–विरात जरूरत पर काम आवें। गांव में रात में डाक्टर कहां मिलते हैं? लेकिन उनकी आशंका वास्तविकता में नहीं बदली। हां, पूस के बफीर्ले जाड़े में दो एक बार पिताजी को हल्की–सी शिकायत हुई जो फौरन दवाइयों से दूर कर दी गई। वे लगभग नियमित रूप से मिल में जाते और बेटे के काम में हाथ बंटाते।

× × ×

पुष्पा के बेटे की बीमारी के समय गांव की स्त्रियों का अंधविश्वास देखकर कुसुमा ने सोचा कि देश इतना आगे बढ़ रहा है लेकिन गांव अभी कोसों पिछड़ा है। गांव की स्त्रियां तो बिल्कुल रूढ़ियों से जकड़ी हैं। इन्हें नए युग की रोशनी दिखानी है। पढ़ी–लिखी होने के नाते मुझे इस दिशा में कुछ करना है। उन्होंने गांव की कुछ पढ़ी–लिखी लड़कियों के सहयोग से एक संगठन की स्थापना की, नाम रखा 'नारी–जागरण–मंच'। 'महिला रोजगार–योजना' के तहत प्राप्त अनुदान से चार सिलाई की मशीनें खरीद लीं। अपने पास से धन लगाकर शिशु पालन तथा बच्चों की बीमारी सम्बंधी पुस्तकों के साथ ही नैतिकता और धर्म संबंधी कुछ सरल–बोधगम्य पुस्तकें भी खरीद लीं। पहले तो कुसुमा स्वयं दोपहर को कुछ समय निकालकर सिलाई, कटाई, बुनाई तथा बेल बूटे का काम सिखाती थीं। बाद में गांव की दो उत्साही लड़कियां शारदा और निर्मला भी सहयोग करने लगीं। स्त्रियां अपने नन्हे–मुन्नों के कपड़े सिलना सीखने लगीं। कभी–कभी कुसुमा संयुक्त परिवार की अवधारणा तथा उसके लाभ के विषय में बतातीं और स्त्रियों को प्रेरित करतीं कि पुस्तकालय से इन पुस्तकों को ले जाओ, पढ़ो, तभी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता दूर होगी और एक सुखी परिवार बनेगा। एक बार कुसुमा की ननद नंदिता कुसुमा के यहां आईं। वे डाक्टर थीं। अवसर देखकर कुसुमा ने गांव की सारी स्त्रियों को बुलाया। उन्होंने जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य के विषय में बहुत–सी बातें बताईं। स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों ने पुनः आने का आग्रह किया। अब तो नंदिता जब भी मायके आती गांव को स्त्रियों की उनकी तथा बच्चों की बीमारियों, उनसे सावधानी तथा टीकों के विषय में बहुत कुछ बतातीं। एक बार सुजाता भाभी कहने लगी – "सचमुच अज्ञानता के कारण हम लोग बहुत सी गलतियां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती रहीं।"

× × ×

पंचायत चुनावों के नामांकन पत्र भरे जा रहे थे। ग्रामीण इलाके में काफी गहमा गहमी थी। कुसुमा के गांव के प्रधान की सीट 'महिला–सीट' घोषित की जा चुकी थी। अध्यापिका सुजाता भाभी, सुषमा चाची तथा लेखपाल राम लाल ने कुसुमा से कहा, "आप खड़ी हो जाओ, आप की टक्कर का कोई नहीं है, अवश्य जीतोगी।" कुसुमा ने साफ मना कर दिया, कहा, "भइया राजनीति के पचड़ों से मैं दूर रहना चाहूंगी। हां, समाज कल्याण का कार्य करूंगी।" पंचायत चुनावों में विचार–विमर्श के लिए एक दिन गांव वालों की एक बैठक हुई। पूर्व प्रधान नत्थू सिंह ने बताया कि ग्राम–प्रधान के लिए अपने मजरे से तो कोई खड़ा नहीं है। हां, दूसरे दो मजरों से लल्लू सिंह की बहू और माताभीख की पत्नी खड़ी हैं। इसी में हम लोगों को चुनाव करना है। अपने–अपने स्तर पर कई लोगों ने समस्याएं उठाईं – किसी ने टूटी नाली की, तो किसी ने अधबने शौचालय की, तो किसी ने इंदिरा आवास के आवंटन की – और कहा जो प्रत्याशी इसे पूरा करने का वायदा करे उसी को वोट दिया जाए। अंत में कुसुमा जी की बारी आई। उन्होंने कहा, "सभी के सवाल जायज हैं। लेकिन हमारा एक अलग विचार है। गांव के अधिकांश हैंडपम्पों में पानी नहीं आता। हमारे पिताजी का ट्यूब–वेल भी पूरे समय पानी नहीं देता; यही हाल दूसरे ट्यूब–वेलों का भी होगा। इसका कारण जल–स्तर का निरंतर नीचे सरकना है जो एक भयावह स्थिति का संकेत है। अपने 'उल्टा किले' का मलबा तीन ओर फैला हुआ है जो थोड़ी सी मरम्मत पर बांध का काम कर सकता है। केवल पश्चिम की ओर बांध बनाना है। किले से लगी कंकरीली पथरीली जमीन दो बीघे से कम न होगी। यदि यही मिट्टी खोद कर बांध बना दिया जाए तो एक अच्छा खासा तालाब बन जाएगा। उत्तर के बहेत का पानी जो नकुआ नाले में बह जाता है, इसी में आकर रुकेगा। पचीस हजार से अधिक का खर्च नहीं है। इससे जाड़े में रबी की फसल की सिंचाई और गर्मियों में मवेशियों के पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी; साथ ही गांव का यह वीरान हिस्सा हरा–भरा हो जाएगा।" इसी बीच कुसुमा का छोटा पुत्र शैलेश ताली बजाते हुए बोल पड़ा, "और हम और भइया तालाब के किनारे दौड़–दौड़ कर नाचते मोरों को पकड़ेंगे।" बच्चे के बाल–वचन पर हंसी का एक फव्वारा फूट पड़ा। शांत होने पर, कुसुमा ने कहा, "मेरा तो विचार है कि जो प्रत्याशी इस तालाब के बनवाने का आश्वासन दे उसे ही मजरे के लोग वोट दें।" सभी ने इस सर्वहितकारी विचार की सराहना की। भूतपूर्व प्रधान ने भी कुसुमा जी की बात का अनुमोदन किया। ❑

ग्रामीण जनता की सहभागिता और स्वायत्तता में बढ़ोतरी

डा. ज्योत्स्ना राजवंशी
कल्याण सिंह कोठारी

इस लेख में लेखक ने बताया है कि राजस्थान राज्य के गांवों में नए पंचायती राज के प्रति काफी उत्साह है। पूरे राज्य में इस वर्ष 1 से 10 मई तक वार्ड सभाओं का और 15 मई को ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेखक ने दो ग्राम सभाओं की बैठक में लिए गए निर्णयों का उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कारण ग्रामीण समाज किस प्रकार जीवंत हो उठा है।

राजस्थान में पंचायती राज ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की है। पंचायती राज संस्थाओं की चार दशक की यात्रा ने उन्हें विपुल शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान कर वार्ड/ग्राम सभा/पंचायतों को सत्ता के विकेन्द्रीकरण का वास्तविक रूप प्रदान किया है। देश में राजस्थान पहला राज्य था जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्वीकार किया था। पंचायतों को सशक्त रूप से ग्रामीण व्यक्ति तक पहुंचाने में सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं और अनुसंधान संस्थानों ने एक नेटवर्क के रूप में कार्य करके यह सफल प्रयोग कर दिखाया है।

वार्ड/ग्राम सभा और पंचायतों में नया नेतृत्व उभर रहा है। पिछले पांच वर्षों के पंचायतों के अनुभवों को देखते हुए विकास कार्यक्रमों के संचालन में पंचायतों की सहभागिता तेजी से बढ़ रही है। आज स्थिति यह है कि सरकार ने नारा दिया 'आओ हम सब तय करें गांव हमारा कैसा हो?' 'अपने गांव में अपना राज' लागू करने के उद्देश्य से पहली बार 1 मई से 10 मई 2000 तक वार्ड सभाओं का और फिर 15 मई 2000 को ग्राम सभाओं का आयोजन पूरे राज्य में किया गया। राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने की यह शानदार उपलब्धि है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की जड़ों को सशक्त करने की दिशा में 73वां संविधान संशोधन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज आम जनता में ग्राम पंचायतों के माध्यम से जनतांत्रिक व्यवस्था को चलाने एवं उसमें भागीदारी निभाने की होड़ लगी हुई है।

राजस्थान में पंचायती राज की एक लम्बी यात्रा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज

की सही स्थिति स्थानीय स्वशासन के रूप में आंकी जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखना, महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना आदि रहे हैं।

73वें संशोधन के तुरन्त बाद पंचायत स्तर पर पहली बार चुनाव सम्पन्न होने के बाद ग्रामीण अंचलों में बहुत उत्साह है। राज्य सरकार ने विकास कार्यक्रमों को सशक्त करने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सर्व अधिकार सम्पन्न बनाने का संकल्प लिया है। आज ग्राम तथा वार्ड सभा स्तर पर विकास योजनाओं के प्रस्ताव, सबके लिए शिक्षा और शैक्षिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समाज के सबसे नीचे तबके को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को विपुल शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान कर इन्हें सत्ता के विकेन्द्रीकरण का वास्तविक रूप प्रदान किया जा रहा है।

अस्सी के दशक में ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना के प्रसंग में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को अनुभव किया गया। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज सम्मेलनों में ग्रामीण विकास तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना विषयों पर व्यापक विचार–विमर्श किया। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाने के लिए पंचायती संस्थाओं को सशक्त किया जाना महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया। अन्ततः 73वां संशोधन पारित किया गया। यह पंचायती राज के इतिहास में निश्चय ही एक नया मोड़ है, जहां से पंचायती राज की प्रगति का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है। सन् 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया तब तक पंचायती राज के संघीय शासन के तीसरे स्तम्भ के रूप में कल्पना नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढीकरण के प्रयासों के फलस्वरूप इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का सबलीकरण आवश्यक हो गया।

पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यक मूलभूत जानकारी, वार्ड पंच/सरपंच के अधिकारों, शक्तियों पर की गई वार्ता, वार्ड सभा/ग्रामसभा के दौरान दिए गए सुझाव और अनुभवों पर आधारित पंचायती राज की सफलता की कहानी के रूप में निम्न उदाहरण अनुकरणीय एवं प्रेरक होंगे :

महिला सरपंच का सशक्त नेतृत्व

गत 15 मई को चाकसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तामडिया की सरपंच श्रीमती मंगला देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनका विवरण इस प्रकार है :

पंचायत समिति – चाकसू, ग्राम पंचायत जनसंख्या 20,488 है जिसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 5,087 व अनुसूचित जाति जनसंख्या 320 है।

जयपुर की चाकसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तामडिया में नव–निर्वाचित ग्राम सभा की पहली सभा में अत्यन्त गरीब परिवार की विधवा श्रीमती लक्ष्मा ने आर्थिक मदद दिए जाने की अपील की। अनुसूचित जाति की सरपंच श्रीमती मंगला देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत परिवार में एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दिलवाने का प्रस्ताव किया।

चाकसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तामडिया के अन्तर्गत पांच गांव खेजड़ी, तामड़िया, कृपारामपुरा, मादीपुरा एवं नया गांव आते हैं। ग्राम सभा को पहले कोरम के अभाव में स्थगित करना पड़ा। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परिवारों के आवेदकों की सूची में विकलांग और अत्यंत गरीब जगदीश रेगर का नाम प्रस्तावित नहीं करने के लिए वार्ड पंच को ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में वार्ड पंच के अनुरोध पर ग्राम सभा ने विकलांग प्रार्थी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

महिला सरपंच का सशक्त नेतृत्व – 2

जयपुर की चाकसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कादेड़ा की सरपंच श्रीमती रतनी देवी ने ग्रामीण विकास के तहत लोगों की आर्थिक उन्नति और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में 15 मई 2000 को आयोजित ग्राम सभा में अकाल राहत के तहत गांव के तालाब की खुदाई के काम पर केवल महिलाओं को रोजगार दिए जाने का निर्णय किया। नए चुनावों के बाद पहली बार आयोजित ग्राम सभा में 300 से अधिक ग्रामीणों ने गांव के विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

अन्य पिछड़े वर्ग की पांचवीं कक्षा पास महिला सरपंच के अलावा 11 वार्ड वाली इस ग्राम पंचायत में चार महिला वार्ड पंच हैं।

महिला सरपंच ने कहा कि पुरुष मजदूरी के लिए गांव से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं कहां जाएं? अधिकांश पुरुष मजदूरी से प्राप्त पैसों को शराब में खर्च कर देते हैं जिससे परिवार के संचालन में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरपंच श्रीमती रतनी देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ सिलाई का भी कार्य करती हैं। उसने कुछ दिन पूर्व ही गांव के शराबी व्यक्ति को शांति भंग करने के जुर्म में पुलिस को सुपुर्द किया था।

गांव के समग्र विकास में सभी वर्गों की भागीदारी से हैण्डपम्प, सामुदायिक केन्द्र, सड़क निर्माण कार्य योजना के प्रस्तावों पर विचार के दौरान पंचायत समिति चाकसू के प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृषि अधिकारी, अध्यापक तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज से गरीब, पिछड़े और महिला वर्ग में आत्म–विश्वास, कार्य–कुशलता और उद्यमशीलता बढ़ रही है और वे सामाजिक–आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ग्रामीण जनता की सहभागिता और स्वायत्तता को बल देने के लिए ग्राम/वार्ड पंचायतों में जातिगत सामन्ती ढांचे और साम्प्रदायिकता के तत्वों को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ❑

परती भूमि पर बागवानी से रोजगार की संभावनाएं

डा. आनंद तिवारी

इक्कीसवीं सदी में भारत को तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा– बढ़ती आबादी, बेकारी, और गरीबी। भारतीय अर्थ–व्यवस्था मूलतः ग्रामीण है। जिस देश की दो–तिहाई से अधिक आबादी गांवों में निवास करती हो वहां किसी भी समस्या का निदान ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को दृष्टिगत रखकर खोजना अधिक हितकर होगा। प्रकृति की अपार कृपा से भारत में विशाल प्राकृतिक संसाधन धरोहर स्वरूप उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण तथा मितव्ययितापूर्ण ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से इन विशालकाय समस्याओं से निपटा जा सकता है। परती भूमि में सुधार एक ऐसी ही कार्य–योजना है जिसमें खाद्यान्न उत्पादकता को बढाया जा सकता है, साथ ही गरीबी और बेकारी को कम किया जा सकता है। भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल 305.02 लाख वर्ग कि.मी. है जिसमें से 142.24 लाख वर्ग कि.मी. भूमि का क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर कृषि क्रियाएं संपादित की जाती हैं जो कुल भूमि के आधे क्षेत्रफल से भी कम है।

भारत में राज्यवार परती भूमि के क्षेत्रफल को तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत में कुल परती भूमि का क्षेत्रफल 1295.80 लाख हैक्टेयर है जिसमें वनों द्वारा विकृत भूमि 358.89 लाख हैक्टेयर है और अन्य कारणों (जिसके अंतर्गत क्षारीय, वायु, जल, आदि आते हैं) से विकृत भूमि का क्षेत्रफल 936.91 लाख हैक्टेयर है। राज्यवार विकृत भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। समग्र भारत और मध्यप्रदेश में कुल भूमि का लगभग आधा क्षेत्रफल परती भूमि के रूप में है। आवश्यकता इस बात की है कि परती भूमि को उपयोग योग्य अवस्था में कैसे लाया जाए?

परती भूमि का सुधार

परती भूमि तीन प्रकार की होती है। कृषि योग्य परती भूमि, कृषि अयोग्य परती भूमि और निम्न स्तर की अक्षम परती भूमि। कृषि योग्य तथा कृषि अयोग्य परती भूमि का सुधार

भारत में परती भूमि (लाख हेक्टेयर)

		वनों द्वारा विकृत भूमि	अन्य कारणों से विकृत भूमि				महायोग
			क्षारीय	वायु द्वारा	जल द्वारा	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	37.34	2.40	–	74.42	76.82	114.16
2.	असम	7.95	–	–	9.35	9.35	17.30
3.	बिहार	15.62	0.04	–	38.92	38.92	54.58
4.	गुजरात	6.83	12.14	7.04	52.35	81.53	78.36
5.	हरियाणा प्रदेश	0.74	5.26	15.99	2.76	24.04	24.78
6.	हिमाचल	5.34	–	–	14.24	14.24	19.58
7.	जम्मू–कश्मीर	10.34	–	–	5.31	5.31	15.65
8.	कर्नाटक	20.43	4.04	–	67.18	71.22	91.65
9.	केरल	2.26	0.16	–	10.37	10.53	12.79
10.	मध्यप्रदेश	71.95	2.42	–	127.05	129.47	201.42
11.	महाराष्ट्र	28.41	5.34	–	110.26	115.60	144.01
12.	मणिपुर	14.24	–	–	0.14	0.14	14.38
13.	मेघालय	11.03	–	–	8.15	9.15	19.18
14.	नागालैंड	8.78	–	–	5.08	5.08	13.86
15.	उड़ीसा	32.27	4.04	–	27.53	31.57	63.84
16.	पंजाब	0.79	0.88	–	4.62	11.51	12.30
17.	राजस्थान	19.33	7.28	106.23	66.59	180.10	199.34
18.	सिक्किम	1.50	–	–	1.31	1.31	2.81
19.	तमिलनाडु	10.09	0.04	–	33.88	33.92	44.01
20.	त्रिपुरा	8.65	–	–	1.08	1.08	9.73
21.	उत्तर प्रदेश	14.26	12.95	7	53.40	56.35	80.61
22.	पश्चिमी बंगाल	3.59	8.50	–	13.27	21.77	25.36
23.	केन्द्रशासित प्रदेश	27.15	0.16	–	8.73	8.99	30.04
	कुल	**358.89**	**71.65**	**129.26**	**736.04**	**936.91**	**1295.80**

स्रोत : सोसायटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलेण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली

संभव है। परती भूमि के सुधार हेतु योजना को बनाते समय भूमि की दशा से लेकर साधनों के उपयोग तक के सभी कारकों का पूरा विवरण संकलित करना आवश्यक है। परती भूमि के सुधार हेतु तीन कदम उठाने आवश्यक होंगे।

भू–व्यवस्था, इसके अंतर्गत खड्डों के पास वाले क्षेत्रों को भरना, सीढ़ीनुमा क्यारियां और खेत बनाना, भूमि का समतलीकरण करना, गहरी जुताई करना, जलाक्रांत क्षेत्र के जल निकासी की व्यवस्था करना, हरी खाद का उपयोग करना, सम्प्रवाहन विधि, बारीक कणों (सिल्ट) को उड़ने से रोकने हेतु बांध बनाना आदि ऐसे उपाय हैं जिससे भू–व्यवस्था में शनैः शनैः सुधार संभव है। जल व्यवस्था के अंतर्गत मितव्ययी सिंचाई व्यवस्था, जलाशयों का निर्माण करना, व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने तथा उसमें घुले जैविक तथा खनिज तत्वों के बहाव को रोकने हेतु खेत पर छोटी मेंढ़ बनाना आदि कार्य कारगर सिद्ध हो सकते हैं। फसल व्यवस्था के अंतर्गत यह आवश्यक है कि भूमि पर उचित फसलें रोपी जाएं तथा फसलों को रोपित करते समय यह आवश्यक है कि स्थानीय जन सामान्य की मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि स्थानीय जनमानस ही इन फसलों का उपयोग करते हैं। उनकी मूल जरूरतों के अंतर्गत जलाने हेतु ईंधन या लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, भवन–निर्माण हेतु इमारती लकड़ी, अपने लिए फल, सब्जियां, दालें, अन्न, शहद, जड़ी–बूटी आदि आते हैं। इन पदार्थों के उगाने से समय तथा श्रम लग जाता है और उन्हें काम मिल जाता है और कुछ सीमा तक आर्थिक सहायता भी मिल जाती है।

परती भूमि में सुधार कर बागवानी

परती भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु भू–व्यवस्था, जल व्यवस्था और फसल व्यवस्था संबंधी कार्य ठीक ढंग से किए जाने चाहिए। जब परती भूमि कृषि योग्य तैयार हो जाती है तो उसमें काजू, अंगूर, जामुन, नीबू, आम, अनार, इमली, संतरा, अखरोट, नाशपाती और लीची आदि उगाए जा सकते हैं। शुष्क जलवायु

कृषि योग्य बनाई गई परती भूमि पर फलदार पेड़ उगाए जा सकते हैं

वाले क्षेत्र में आंवला, बेर, अंजीर, अनार, अखरोट, खजूर, करोंदा तथा अनार उगाए जा सकते हैं। सामान्य जलवायु वाले क्षेत्र में आंवला, आम, अनार, नीबू, अंगूर, पपीता, चीकू, जामुन, अंजीर, केला, संतरा, तथा अमरूद उगाए जा सकते हैं।

बागवानी के अंतर्गत सजावटी वृक्ष और पौधों का रोपण किया जा सकता है।

सब्जी उगाना, संशोधित करना, संरक्षित करना, तथा उनका विपणन और बीज उत्पादन आदि आज महत्वपूर्ण कार्य हो गए हैं। ये न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु रोजगार की दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध हुए हैं।

ग्रामीण बेकारी को कम करने के कारगर उपाय स्वरूप स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना होंगे। ग्रामीण अंचलों में खेतिहर मजदूर, लघु और सीमांत कृषक की सबसे ज्वलंत समस्या मौसमी तथा प्रछन्न बेरोजगारी का होना है। इसलिए रोजगार पाने के उद्देश्य से महानगरों की ओर भागता है। नगरीकरण की प्रवास प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। परती भूमि में सुधार कर बागवानी ऐसा पुनीत कार्य है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है शासन स्तर पर एक ठोस कार्य योजना के क्रियान्वयन की। ❑

स्वयं सहायता समूह, कार्य-प्रणाली तथा प्रगति

डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी

स्वयं सहायता समूह अपने नाम के अनुरूप सम्पूर्ण देश में स्वावलम्बन, सहयोग, उद्यमशीलता और सामूहिकता की भावना का विकास करने में सफलता अर्जित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षित और वंचित वर्ग, विशेषतः महिलाओं के उत्थान के लिए गठित इन समूहों ने ग्रामीण रोजगार, बचतों के संकलन तथा प्रोत्साहन और ऋण व्यवस्था के क्षेत्र में नवीन आशा और उत्साह का संचार किया है। महिलाओं की भागीदारी इसका सर्वाधिक उत्साहजनक पक्ष है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2000 तक लगभग 1,25,000 व्यक्ति इन संगठनों से जुड़े थे जिनमें 90,000 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी छोटी–छोटी बचतों से तीन करोड़ से अधिक रुपया जमा किया। इनकी प्रगति से उत्साहित होकर वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने 2000–2001 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) कई देशों में निर्धनता उन्मूलन यन्त्र के रूप में प्रकट हुआ है। भारत में भी इसके परिणाम और प्रगति सन्तोषजनक है। गत वर्ष की प्रगति और चालू वर्ष के लिए लक्ष्य के सम्बन्ध में उन्होंने बजट भाषण में अवगत कराया कि गत वर्ष नाबार्ड और सिडबी को 50,000 स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिए कहा था, जिसके अनुपालन में 50,000 ऐसे समूहों को बैंकों से सम्बद्ध किया गया है। वित्तमंत्री के अनुसार वर्ष 2000–2001 में एक लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से सम्बद्ध किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नई गति देने के लिए नाबार्ड के साथ सौ करोड़ रुपये की सूक्ष्म वित्त विकास निधि (माइक्रो फाइनेन्स डेवलेपमेन्ट फण्ड) का सृजन किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और अन्य बैंकों से अंशदान लिया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा कार्य–प्रणाली

स्वयं सहायता समूह निर्धनों और कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर गठित एक समूह है, जिसमें लोग पारस्परिक सहमति के आधार पर बचतों को एकत्रित कर एक निधि का सृजन करते हैं। इस निधि का उपयोग सदस्यों द्वारा उत्पादक और उपभोक्ता कार्यों हेतु किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के गठन का उद्देश्य बचतों को प्रोत्साहित करना, संकलित करना, ऋण प्रदान करना, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और ऐसे समस्त कार्य करना है जिनसे समूह के सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ये समूह यद्यपि स्वावलम्बी तथा स्वतंत्र समूह होते हैं तथापि वित्तीय सहयोग के लिए इन्हें किसी बैंक से सम्बद्ध किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूहों का गठन 5 से 20 व्यक्ति तक मिलकर कर सकते हैं, किन्तु व्यवहार में इनकी सदस्य संख्या प्रायः 10 से 15 के बीच ही रहती है। समूह गठन के इच्छुक व्यक्ति एक बैठक कर समूह संचालन सम्बन्धी नियम, सिद्धान्त, उद्देश्य आदि का निर्धारण करते हैं। प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों को समूह का प्राथमिक सदस्य माना जाता है। समूह के सदस्य आपस में मिलकर एक अध्यक्ष तथा सचिव का चुनाव करते हैं

जिसका कार्यकाल प्रायः दो से तीन वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्य बैठकों का आयोजन करना, उन्हें संचालित करना, संगठन की प्रगति हेतु प्रयास करना तथा ऋणों की स्वीकृति देना होता है। सचिव समूह के अभिलेखों, लेखा बहियों और अन्य कागजातों को तैयार करता है तथा संगठन सम्बन्धी कार्यों में अध्यक्ष की सहायता करता है।

समूह की पूंजी और ऋण वितरण

समूह की पूंजी के संकलन हेतु सदस्य पारस्परिक सहमति के आधार पर एक न्यूनतम सहयोग राशि निर्धारित करते हैं। यह राशि 10 रुपये या उसके गुणकों में होती है। प्रत्येक सदस्य प्रत्येक माह किसी निश्चित तिथि पर सचिव के पास उक्त राशि जमा करता है। इस बैठक में सदस्यों द्वारा जमा राशि और वितरित ऋण का लेखा–जोखा सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नियमित बचत के अतिरिक्त भी धन समूह में जमा किया जा सकता है।

समूहों को बैंक से सम्बद्ध होने का प्रावधान है। समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक और नाबार्ड का निर्देश है कि वे ऐसे समूहों को अंगीकृत करें। सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं कि उन्हें अमुक बैंक से सम्बद्ध होना है। उनके खातों का संचालन अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। समूह की मांग पर बैंक जमा धन की राशि के दो गुने तक ऋण, जो निधि सृजित होती है, उसमें जमा करते हैं जिससे दो सदस्यों की जमानत पर समूह के अध्यक्ष और सचिव द्वारा ऋण दिया जाता है। प्रदत्त ऋण पर समूह सदस्य से 17 से 18 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करता है। किस्तों की नियमित वसूली आवश्यक है।

समूह ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कार्य भी सम्पन्न करते हैं। एकत्रित पूंजी से किसी उद्यम या व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सदस्य उत्पादक कार्य की योजना बना सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के कार्य उन समूहों द्वारा, सम्पन्न किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं नारियल जटा से रस्सी तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, मोमबत्ती बनाना, पशु पालन तथा मुर्गी पालन, सिलाई–कढ़ाई केन्द्र चलाना आदि। समूह के लोग सामाजिक उत्थान के अन्य कार्यों जैसे नसबन्दी, परिवार नियोजन, शिशु और मातृ रक्षा जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा और इन्हें अपनाने का संकल्प लेते हैं।

स्वयं सहायता समूहों की प्रगति

स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा 1992 से संचालित किया जा रहा है। सरकार स्वयंसेवी संगठनों, नाबार्ड और अन्य संस्थाओं की प्रेरणा से देश में इस समय लाखों स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। केवल आन्ध्र प्रदेश में ही लगभग दो लाख समूह संगठित हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी स्वयं सहायता समूहों की प्रगति काफी उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश में विगत चार वर्षों में स्वयं सहायता समूह के गठन में तेजी आई है। 1994–95 में उत्तर प्रदेश में केवल 10 समूह बैंकों से सम्बद्ध थे जिनकी संख्या 1999–2000 में बढ़कर 10,500 हो गई। नाबार्ड के निर्देशन में प्रदेश में लगभग 20 हजार से अधिक समूह सक्रिय हैं। वर्ष 1999–2000 में 10,141 समूहों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया। नाबार्ड के सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का ऐसा अकेला राज्य है जहां ग्रामीण बैंक इस कार्य में लगे हैं।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त प्रबन्ध, रोजगार, सामाजिक स्तर में सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने में सरकार और वित्तीय संस्थाओं को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य संगठनों को स्वयं सहायता समूहों को गठित करने और संचालित करने में विशेष रुचि लेनी चाहिए। ❑

जीवन–धारा

– डा. तारादत्त निर्विरोध

श्रम को कांवरिया ढोने दो,
कुछ और पसीना बोने दो,
बंजर में अंकुर फूटे हैं–इन से हरियाली आएगी।
सपनों को मुखरित होने दो,
जीवन को विकसित होने दो,
हम लोग खड़े हैं जनपद में, हमसे खुशहाली आएगी।

जीवन की अविरल धारा को मुड़ती है तो फिर मुड़ने दो,
पौरुष को क्रूर नियति से या कुछ देर समय से लड़ने दो;
बांधो मत सीमा में मन को, खींचो मत बंध अंधेरों में,
चमकीले पंखों के सपने फिर आसमान में उड़ने दो।
हम लोग तपे हैं सूरज से, हम से उजियाली आएगी।

आई है क्रांति विचारों तक कोई तो गीत मुखर होगा,
जो टूट गए पर जुड़े रहे उनका भी कोई स्वर होगा,
बदलेगी हवा जमाने की, बदली है फिरसे बदलेगी–
जो भटक गए हैं यहां, वहां, उनका भी कोई घर होगा।
गांवों का जीवन उन्नत हो, ऐसी भी डाली आएगी।

नारी शिक्षा : प्रारूप तथा संभावनाएं

डा. अलका श्रीवास्तव

शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा से ही हम समाज में व्याप्त रूढ़ियों, बुराइयों से लड़ना सीखते हैं। शिक्षा से व्यक्ति सबल बनता है। महिलाओं के लिए शिक्षा और ज्यादा जरूरी है। एक सुशिक्षित महिला अपने परिवार, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देकर समाज में अनेक बुराइयों को दूर करने में मदद करती है। शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं को सबल बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाया जाए। इसके लिए लेखिका ने व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव दिया है। स्वयं सहायता समूहों की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

स्त्री शिक्षा, सामाजिक विकास का मूल आधार है। महिला शिक्षा के बिना विकास का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में गांव की तुलना में नगरों में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। ग्रामीण महिलाएं और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं शैक्षिक जागरण की लहर से अछूती रह गई हैं। इसके लिए सुविधाओं, प्रयासों की कमी के साथ–साथ हम लोगों की गलत मानसिकता भी जिम्मेदार है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में शिक्षा को मात्र नौकरी या रोजगार से जोड़कर देखा जाता है और चूंकि नौकरियां आसानी से मिलती नहीं, मान लिया जाता है कि शिक्षा से लाभ ही क्या है। शिक्षा से होने वाले समाजोत्थान और परिवर्तन को नकार दिया जाता है जबकि सोच में परिवर्तन और अन्ततः समाज में परिवर्तन से आत्मनिर्भर होने की संभावनाएं स्वतः बढ़ती हैं।

भारत में आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और वह गांवों में ही रह कर सहजता से रोजी–रोटी का इन्तजाम कर सके, हमें इस ध्येय को भी ध्यान में रखना है, तभी शहरों और गांवों में जनसंख्या का सन्तुलन बना रहेगा और शहरों की ओर खिंचती लोगों की भीड़ सीमित रह सकेगी। वही शिक्षा प्रगति के पथ पर ले जा सकती है, जो सीधे–सीधे रोजी–रोटी के सवाल से सम्बद्ध होगी, यानी कि जीवन की मूलभूत जरूरतों से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण। आज समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं नजर आती हैं, जैसे – पारिवारिक इकाइयों का टूटना, अत्यधिक हिंसा, मानसिक व्याधियों की बहुलता, आत्महत्या दर में बढ़ोतरी आदि। इन व्याप्त विषमताओं से छुटकारा पाने के लिए इनके कारणों की विवेचना अति आवश्यक है। यदि कोई दुर्वह स्थिति विभिन्न प्रकार के कारणों से उत्पन्न स्थितियों की वजह से पनपती है, तो उस स्थिति से जूझने के लिए जरूरी है कि उन मूल कारणों को समझा जाए और उनसे जूझा जाए। बिना गहराई तक जाए, और बिना उपयुक्त विवेचना के सिर्फ ऊपरी तौर पर किसी भी स्थिति को सिर्फ देखा जा सकता है, उसे सुधारा नहीं जा सकता। उपर्युक्त व्याख्या का मूल तात्पर्य है कि नारी शिक्षा द्वारा सोच में परिवर्तन आएगा और सार्थक शिक्षा से उनमें स्वावलंबन आएगा उससे बहुत सारी विषमताएं स्वतः दूर हो जाएंगी। अतः शिक्षा और विशेषकर सार्थक शिक्षा आज पहली जरूरत है।

चाहे वह गांव हो या शहर, लड़कियों को समाज में उनका उचित स्थान उपलब्ध नहीं है। गांवों में स्थिति और बदतर है। सोचा जाए तो इसके लिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज जिम्मेदार नजर आता है। लेकिन क्या केवल जिम्मेदारी तय कर देना ही हमारा उद्देश्य है। यदि नहीं, तो फिर हल क्या है? समाज को बदलना, सोच को बदलना।

यह कागजों पर लिखी इबारतें नहीं हैं जो मिटा कर नई लिखी जा सकें ... यह गहरी जड़ों वाली मानसिकता है, जो न सिर्फ अल्पशिक्षितों में व्याप्त है, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर वर्ण, हर क्षेत्र में व्याप्त है। ऐसे में जरूरत है प्रयासों की ... चाहे वह कितने ही

छोटे, कितने ही महत्वहीन क्यों न लगें, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था को बदलना मुश्किल है, पर अपने आस–पास के छोटे से क्षेत्र को, वहां रहने वालों को, अपनी छोटी–छोटी कोशिशों और उनसे उपजने वाले नतीजों से बदलना आसान है। अपने लक्ष्य को ऊंचा तथा विस्तृत रखा जा सकता है, पर प्रयासों को उससे कहीं नीचे, किसी संभव स्तर पर घनीभूत करना अनिवार्य है। उसके बाद संभावनाएं खुद अपना रास्ता बनाएंगी, जब छोटे–छोटे व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक प्रयासों का रूप लेंगे।

यहां शिक्षा से बात इसलिए शुरू की है क्योंकि वह एक शुरुआती बिन्दु हो सकता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा का प्रचार–प्रसार। सभी लोग चाहे वह किसी भी आयु के हों, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को जानें और उन्हें इसकी सहज उपलब्धता हो। इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ–साथ गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रयास अनिवार्य हैं। संप्रेषण के सभी माध्यमों का और संरचना तंत्र के सभी उपयुक्त विभागों का इस्तेमाल इस प्रयास में होगा तभी सफलता अपेक्षित हो सकती है। उदाहरणार्थ, चाहे वह नुक्कड़ नाटकों के जरिये दिया गया संदेश हो, या फिर पंचायती राज द्वारा किसी भी चरण पर किया गया प्रयास हो। इसके लिए छात्रों की मदद ली जा सकती है। स्नातक और इससे ऊंची पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए गांवों में जाकर निश्चित अवधि तक के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, उनके पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सकता है। युवा–ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल पूरे माहौल को बदल सकता है।

शिक्षा की अहमियत जब लोगों तक पहुंचेगी, वह कई तरीकों से अपने आपको सशक्त महसूस करेंगे। लिखाई–पढ़ाई जब उनके लिए सहज होगी तो वह शोषण का शिकार नहीं बनेंगे। समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लड़के–लड़की में भेद–भाव आदि से टक्कर ले सकेंगे। अब उनकी अपनी एक सोच होगी, जो उन्हें दिशा देगी, न कि वह भेड़ चाल के शिकार बने रहेंगे। इसका एक सुस्पष्ट उदाहरण केरल है, जहां शिक्षा का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। केरल की महिलाओं में 86.17 प्रतिशत साक्षरता है, जबकि उत्तर प्रदेश में वह मात्र 25.31 प्रतिशत है। केरल में दो वर्ष की आयु वाले 54.4 प्रतिशत बच्चों को शिशु स्वास्थ्य रक्षा सम्बद्ध सब टीके लगे होते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में इसी उम्र के बच्चों में टीके का यह प्रतिशत 18.8 ही है। केरल और उत्तर प्रदेश के बीच इन अन्तरों के मूल में स्त्री की जागरूकता और शिक्षा ही है। अनुभव तथा अध्ययन दोनों से ही पता लगा है कि जहां महिलाएं शिक्षित हैं, वहां महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्ट नजर आए हैं जैसे जन्म–दर तथा शिशु मृत्यु–दर घटी है तथा जनसंख्या वृद्धि–दर में कमी आई है।

परिवार में माताएं जब शिक्षा के महत्व को जानेंगी और समझेंगी तो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी, अधिक जनसंख्या के नुकसानों और अधिक प्रसवों के द्वारा शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को समझते हुए अपने परिवारों को सीमित रखेंगी। लड़कियों को बोझ समझकर नादान उम्र में उनका विवाह करने का विरोध करेंगी, तथा इस तरह 'सोच का बदलाव', समाज को अपने आप, धीरे–धीरे ही सही, एक नई और सार्थक दिशा देगा। कोई भी बात, चाहे वह कितने ही फायदे की क्यों न

विकास में महिलाएं भी बराबर की भागीदार

हो, जब तक सिर्फ 'थोपने' की तरह लागू की जाएगी, कभी भी लोगों की सोच में बदलाव नहीं ला सकेगी, और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक बदलाव की उम्मीद भी करना व्यर्थ है। देश में होने वाले बहुत सारे आन्दोलन सिर्फ इसी कारण अपना असर खो बैठते हैं, क्योंकि वह लोगों की सोच को प्रभावित किए बगैर शुरू किए जाते हैं तथा इसी तरह वैचारिक स्तर पर बिना लोगों को साथ लिए उन्हें जारी रखने की कोशिश की जाती है।

अब प्रश्न उठता है प्राथमिक स्तर यानी मूल प्रारम्भिक शिक्षा के उपरांत निश्चित पाठ्यक्रम वाली ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का, फिर गहन सोच–विचार के बाद पृष्ठभूमि और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए नए पाठ्यक्रम वाली पढ़ाई का, जिसके बाद व्यक्ति सहजता से सोच–समझकर अपनी बुद्धि का सामयिक और व्यावहारिक इस्तेमाल कर सके। परम्पराओं तथा अन्ध–विश्वासों के सम्बन्ध में उचित आचरण करने के लिए उन्हें विज्ञान से भी परिचित होना जरूरी है, जिससे अपने जीवन में वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकें। साथ ही वह व्यावहारिक जानकारियां भी उन्हें हासिल होनी चाहिए, जिनके आधार पर वह बैंक, पोस्ट आफिस, सरकारी दफ्तरों में आत्म–विश्वास से जा सकें और योजनाओं, कार्यक्रमों को समझ सकें। यदि गहराई से देखा जाए, तो अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ही ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लोगों की, विशेषकर महिलाओं की, सहभागिता नहीं हो पाई है। शिक्षा द्वारा यदि लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाए और लड़कियों को तथा महिलाओं को परिवार में उचित मान और अवसर मिले, तो भविष्य में वह न सिर्फ परिवार और समाज को प्रगति पथ पर उन्मुख करेंगी बल्कि स्वयं संगठित तथा सबलीकृत होकर औरों को भी इस दिशा में आगे लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। पर्यावरण, मृदा तथा जल संरक्षण, प्रदूषण, स्वच्छता, जनसंख्या विस्फोट, जैसी अत्यावश्यक जानकारियां भी व्यावहारिक ज्ञान के परिक्षेत्र में शामिल हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक हमारे नित्यप्रति के जीवन, और देश के भविष्य से है। कहने का तात्पर्य यह है, कि जिस 'सार्थक शिक्षा' का जिक्र यहां हो रहा है, उसका पाठ्यक्रम, बहुत सोच–विचार कर, सभी पहलुओं को और अन्य सामयिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिए।

शिक्षा के द्वारा यदि लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाए और लड़कियों को तथा महिलाओं को परिवार में उचित मान और अवसर मिले, तो भविष्य में वह न सिर्फ परिवार और समाज को प्रगति पथ पर उन्मुख करेंगी बल्कि स्वयं संगठित तथा सबलीकृत होकर औरों को भी इस दिशा में आगे लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

शिक्षा से संबद्ध या अन्य कोई भी निर्णय लेने की शक्ति व्यक्ति में तभी आती है जब उसके पास दो वक्त की रोटी का पुख्ता इन्तजाम यानी आर्थिक रूप से सबलीकरण हो। स्त्रियों के लिए और भी जरूरी है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, सही गलत का निर्णय अपनी सोच–समझ से कर सकें। शहरों में कई तरह की संभावनाएं होती हैं, सुविधाएं भी – पर गांवों में स्त्री के लिए धन अर्जित करना, या तो उसके शारीरिक श्रम द्वारा संभव है या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा संभव है। इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सुविधा गांवों तक पहुंचानी जरूरी है। इसके लिए भी सरकार के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। कृषि प्रौद्योगिकी हो, या नर्सिंग प्रशिक्षण, पशु पालन हो या कोई भी लघु उद्योग; इन का, सभी तक पहुंचना जरूरी है। सभी छात्रों के लिए निश्चित अवधि का ग्राम प्रवास जरूरी होना चाहिए जिसके दौरान वह ग्रामवासियों को अपनी तरफ से प्रशिक्षण दे सकें। महिलाओं को यदि उचित अवसर मिलते रहें, तो वह तरह–तरह के रोजगारों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं। रोजगार से सम्बद्ध प्रशिक्षण के साथ–साथ जरूरी है, अपने उत्पादों को सही जगह पर, सही मूल्य पर बेचने की व्यवस्था। कच्चा माल खरीदने और तैयार माल को बेचने के लिए, लघु ऋण योजना और सहकारिता की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सम्मिलित प्रयासों का एक अच्छा उदाहरण 'स्वयं सहायता समूह' हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित समूह हैं, जिसमें समूह के सदस्य अपनी जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं, उसका अंशदान सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों की उत्पादक अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमत होते हैं। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। 'इच्छा' और 'क्रियान्वन' के बीच के फासले को पाटना आज सबसे जरूरी है और सार्थक शिक्षा एक तरीका है, एक युद्धनीति है, जो ऐसे में सहायक सिद्ध हो सकती है। मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में महिलाओं ने छोटे–छोटे स्व–सहायता समूह गठित किए हैं, जिन्हें उन्होंने 'दीदी बैंक' का नाम दिया है। यह समूह जिले की साक्षर समिति के प्रयासों का परिणाम है। ऐसे उदाहरण स्पष्ट दर्शाते हैं कि शिक्षा से ही महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन संभव है और शिक्षा सिर्फ साक्षरता तथा घरेलू भूमिकाओं के लिए तैयार करने मात्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि महिलाओं में आत्म–निर्भरता और आत्म–विश्वास बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब सार्थक शिक्षा के अवसर जुटाए जाएं, प्रशिक्षण दिया जाए और उनके कार्यों का सही मूल्यांकन हो।

सार्थक शिक्षा हेतु, उपयोगी और सार्थक पाठ्यक्रम के साथ–साथ सभी सम्बद्ध संस्थानों, समूहों का परस्पर सहयोग और सहभागिता अनिवार्य है। शिक्षा में सैद्धान्तिक पक्ष से अधिक महत्व व्यावहारिक पक्ष को देना होगा। केन्द्र तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के विकास का मुद्दा उठाना आवश्यक है और इसमें महिलाओं के संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबके समग्र तथा सामयिक प्रयासों से ही महिलाओं के लिए वह ठोस धरातल तैयार हो पाएगा, जहां कार्यरत होकर वह न सिर्फ अपने, अपने परिवार और समाज के बल्कि राष्ट्र के कल्याण में अपनी भूमिका सार्थक रूप से निभा सकेंगी। ❑

शोषण के जाल में बदहाल हमारे ये नौनिहाल

डा. राजीव कुमार

बच्चे राष्ट्र या समाज की सम्पत्ति होते हैं और राष्ट्र का भविष्य उनके समुचित विकास पर निर्भर करता है। अतः बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखना प्रत्येक राष्ट्र का कर्त्तव्य होता है। किन्तु भारत को स्वतंत्रता–प्राप्ति के बावन वर्षों की अवधि में अनेक प्रयासों के बाद भी इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी है। देश के बहुसंख्य बच्चों को दो वक्त का भोजन और तन ढकने को कपड़े उपलब्ध नहीं हैं। करोड़ों बच्चे अपने खाने–खेलने की उम्र में मेहनत–मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए मजबूर हैं। आज भारत में बाल श्रम की समस्या कम होने के स्थान पर निरंतर गंभीर होती जा रही है। बाल श्रम की समस्या का सबसे दुखद पहलू बच्चों का शोषण और उत्पीड़न है। अधिकांश बच्चे ऐसी दशाओं में काम करने को विवश हैं जो उनके स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। देश का भविष्य हमारे ये नौनिहाल बदहाल जिन्दगी जी रहे हैं। इनमें से अधिकतर बच्चों ने या तो स्कूल देखा ही नहीं है अथवा पढ़ना बीच में ही छोड़ दिया है। बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखकर कानून भी बने हैं किन्तु वे बेअसर रहे हैं।

बाल श्रमिक कौन?

किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में श्रम करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक कहे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को परिभाषित करते हुए लिखा है – "ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन के कुछ घण्टे खेल और पढ़ाई से निकालकर जेब खर्च के लिए काम करते हैं, ये वे बच्चे भी नहीं हैं जो पारिवारिक भूमि पर कृषि कार्य में सहायता करते हैं या घरेलू कामों में सहायता करते हैं बल्कि ये वे मासूम बच्चे हैं जो 10 से 18 घंटे काम करके, कम पैसों पर अधिक श्रम बेचकर,, बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित रहते हुए और कभी–कभी परिवारों से अलग होकर रहते हुए वयस्कों की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं।" यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह स्पष्टतः लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक किसी कारखाने, खान अथवा किसी भी जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जा सकता है और इसी भावना को ध्यान में रखते

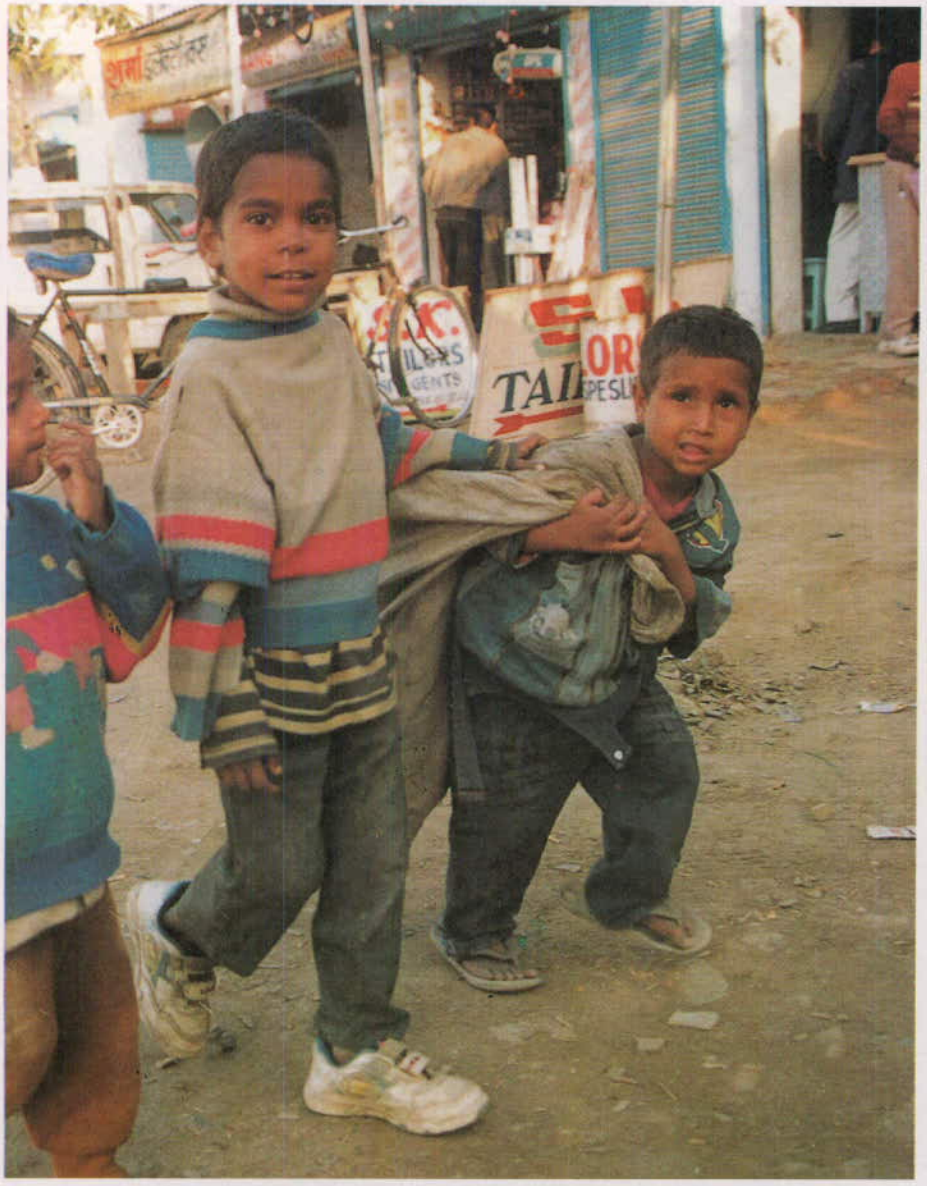

इस उम्र में इतनी मशक्कत

हुए विभिन्न श्रम कानून भी बनाए गए हैं किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत ही रही है। अपना स्वार्थ साधने वाले लोगों द्वारा कानूनों का खुला उल्लघंन करके बाल श्रमिकों का जमकर शोषण किया जा रहा है।

समस्या का विस्तार

यह एक अत्यन्त दुखद और शर्मनाक तथ्य है कि विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में वर्तमान में लगभग 11 करोड़ बाल श्रमिक हैं किन्तु सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या लगभग दो करोड़ बताई जाती है। वस्तुतः बाल श्रमिकों की सही संख्या का पता लगा पाना अत्यन्त कठिन है क्योंकि ये श्रमिक केवल संगठित क्षेत्र के कल कारखानों में ही नहीं, असंगठित क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, सड़कों, गलियों में चलने वाले ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों, साइकिल–स्कूटर ठीक करने की दुकानों, अन्य छोटी–छोटी दुकानों पर काम करते तथा कूड़ा–कचरे के ढेर से प्लास्टिक, पोलीथीन तथा अन्य समान बीनते और घरों में काम करते बच्चे बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। इन बच्चों की सही–सही गणना कर पाना असंभव–सा ही है। संगठित क्षेत्र के अनेक उद्योगों में भी बाल श्रमिकों से चोरी छिपे ही काम लिया जाता है क्योंकि ऐसा करके उन्हें कम मजदूरी देकर उनका अधिक से अधिक शोषण किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार, कुल बाल श्रमिकों में 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, 30 से 35 प्रतिशत तक कल–कारखानों में कार्यरत हैं तथा शेष अनेक प्रकार के लघु और कुटीर उद्योगों, पत्थर खदानों, चाय की दुकानों और घरों पर कार्य कर रहें हैं। अनेक ऐसे खतरनाक या जोखिम भरे उद्योग/व्यवसाय हैं जिनमें काफी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे – शिवाकाशी का आतिशबाजी और माचिस उद्योग, जयपुर का बहुमूल्य पत्थर पालिश उद्योग, सूरत का हीरा पालिश उद्योग, फीरोजाबाद का कांच व चूड़ी उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, मिर्जापुर, भदोही का हस्त शिल्प गलीचा उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, मध्य प्रदेश में मंदसौर का स्लेट उद्योग आदि। वैसे तो बाल श्रमिकों की स्थिति सभी जगह शोचनीय और चिन्तनीय है किन्तु इन उद्योगों में तो उन्हें खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़ रहा है।

एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सम्पूर्ण बाल श्रमिकों में 40 प्रतिशत लड़कियां हैं। सबसे अधिक लडकियां तमिलनाडु में शिवाकाशी के आतिशबाजी उद्योग में काम करती हैं, वहां इनकी संख्या 90 प्रतिशत तक है। उत्तर प्रदेश के चिकन उद्योग में भी बाल श्रमिकों के रूप में लड़कियों की बहुतायत है। बीड़ी, धूप, अगरबत्ती आदि उद्योगों में भी अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं। इन बालिकाओं को अपने मासूम बचपन को काम की भट्टी में झोंक देने पर भी न पूरा वेतन मिलता है और न अन्य सुविधाएं। ये बालिकाएं इन उद्योगों से जुड़े दलालों और ठेकेदारों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार भी हो जाया करती हैं। शिक्षा से वंचित और परिस्थितियों की शिकार ये बालिकाएं नारकीय जीवन जीने को विवश हैं।

समस्या के प्रमुख कारण

सरकारी और कई गैर–सरकारी संगठन बाल श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करने के

लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं किन्तु फिर भी बाल श्रमिकों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। इसका एक कारण नीतियों और कार्यक्रमों का ठीक प्रकार से लागू न हो पाना तो है ही, हमारे देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां भी एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं जो

ये वे मासूम बच्चे हैं जो 10 से 18 घंटे काम करके, कम पैसों पर अधिक श्रम बेचकर,, बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित रहते हुए और कभी–कभी परिवारों से अलग रहते हुए वयस्कों की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं।

बच्चों को खाने–खेलने की उम्र में ही मेहनत–मजदूरी करने के लिए विवश कर देती हैं। आज देश के सामने प्रमुख समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या और अशिक्षा हैं। ये सभी बाल श्रम की समस्या के प्रमुख कारण भी हैं।

एक गरीब और बेरोजगार या अल्प रोजगार परिवार में बच्चे को छोटी उम्र से ही मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है। इसके पीछे मां–बाप की मजबूरी के साथ–साथ 'जितने हाथ उतना काम' वाली मानसिकता भी काम करती है। उनकी इस प्रकार की मानसिकता के पीछे है उनकी अशिक्षा और इसी मानसिकता के कारण ये लोग परिवार को सीमित रखने में भी विश्वास नहीं करते। इनको अपना बड़ा परिवार गरीबी का कारण नहीं लगता बल्कि वे बच्चों को अपनी घर–गृहस्थी चलाने में सहायक मानते हैं। अधिकांशतः इन परिवारों में बच्चों का शिक्षा से कोई वास्ता नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। यदि बच्चे स्कूल जाने लगें तो फिर वे काम कैसे करेंगे? और यदि वे काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? कई बार सरकारी दबाव के कारण या स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं किन्तु बाद में उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वाकर उन्हें काम पर लगा देते हैं। इस प्रकार अधिकांश बाल श्रमिक या तो निरक्षर ही रह जाते हैं या उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा पांच बड़े शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई में कुल बाल श्रमिकों में 59 प्रतिशत बच्चे तो कभी स्कूल गए ही नहीं, 30 प्रतिशत बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, केवल 11 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने ही पढ़ाई जारी रखी। कलकत्ता में 84 प्रतिशत बाल श्रमिक कभी स्कूल गए नहीं, 15.7 प्रतिशत बच्चों ने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखी और केवल 0.3 प्रतिशत बच्चों ने ही पांचवीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई की। मद्रास, हैदराबाद, और कानपुर में अधिकांश बाल श्रमिक, निरक्षर पाए गए। देश के अधिकांश क्षेत्रों में बाल श्रमिक अशिक्षित अथवा अल्प–शिक्षित हैं।

बाल श्रमिकों में व्याप्त अशिक्षा उनके शोषण के लिए एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। प्रथम, जो श्रमिक बच्चे गिनती और रुपये पैसे तक का हिसाब लगाना नहीं जानते हैं वे बेईमान और पाश्विक प्रवृत्ति वाले मालिकों द्वारा अपने वेतन या मजदूरी के मामले में ठग लिए जाते हैं। दूसरे, अशिक्षा के कारण बाल श्रमिकों में गतिशीलता की कमी है। अशिक्षित होने के कारण बहुत से बाल श्रमिक दूसरे स्थानों पर अच्छी नौकरी या व्यवसाय के लिए नहीं जा पाते और कम पारिश्रमिक वाला काम, ही करते रहते हैं। इससे न तो उनका जीवन–स्तर ही सुधर पाता है और न ही शोषण से उनकी रक्षा हो पाती है।

बाल श्रमिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में जहां एक ओर पारिवारिक और सामाजिक कारण यथा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, परिवार का असीमित आकार और जितने हाथ उतना काम वाली मानसिकता उत्तरदायी हैं वहां दूसरी ओर इसमें उन उद्योगपतियों, मिल मालिकों और ठेकेदारों की भी मुख्य भूमिका है जो युवाओं की बजाय छोटे बच्चों को काम पर लगाना चाहते हैं क्योंकि छोटे बच्चों से कम मजदूरी देकर असुविधाजनक वातारण में भी चुपचाप घण्टों काम लिया जा सकता है।

बाल श्रम कानून और नीतियां

ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्या की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार प्रारम्भ से ही बाल श्रमिक व्यवस्था को समाप्त करने और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नशील रही है और इसके लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बने प्रमुख कानूनों में 1933 का बंधुआ श्रम अधिनियम और 1938 का बाल रोजगार अधिनियम सम्मिलित है। पहला बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने से सम्बन्धित था और दूसरे में कुछ खास उद्यागों

भारत के सम्पूर्ण बाल श्रमिकों में 40 प्रतिशत लड़कियां हैं। सबसे अधिक लड़कियां तमिलनाडु में शिवाकाशी के आतिशबाजी उद्योग में काम करती हैं, वहां इनकी संख्या 90 प्रतिशत तक है। उत्तर प्रदेश के चिकन उद्योग में भी बाल श्रमिकों के रूप में लड़कियों की बहुतायत है। बीड़ी, धूप, अगरबती आदि उद्योगों में भी अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं।

और क्षेत्रों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। किन्तु ये अधिनियम प्रभावहीन सिद्ध हुए। स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद 1948 में फैक्टरी अधिनियम बना जिसके अनुसार किसी फैक्टरी में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 1951 में बागान श्रमिक अधिनियम बना जिसके अनुसार चाय, काफी और रबड़ के बागानों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। 1952 में बने खदान अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से कम किशोर से खदानों में काम लेने के लिए डाक्टरी प्रमाण पत्र आवश्यक हो गया।

मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के किसी भी मोटर परिवहन अंडरटेकिंग में किसी भी रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1966 के बीड़ी और सिगार अधिनियम तथा राज्यों में दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा भी बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ हेतु कानून बनाए गए हैं।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने फरवरी 1979 में श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता में बाल श्रम समिति का गठन किया। इस समिति न बाल श्रम उन्मूलन तथा रोजगार नियमन के लिए प्रचलित कानूनों को एक व्यापक विधेयक में बदलने का सुझाव दिया। इस समिति तथा मेहता समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 1986 में बाल श्रम (निषेधन एवं नियमन) अधिनियम बनाया जिसके अनुसार केवल परिवार से सम्बन्धित व्यवसायों तथा मान्यता–प्राप्त शालाओं की गतिविधियों को छोड़कर, 14 वर्ष से कम आयु

आज देश के सामने प्रमुख समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या और अशिक्षा हैं। ये सभी बाल श्रम की समस्या के प्रमुख कारण भी हैं।

के बच्चों को कुछ जोखिमपूर्ण या खतरनाक व्यवसायों में काम करवाना कानूनी अपराध है। ये जोखिमपूर्ण व्यवसाय हैं – रेलगाड़ियों में सामान ढोना, भवन निर्माण, गलीचों की बुनाई, कपड़ों की छपाई, रंगाई, बुनाई, माचिस या विस्फोटक सामग्री का उत्पादन, बीड़ी निर्माण, माइका कटिंग, अधजले कोयले की चुनाई, राख के गड्ढ़ों की सफाई, कसाईखाना, ऊन की सफाई, प्रिंटिंग, काजू के छिलके निकालना और इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में सोल्डरिंग।

1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल देने की व्यवस्था की गई। इस नीति में 1974 में बनी राष्ट्रीय बाल नीति प्रस्ताव में पारित विचारों को और अधिक विकसित रूप में रखा गया। इस नीति में बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए अनेक औपचारिक तथा गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने तथा उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई।

सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी बाल श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने तथा रोजगार से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया। इन बच्चों की गैर–औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य की देख–रेख जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं।

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रमिकों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। लगभग डेढ़ लाख बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लए 76 योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। लगभग एक लाख पांच हजार बच्चों को काम से हटाकर इन योजनाओं के तहत चलने वाले स्कूलों में डाला गया है। इसके अतिरिक्त देश भर के 500 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित 2,79,000 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लगभग सात लाख बच्चे लाभ उठा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के कांच उद्योग से जुड़े बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजना के तहत 70 स्कूलों को मंजूरी दी है। इस योजना से साढ़े छह हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दुनिया भर में बाल श्रम के सबसे जघन्य रूपों को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में जून 1999 में जिनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुआ। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों के जोखिमपूर्ण कार्यों और शोषण से मुक्ति पर बल दिया है।

समीक्षा तथा सुझाव

सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न कानूनों, नीतियों और योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त गैर सरकारी स्तर पर भी अनेक स्वयंसेवी संगठन बाल श्रमिकों को शोषण तथा उत्पीड़न से बचाने हेतु प्रयत्नशील हैं। विगत दिनों एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा शासन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक गलीचा फैक्टरी में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत 40 बाल श्रमिकों को फैक्टरी मालिक के चंगुल से मुक्त कराया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनीसेफ जैसे संस्थाएं इस दिशा में पूरी सक्रियता से लगी हैं। किन्तु फिर भी

गरीब परिवारों के माता–पिताओं को उनकी योग्यतानुसार पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जब माता–पिता अपने रोजगार के बल पर स्वयं तथा परिवार के लिए दो वक्त का भरपेट भोजन और भरण पोषण के लिए अन्य सभी अनिवार्य साधन जुटाने में समर्थ होंगे तो फिर वे अपने मासूमों का बचपन क्यों गिरवी रखेंगे?

बाल श्रम की समस्या का संतोषजनक हल अभी नहीं निकल सका है। बाल श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त करने और कार्यरत बाल मजदूरों को शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए एक सुविचारित समग्र रणनीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम समस्या की जड़ में जाकर उन कारणों को दूर करना होगा जिनके रहते बाल श्रमिकों की संख्या में कमी होने के स्थान पर निरन्तर वृद्धि हो रही है। बाल श्रम की समस्या के प्रमुख कारण गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या है। समाज से गरीबी दूर करके आम जनता के जीवन–स्तर में सुधार करना होगा। गरीब परिवारों के माता–पिताओं को उनकी योग्यतानुसार पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जब माता–पिता अपने रोजगार के बल पर स्वयं तथा परिवार के लिए दो वक्त का भरपेट भोजन और भरण पोषण के लिए अन्य सभी अनिवार्य साधन जुटाने में समर्थ होंगे तो फिर वे अपने मासूमों का बचपन क्यों गिरवी रखेंगे?

किन्तु इसके लिए उन्हें अपने परिवार को सीमित रखने के लिए प्रेरित किया जाना बहुत आवश्यक है। छोटे परिवार का भरण पोषण वे आसानी से कर सकेंगे और परिवार के जीवन–स्तर में सुधार कर सकेंगे। इससे अपने बच्चों से मजदूरी कराने की उनकी विवशता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अनपढ़ माता–पिता को शिक्षित करने तथा उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। उन्हें उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को अच्छी प्रकार से समझाना होगा। उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय नियमित रूप से भेजने और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना होगा।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की सही–सही संख्या का पता लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से गहन सर्वेक्षण कराना होगा। उन बाल श्रमिकों का सही–सही पता लगाना होगा जो शोषण और उत्पीड़न की परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बाल श्रमिक व्यवस्था को निकट भविष्य में पूर्णतः समाप्त किया जाना तो संभव नहीं दिखाई देता किंतु उसे कम अवश्य किया जा सकता है। बाल श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार करके उन्हें शोषण और उत्पीड़न से बचाया जाना आवश्यक है। उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे जहां वे अपने आप को शोषण से बचाने में समर्थ होंगे वहीं उन्हें अपनी योग्यता और दक्षता के अनुसार रोजगार चुनने में भी सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में बाल श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न की समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखने और समझने की आवश्यकता है। सभी बाल श्रम कानूनों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। सभी जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों की मुक्ति और उनकी शिक्षा तथा गैर–जोखिपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाल श्रमिक शिक्षा केन्द्रों में बाल श्रमिकों के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बाल श्रमिकों की शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति और उनके कल्याण सम्बन्धी किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों यथा – स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघों, शिक्षकों, साहित्यकारों, पत्रकारों, न्यायविदों, संस्कृति कर्मियों आदि की प्रारम्भ से अंत तक महत्वपूर्ण भूमिका और सहभागिता होनी बहुत आवश्यक है। यदि हम इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही अपने इन नौनिहालों के लिए कुछ सार्थक योजनाएं और कार्यक्रम दृढ़ संकल्प के साथ प्रारम्भ कर सकें तो राष्ट्र के भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से हमारा यह महान योगदान होगा। ❑

(पृष्ठ 4 का शेष) **समग्र ग्रामीण.....**

होनी चाहिए। उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता और विकास में अवरोधक तत्वों को दण्डित करने का अधिकार होना चाहिए।

- प्रत्येक गांव के विकास के लिए आवंटित राशि, स्वीकृत योजनाएं तथा ठेकेदार का नाम और पता आदि की जानकारी सूचना बोर्ड पर लिखकर गांव में प्रमुख स्थान पर टांगनी चाहिए, जिससे लोगों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके और वे अपने क्षेत्र के विकास के प्रति सचेत हो सकें।
- जहां तक संभव हो ठेके स्थानीय लोगों को ही दिए जाएं, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके और कार्य का स्तर भी उच्च श्रेणी का हो सके, साथ ही कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही भी हमेशा बनी रहे।
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बनाकर नीतियों को सफलतापूर्वक संचालित करते रहना चाहिए। जहां कहीं आवश्यक हो तकनीकी संस्थाओं की मदद भी ली जानी चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर यदि इस दिशा में उचित वातावरण बनाकर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सख्ती से विकास की दिशा में मोड़ा जाए, तो यह हमारे देश के ग्रामीण विकास के उत्थान में एक चमत्कारिक पहल होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पंचायतों के माध्यम से जनतंत्र के विकेन्द्रीकरण पर जोर देकर 'ग्राम स्वराज' को सर्वोत्तम माना है। हमारी ग्रामीण विकास एजेंसियों का यह परम् कर्त्तव्य हो जाता है कि महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को देश के कोने–कोने में साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प लें और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांव के लोगों को इस अभियान में एकनिष्ठ होकर जोड़ें तभी प्रत्येक हाथ को काम, प्रत्येक पेट को भोजन, तन को कपड़ा और सिर पर छत मिल सकेगी।

आइए जरा कल्पना करें उस भारत की जब देश में कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर नहीं करेगा, देश को कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, रोजगार दिलाने के नाम पर किसी के अंग नहीं निकाले जाएगें, गांव में काम करने में कोई परहेज नहीं करेगा बल्कि गांव की हरी–भरी वादियों में मिट्टी की भीनी और सौंधी तथा नव–प्राण दिलाने वाली बयार का आनन्द उठाने में हर कोई स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा।

संदर्भ सूची :

- *'कुरुक्षेत्र' मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, अप्रैल, जुलाई, सितंबर 1999*
- *'योजना' मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, मार्च, 1999*
- *'भारतीय अर्थव्यवस्था' डा. रुद्रदत्त एवं सुन्दरम्, 1999–2000*
- *'भारतीय अर्थव्यवस्था' डा. मिश्रा एवं पुरी, 1999–2000*

शिक्षित ग्रामीण - सुरक्षित पर्यावरण

प्रतापमल देवपुरा

गांवों में जमीन, पानी, वन, चरागाह और पशुधन का पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूर्वज पर्यावरण के प्रति सचेत थे। उस समय पर्यावरण का इस्तेमाल करने वाले लोग ही इनके बारे में निर्णय लेते थे लेकिन अब भौतिकवाद, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और लोभ–लालच की प्रवृत्ति ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ पंचायती संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन सहयोग लेना चाहिए तभी हम केवल अपने लिए ही नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे।

पर्यावरण दो शब्द 'परि' और 'आवरण' से मिलकर बना है। 'परि' का अर्थ है चारों तरफ, और 'आवरण' का अर्थ है घेरा। वायु, जल, मृदा, पेड़–पौधे, प्राणी सभी हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। इन्हीं से भौतिक पर्यावरण की संरचना होती है।

जब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं तब गांव और शहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों की भिन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। गांव अभी भी शहरों के भीड़–भाड़ भरे वातावरण, कोलाहल, वाहनों की रेलमपेल तथा कारखानों द्वारा उगलने वाली गंदगी से थोड़ा बचे हुए हैं। परन्तु धीरे–धीरे शहरों में फैले पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव गांवों में भी बढ़ता जा रहा है।

हमारा देश मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पानी, भूमि, वन, चरागाह और पशुधन का प्रमुख स्थान है। बढ़ती आबादी, निरक्षरता, प्रकृति के अधिकतम दोहन आदि मुद्दों ने ग्रामीण पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वहां के निवासियों में चेतना जाग्रत करना आवश्यक बना दिया है। जन–जागरण द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन में अधिकाधिक जनसहभागिता की जरूरत है।

सम्पूर्ण देश का टिकाऊ विकास गांवों की साझेदारी के बिना संभव नहीं है। इसके लिए गांवों के प्रत्येक नागरिक का शिक्षित, प्रशिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। आजादी के पचास वर्षों बाद भी देश की शिक्षा के आंकड़े 16 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक ही बढ़ सके हैं। भले ही शिक्षा के आंकड़े बढ़ें या न बढ़ें परन्तु इन्सान में पर्यावरण के प्रति चेतना और जागरूकता को बढ़ाया जाए, तो वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भविष्य की पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकेंगी। गांवों के सन्दर्भ में हमें विशेष रूप से पानी, भूमि, चरागाह, वन तथा खनिज को सुरक्षित रखने के प्रति लोगों में जागरूकता का विकास करना होगा।

अधिसंख्य ग्रामीण अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। चाहे धार्मिक प्रतिबन्ध हो, परम्पराएं और परिपाटियां हो, उनके माध्यम से ही वह जल, जंगल तथा जमीन के अंगों और उनके भण्डारों की पूजा–अर्चना करता है, उनकी सुरक्षा करता है तथा आगे वाली पीढ़ी को भी उचित संदेश देता रहता है। परन्तु भौतिकवाद, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, लालच की प्रवृत्ति ने पुरातन नियमों को तोड़–मोड़कर पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। परन्तु अब भी समय है, हम जाग्रत होकर, पर्यावरण के प्रति चेतना, सहयोग और प्रभावी प्रबन्धन में सहभागिता द्वारा उसका संरक्षण करके उसे सुरक्षित रख सकते हैं। यहां हम जल, जमीन एवं जंगल के बारे में सिलसिलेवार विचार करते हैं।

जल संकट : समाधान क्या हो?

सभी जगह जल की कमी एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसका समाधान कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं :

- उपलब्ध जल–साधनों का अदूरदर्शितापूर्ण उपयोग होना।
- जलाशयों की क्षमता में लगातार गिरावट आना।
- भूमिगत जलस्तर का गिरते जाना।
- विभिन्न कारणों से जल का प्रदूषित होना।
- पीने और खेती के जल का अन्य कार्यों में उपयोग करना।
- सिंचाई परियोजनाओं का अकुशल प्रबन्ध करना।

स्वतंत्रता–प्राप्ति से पूर्व गांव कुएं, कुंड, बावड़ियों, तालाब, जोहड़ पर ही निर्भर होते थे। गांव के तालाब की खुदाई समय–समय पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामुदायिक रूप से की जाती थी जिससे वर्षा का जल अधिक मात्रा में संग्रहीत हो पाता था। वर्षा के जल को भूमि की सतह पर एकत्रित करके उपयोग करने के लिए समाज के दानी लोगों द्वारा कुंड तथा बावड़ियां भी बनवाई जाती थीं। जिन गांवों में पीने का पानी खारा था वहां किसी भी घर का निर्माण बिना कुंड के नहीं होता था। प्रत्येक परिवार का कुंड और गांवाई तालाब वर्ष भर जल की आपूर्ति करते थे।

आजादी के बाद के परिदृश्य में तालाबों को या तो कृषि के लिए आवंटित कर दिया गया या वहां बस्तियां बस गईं। कुछ कुएं और बावड़ियों के पानी को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार देकर उन्हें बन्द कर दिया गया। अधिकांश क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाए गए जो जल स्तर में गिरावट के कारण या तो अनुपयोगी हो गए या खराब हो गए। हैंडपम्पों की देखभाल, मरम्मत तथा रख–रखाव भी

एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश में लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अब हम पीने के पानी के लिए भी सरकार पर निर्भर हो गए हैं।

जल संसाधनों की सुचारु व्यवस्था के लिए जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए पंचायत और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से ग्राम सभाओं में सर्व–सम्मत निर्णयों का लिया जाना और उनका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। जितने भी कुंए, कुंड और बावड़ियां पारम्परिक तरीके से बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत करा के उन्हें जिन्दा किया जाना आवश्यक है। आज भी धमार्थ कार्य करने वाले ट्रस्ट तथा संस्थाएं पेयजल के साधनों के विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। उनका सहयोग लिया जाए। जल–स्रोतों के रख–रखाव, स्वच्छता तथा मितव्ययता से उनका उपयोग इन स्रोतों को सुरक्षित रखने में कारगर होगा। हमारा राजस्थान जैसा राज्य सिंचाई और पीने के पानी के लिए पूर्णतया वर्षा पर ही निर्भर है। यहां वर्षा का अनुपात बेशक कम रहा है, फिर भी पानी की एक–एक बूंद को भी फालतू न जाने देने की परम्परा रही है। राजस्थान के संदर्भ में पिछले पांच दशकों में अरबों रुपये खर्च हो जाने के बाद भी जल की कमी की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। प्रत्येक गांव अपने यहां उपलब्ध जल–साधनों और वर्षा के जल का उचित प्रबन्ध करे तो समस्या का समाधान निकल सकता है। जल की समस्या तो सारे प्रदेश की है, परन्तु प्रत्येक गांव, उपखण्ड अथवा जिला स्तर पर छोटे और मध्यम जल केन्द्रों जिसमें एनिकट या तालाब सम्मिलित हैं, बनाकर जल आपूर्ति का प्रबन्ध किए जाने से ही समस्या का समाधान संभव है।

भू–उर्वरता : समस्याएं और समाधान

जल के बाद दूसरी बड़ी आवश्यकता रोटी है। रोटी के लिए अनाज का उत्पादन स्थानीय भूमि की संरचना, सिंचाई की व्यवस्था और खाद–बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पिछले वर्षों में हमने खेती के लिए जमीन का विस्तार भी किया है, साथ ही खेतों से अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयत्न भी किया है। 1950 में जहां राज्यों की भूमि वहन क्षमता प्रति हेक्टेयर 50 व्यक्ति थी, वहीं आज विभिन्न वैज्ञानिक प्रयासों से बढ़कर 150 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है।

यद्यपि राजस्थान राज्य ने कृषि विकास में आशातीत सफलता प्राप्त की है, किन्तु अब भूमि पोषणीयता युक्त नहीं रही है। हरित–क्रांति का सूत्रपात होने के साथ कृषि में उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं और सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था आदि की प्रवृत्ति को जहां अपनाया गया, उन स्थानों की मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो रही हैं। कृषि भूमि में रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना विखण्डित हो गई है। अतः मिट्टी में जल धारण क्षमता क्षीण हो गई है। नमी धारण करने की क्षमता के अभाव में कोई भी मिट्टी बिना कृत्रिम सिंचाई के फसलें और वनस्पति उगाने में अक्षम हो जाती है और मृदा विखण्डन से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। राज्य की कृषि भूमि पर मरुस्थलीय परिस्थिति का विस्तार, रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के उपयोग के कारण भूमि की जैविक क्षमता का विनाश तथा मिट्टी की संरचना का विखण्डन, नहरी क्षेत्रों में क्षारीयता, लवणीयता तथा जल–प्लावन जैसी सिंचाई जनित विकट समस्याएं राज्य के भू–प्रबन्धन के लिए 21वीं सदी में मुख्य समस्याएं होंगी। इन चुनौतियों के मुकाबले के लिए गांव के सभी लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाने आवश्यक हैं। इनमें कुछ कार्यक्रम जैसे – भौगोलिक स्थिति के

तकनीकी कार्यों में भी महिलाएं पीछे नहीं

आधार पर मरुस्थलीय कार्यक्रम, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और जवाहर ग्राम रोजगार योजना कार्यक्रम प्रमुख हैं। भू–कटाव, घटते उपजाऊपन को बढ़ाने के प्रयास, विभिन्न दवाओं, कारखानों से निकलने वाले रसायनों से जमीन की सुरक्षा जरूरी है तभी हमारे गांव का खेत हमें पेट भर रोटी दे सकेगा।

चरागाह और वन विकास

जनसंख्या के दबाव ने चरागाहों और वनों को करीब–करीब समाप्त कर दिया है। बस्तियां बसाने, कारखानों का निर्माण तथा विस्तार और आवागमन के बढ़ते जाल ने वनों को घटाकर मात्र पांच से दस प्रतिशत के बीच कर दिया है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए भू–भाग के लगभग एक तिहाई हिस्से में वनों का होना आवश्यक है।

युगों से जल और जंगल में बहुत ही गहरे रिश्ते रहे हैं। मनुष्य के लिए दो प्रकार से वनों की उपयोगिता है। पहली, वनों से विभिन्न प्रकार के वनोपज मिलते हैं, और दूसरी वन पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये दोनों ही बातें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में वनों का तेजी से विनाश किया गया है और वन्य प्राणियों की प्रजातियों का लोप होता गया है। जल और जंगल के मध्य का अन्तर दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। गांवो के ही लोगों ने ही शहरी व्यापारियों के लिए लकड़ी काटने, उपजाऊ मिट्टी खोदने और पत्थर की आपूर्ति करने में ठेकेदारों तथा प्रभावशाली लोगों की सहायता की है। परिणामस्वरूप स्थानीय पर्यावरण जिसमें जंगल, चरागाह, पेड़–पौधे पशु–पक्षी सम्मलित हैं, नष्ट होता जा रहा हैं। इन क्षेत्रों में अब मवेशियों के लिए चारा भी नहीं उगता है। उनके घूमने–फिरने और चरने की जगह ही नहीं बची है। इससे पशुपालन कार्य दुष्प्रभावित होने से लोगों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनकी घरेलू अर्थव्यवस्था मूलतः पशुओं और वनों पर आधारित थी, पेट भरने को मोहताज हो गए हैं। खनन, चराई, कटान, अतिक्रमण तथा मृदाक्षरण के कारण एक ओर प्रकृति में पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और जीवन सह–पद्धतियों की निरंतरता संकटग्रस्त है, वहीं दूसरी ओर वनों और संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामवासियों के न्यायोचित और सम्मानजनक आजीविका के साधन भी दांव पर लग गए हैं।

चराई, मृदाक्षरण, बाढ़, जलाक्रांतता, कटान और खनन की विशेष समस्याओं का हल जन–चेतना, जन–सहयोग के बिना संभव नहीं है। वन संरक्षण के लिए पारिस्थितिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उपायों की जरूरत है। एक तरफ वन उत्पादों की मांग को कम करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर वन्य–जीव जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको सुरक्षित रखना तथा वनों को नए सिरे से पुनः उगाने की जरूरत है। बिश्नोई समाज द्वारा पेड़ों के लिए किया गया बलिदान हमें आज भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। 'चिपको आन्दोलन' भी जंगलों को सुरक्षित रखने का ही एक प्रयास है।

सुरक्षित पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक

जल, जंगल और जमीन की प्रबन्धन व्यवस्था को सुधारना अनिवार्य है। पहले इन साधनों का उपयोग करने वाले और उसके सन्दर्भ में निर्णय लेने वाले लोग स्थानीय ही होते थे, इसलिए निर्णय भी सबके हित की बातों को ध्यान में रखकर ही किए जाते थे। किन्तु आज निर्णय लेने वाले अलग और प्रभावित होने वाले अलग हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ने लगा है, जिससे लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप सूखा, अकाल, बाढ़ आदि समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। पीने का पानी, ईंधन, लकड़ी, चारा, खेतों का अनउपजाऊपन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

साझा प्रबन्धन योजना के दोनों पहलू, जन भागीदारी और तकनीकी निवेश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस कटिबद्धता के बिना संसाधनों का संरक्षण और उनके टिकाऊपन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण संबन्धित प्रमुख बातों के लिए शिक्षित कर ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं :

- जन कल्याणकारी, सक्षम तथा उत्तरदायी प्रबंध की व्यवस्था कर जल, जंगल और जमीन को संकट से उबारना।
- गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना, जल, जंगल, और जमीन की सुरक्षा हेतु ग्राम प्रबन्ध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राजकीय अभिकरणों को मिलजुल कर इन समस्याओं का हल निकालना।
- ग्रामवासियों के सहयोग से स्थानीय प्रजातियों का पौधारोपण, बीजारोपण, जल तथा मृदा संरक्षण, पारिस्थितिक विकास, लोक वानस्पतिक कुंजों का रोपण, वृक्षों और वनस्पतियों का बीज एकीकरण आदि कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
- जन–निगरानी, साझेदारी, विचार–विनिमय को संचार माध्यमों की मदद से विस्तारित आयाम दिया जाना।
- परंपरागत जल संरक्षण के तरीकों को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित किया जाना।
- फसलवार अधिकतम उत्पादन लेने के लिए पानी की सिंचाई का सही समय और मात्रा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना।
- अधिक पानी देने से उत्पादकता कम होने और क्षारीय जमीन तथा जलप्लावन की समस्याओं के प्रति जन–जागरण करना।
- प्रत्येक गांव और पंचायत में पीने के पानी की उपलब्धता तथा संरक्षण की योजना तैयार कर ग्राम सभाओं में उसकी जानकारी देना।
- जल ग्रहण क्षेत्र के कृषि विकास, पशुपालन, भू–संरक्षण, चरागाह विकास तथा कृषि अभियांत्रिकी के समस्त कार्य एक ही एजेन्सी द्वारा किए जाने को सुनिश्चित करना।
- सीमित जल के बेहतर उपयोग का उपादान, देशज विज्ञान और जल के परम्परागत रिश्तों को समझना।
- अपने देश के बरसाती पानी का सुसंगत उपयोग, उसके समुचित सरंक्षण करने की नीति का पालन करना।
- प्रजातियों और पारिस्थितिकीय प्रणाली का उपयोग टिकाऊ तरीके से सुनिश्चित करना।

इन उपायों से जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। ❑

जन सहयोग कैसे लें?*

जवाहरलाल नेहरू

जन सहयोग का सवाल भी अगर दफ्तरी जामा पहन लेगा तो बड़ी तकलीफ और परेशानी की बात होगी और वह एक बेजान बात हो जाएगी। यह मैं कुछ जान कर नहीं कहता कि आप के यहां क्या हो रहा है, न किसी की निन्दा कर रहा हूं। मैं महज एक उसूल आप के सामने रख रहा हूं कि कहीं यह बात ज्यादा न हो।

मुझे कुछ ख्याल पड़ता है कि पिछले साल जब मैं आप के पास आया था तो मैंने आप को आगाह किया था कि आप जरा जीप के हेर–फेर में ज्यादा न पड़ें। मुझे याद है कुछ मैंने ऐसा कहा था। जीप एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जीप पर चढ़ने का दिमाग अच्छी चीज नहीं है, यह मेरा पक्का यकीन है। और हालांकि आसानियां हैं जीप में, लेकिन इस आसानी के साथ, अलावा इसके कि एकदम हम रुपये के खर्च का अपना हिसाब बढ़ाते जाते हैं, ज्यादा बुनियादी बात यह है कि हमारे दिमाग में जन–सहयोग का विचार हो, हम समझें कि जनता कौन चीज है?

जनता के आदमी बनें

जन सहयोग उसी वक्त मिलता है जब हम भी जनता में से एक हो जाएं। जब हम उस में घुल–मिल जाएं, तब वह मिलता है और उसके साथ घुल–मिल जाने में आसानी नहीं होती है। अगर आप हाथी पर सवार हो कर जाएं, जीप पर सवार होकर जाएं, वही बात है चाहे हाथी हो या जीप हो, लेकिन आप एक–दूसरे दरजे के आदमी हो जाते हैं, जिससे लोग आपकी कद्र करें, आप को सलामी–बन्दगी करें। लेकिन आप ऊपर की चीज हो गए। सरकारी अफसर आते हैं, चले जाते हैं, उस से अपनाहट पैदा नहीं होती जो कि उस तरह से हो सकती है कि आप जनता के आदमी बन कर, उन्हीं के दरजे के होकर जाएं। उन्हीं की तरह के हो जाएं, कम से कम उस वक्त तक जब तक आप उन के हैं। लेकिन हो नहीं सकते, क्योंकि हजार बातें रास्ते में आती हैं। यह कोशिश करने की बात है और कम से कम ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, जिस से उन में फर्क बढ़े।

तो जन सहयोग का पहला उसूल तो मुझे यह मालूम होता है कि आप भी जनता के एक हिस्से हो जाएं, आप दूर से बताने वाले न हों, या दूर से सलाह देने वाले न हों। दूर से बताने वाले तो हमारे यहां काफी हैं। लेकिन, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि छोटी–छोटी बातें मतलब रखती हैं यानीं आप जिस ढंग से उनके पास जाएं जो पोशाक पहनें, जिस गाड़ी–घोड़े पर जाएं। ये सब छोटी–छोटी बातें हैं, बहुत अहमियत नहीं रखतीं, लेकिन एक हवा पैदा करती हैं अपनाने की या न अपनाने की। एक बात जो मैं आप के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि आप अलग–अलग संस्थाएं हैं, अलग–अलग काम करते हैं और अलग–अलग ढंग आप को अख्तियार करने होंगे।

काम करने का वायुमण्डल

अब दूसरी बात यह है कि ये काम हमारे क्या हैं? काम हमारे बहुत हैं, बहुत पेचीदा हैं। एक तरफ तो बड़े काम हैं, चाहे बड़ी योजना हो, जैसा कि भारत सेवक समाज ने उठाया था कोसी में। यह एक बड़ा काम है और करीब–करीब एक मेजर प्रोजेक्ट है। उसमें आप लोगों को लाते हैं, उनको मजदूरी देते हैं, उन से काम करवाते हैं, पुराने ढंग से, ठेकेदारी ढंग से नहीं, बल्कि ऐसे ढंग से कि वे खुद उस में शरीक हों, उनका फायदा हो और कुछ किफायत हो। यह अच्छी बातें हैं। सब से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनमें यह अपनाहट हो कि हम ने बनाई है, हमारी चीज है। क्योंकि आखिर में देश बढ़ते हैं और गिरते हैं इससे कि मुल्क में, जनता में कैसा वायुमण्डल है। उसी से काम निकलता है, उसी से झगड़ा निकलता है, दोनों बातें निकलती हैं। तो यह वायुमण्डल अर्थात अपना काम खुद करना, अपने ऊपर भरोसा करना, बहुत अच्छी चीज है।

जनता को सिखाएं

खैर, यह तो एक बड़ा काम हुआ, जैसा कि कोसी का। और जगहों में भी होंगे। उस की तो मदद लेनी ही चाहिए, लेकिन उसको लेने के लिए खास तौर के लोग, खास तौर की तैयारी और खास योग्यता के लोग नहीं हैं। एकदम से आप ने भीड़ बुलाई और कहा कि चलो काम करो, क्योंकि उस काम को करना है, इस से काम नहीं चलता। उस काम को अच्छी तरह सिखाना है और जाब्ते से, सही तरह करना है। तमाम जनता को ठीक से आप को सिखाना पड़ेगा और सीखने का मौका पैदा करना पड़ेगा।

यह तो बड़ा काम हुआ। छोटे काम हर दर्जे के हैं। शहरों में मेरे ख्याल से वह काम गन्दी बस्तियों का है, जो कि पेचीदा काम है। यूं तो उसमें पैसा बहुत लगता है। पैसे का भी सवाल इसमें दूसरा है। इस में एक पेचीदा सवाल यह है कि वहां का वायुमण्डल कैसे बदलें? और कैसे आप गन्दी बस्तियों के रहने वालों की मदद से उस काम को संभालें? बाहर से आकर हुक्म दे कर? नहीं, यह बात नहीं चलती। अगर आप वहां जाते हैं तो दो रोज रह कर वहां काम करें। दिल्ली में आप देखें कि चार–पांच या ज्यादा वर्ष से किस कदर दिलचस्पी हम ने गन्दी बस्तियों के मामले में ली और कुछ काम हुआ भी है। लेकिन फिर भी नक्शा बहुत ज्यादा नहीं बदला। इधर–उधर बदल गया, जरूर बदलता जाता है। जहां इधर कुछ बदला, उसी के साथ नई जगह गन्दी बस्तियां बनती हैं, नए मकानों की जगह पुराने मकान बन जाते हैं। यह क्यों होता है? यह कसूर वहां के रहने वालों का है। उन्हें रहने की तमीज नहीं है, लेकिन वे गन्दी बस्तियों में रहने के ढर्रे में पड़ गए हैं। वे खुद शिकायत करते हैं कि हमारे यहां पानी नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। पानी की शिकायत मुनासिब है, लेकिन सच बात तो यह है कि उनमें इस गढ़े से निकलने के

* *कुरुक्षेत्र* के सितम्बर 1960 अंक से उद्धृत

लिए कोई जबर्दस्त ख्वाहिश नहीं है। शायद यह बात इस वास्ते होगी कि वे लोग इस तरह की जगहों में रहने के आदी हो गए हैं और समझते हैं कि कौन निकले। आप ने उन लोगों को वहां जा कर संभाला, मगर वहां लोग जिम्मा न लें तो फिर वैसा ही हो जाता है, थोड़ी देर बाद वे अपनी जगहों पर वापस पहुंच जाते हैं।

इसमें सारा कसूर उनका नहीं है। बहुतों का कसूर है। दिल्ली की बात ले लीजिए– यहां पर खुद दिल्ली कारपोरेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट से ले कर गन्दी बस्तियों के मकान मालिक हैं, इस तरह से इस काम में बहुतों का कसूर है। मैं आप को यह बतला रहा था कि हम इस में पूरे तौर से तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहां लोगों को न उठाएं, उनका सहयोग न लें इस काम में। सामुदायिक विकास योजनाएं देहात और गांवों में चल रही हैं। उस में हमारी यह कोशिश है कि वहां की जनता और समाज खुद अपना काम करे, अपने गांव को उठाएं, सब लोग सहयोग से मिल कर काम करें। सामुदायिक योजनाओं की तरह की हवा हमें इन गन्दी बस्तियों में भी लानी होगी। लोग उसमें भाग लें और एक–एक आदमी भाग ले। ऊपरी जो काम करें वह जरूरी होता है, आप कोसी बांध बनाएं, जरूरी चीज हुई, मोटी चीज हुई और उससे लाभ हुआ, लेकिन ज्यादातर जन सहयोग की जो योजना है, उस में काम करने वालों को समझाना है कि मिल कर एक हो जाना चाहिए तब ही सब काम हो सकता है। ऊपर से या अफसरी तौर पर यह काम नहीं हो सकता है। जब तक आप इस तरह का जजबा वहां के लोगों में पैदा नहीं करेंगे, कुछ मुकाबले का, कि हम दूसरी जगह से अच्छा कर देंगे, तब तक आप इस काम में ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते।

स्लम्स क्लियरेंस, गन्दी बस्तियां साफ करने के मायने यह नहीं होने चाहिए कि बाहरी तौर से वहां की सड़कों को साफ कर दिया जाए, बल्कि पहली बात यह होनी चाहिए कि वहां के रहने वालों की दस, पन्द्रह या बीस जिम्मेदार व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए और जो बात हो, उनके जिम्मे हो। हम जाकर उनकी मदद कर सकते हैं लेकिन वे हमारी मदद न करें, हम उनकी मदद करें। यह भी एक तरह, एक ही बात को दो तरह से कहने की हो जाती है। आप कहते हैं जन सहयोग? लेकिन किस के साथ? गौर कीजिए! हम लोग आखिर किस के साथ सहयोग करें।

हमें लोगों के पास जाकर सब बातें समझानी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए कि यह उनकी चीज है, उनके गांव की, उनके जिले की, उनके प्रदेश की, उनके देश की, वे इस के बड़े हिस्सेदार हैं और हम भी इसके एक हिस्सेदार हैं। इस तरह से हम भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं न कि हम उनको अपनी मदद के लिए अपनी योजना की मदद के लिए बुलाएं।

व्यावहारिक शिक्षा

जिन मुल्कों में ज्यादा जोर टैक्नीकल शिक्षा पर देते हैं, वहां पर ज्यादा अच्छे इंजीनियर हैं। मुझे याद आता है कि दस वर्ष पहले मैं अमेरिका गया था। वहां मैं एक कृषि कालेज में गया, जहां पर दो–चार हिन्दुस्तानी लड़के थे। वे कृषि सीखने गए थे। उनके प्रोफेसर ने उनसे पहले गाय दुहने के लिए कहा। उन्होंने पहले गाय दुहने का काम कभी नहीं किया था। यहां तो वे लेक्चरों के नोट लिखा करते थे। अमेरिका में भी खामियां हैं, ऐब हैं, लेकिन वे लोग दफ्तरी काम में फंसने वाले नहीं हैं। वहां पहले काम सिखाया जाता है, हाथ–पैर चलाना सिखाया जाता है। यहां बाबूगीरी सिखाई जाती है। इसलिए मैंने आप को वहां की मिसाल दी कि वहां पर पहले खेती में काम करना सिखाया जाता है, गाय को दुहना वगैरा सिखाया जाता है। यहां पर तो गाय दुहने के लिए ग्वाला बुलाया जाता है और बाबू साहब ऊपर से खड़े–खड़े देखते हैं। यहां पर तो बाबू साहब किताब पढ़ते हैं। यहीं फर्क पड़ जाता है। इस ढंग को बदलना है तो सारी शिक्षा का ढंग बदलना है, जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल काम हो। हमारे देश में बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, मैं इस बात की बिलकुल शिकायत नहीं करता। लेकिन फिर भी जब मैं अक्सर बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि हमारे इंजीनियर और कितने लोग टाई और कोट उतार कर काम नहीं करते और बाबू बने कुर्सी–मेज पर बैठे हैं। इंजीनियर का काम हमेशा यह होना चाहिए कि वह अपनी आस्तीन चढ़ा कर कोट–टाई उतार कर अपने हाथ–पांव चलाए। खाली बैठकर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, उसे कोट और टाई उतार कर कुछ न कुछ काम करना चाहिए।

और मुल्कों में आप देखें कि कितना वह काम प्रैक्टिल करते हैं। आजकल कुछेक जगह तो ऐसा हो गया है कि साल में तीन चार महीने पढ़ाई होती है क्लास रूप में और आठ नौ महीने वे फेंक दिए जाते हैं कि जाओ कारखाने में काम करो, सीखो जाकर, या खेत में काम करो। खेत में या कारखाने में काम करना वहां पढ़ाई का हिस्सा है। पाठ्य–पुस्तकों का पढ़ना केवल तीन–चार महीने होता है। इस से देखा जाता है कि वे ज्यादा तरक्की करते हैं। यह हमारे लिए तो और भी जरूरी है। हमारी पुरानी आदतें कुछ नहीं हैं हाथ–पैर हिलाने की। अब कुछ होने लगी हैं। तो मैंने कुछ मिसालें आपके सामने रख दीं। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था वह यह कि जन–सहयोग के और कोई मायने नहीं हैं सिवाय हाथ–पैर चलाने के। मिलकर कोई काम करने के लिए जो आदमी बताने जाएं उनको खुद हाथ–पैर चलाने चाहिए, जहां तक चल सकते हैं मर्द या औरत, तब वह उस पर फिट होता है। यह नहीं कि नेक सलाह दी जाए आप जीप पर जाएं और कुछ बताकर आ जाएं।

(राष्ट्रीय सलाहकार समिति में दिए गए भाषण के आधार पर)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

वाटरशेड परियोजनाओं का महत्व बढ़ा : ग्रामीण विकास मंत्री

वाटरशेड परियोजनाओं की मांग बहुत बढ़ गई है। हाल के जल संकट के बाद राज्य सरकारों और आम लोगों ने इनके महत्व को समझा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति को यह जानकारी देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि जिन क्षेत्रों में वाटरशेड परियोजनाएं सफलतापूर्वक चलाई गई थीं वहां सूखे का असर कम पड़ा था।

श्री पटवा ने कहा कि इन परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों का ह्रास इसलिए हुआ है क्योंकि इस ओर कम ध्यान दिया जा रहा था। ग्रामीण विकास मंत्री ने आशा व्यक्त की कि अब लोग इस बारे में जागरूक हो गए हैं। श्री पटवा ने बताया कि हाल के सूखे के दौरान गुजरात में सरकार और लोगों, दोनों ने, इस समस्या से जूझने में जबरदस्त तत्परता दिखाई।

श्री पटवा ने समिति को बताया कि 13 राज्यों के 164 जिलों के 947 ब्लाकों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, डी.पी.ए.पी. और सात राज्यों के 40 जिलों के 227 ब्लाकों में मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डी.डी.पी. चलाया जा रहा है। 25 राज्यों के बाकी के 216 जिलों में समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, आई.डब्ल्यू.डी.पी. चलाया जा रहा है। 31 मार्च 1999 को इन तीनों कार्यक्रमों के तहत 52 लाख हैक्टेयर भूमि लाभान्वित हो रही थी। वित्त वर्ष 1999–2000 में और 25.9 लाख हेक्टेयर में इन कार्यक्रमों को चलाए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 31 मार्च 1999 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 63.50 लाख हेक्टेयर को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार कुल 141.40 लाख हेक्टेयर भूमि को विकसित किए जाने का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में है। श्री पटवा ने बताया कि वित्त वर्ष 1999–2000 में राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 614 विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन पर कुल 153.50 करोड़ रुपये लागत आएगी।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

आर एन. /708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057/2000
आई.एस.एन.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक
में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/2000
ISSN 0971-8451
Licenced under U(DN)-55
to Post without pre-payment of DPSO, Delhi-54

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रकः अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–20 संपादकः बलदेव सिंह मदान